



सरकारी गज़ट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रकाशित

खण्ड 79] प्रयागराज, शनिवार, 30 अगस्त 2025 ई० (भाद्रपद 08, 1947 शक संवत्) [संख्या 35

विषय-सूची

हर भाग के पन्ने अलग-अलग किये गये हैं, जिससे इनके अलग-अलग खण्ड बन सके।

विषय	पृष्ठ संख्या	वार्षिक चन्दा	विषय	पृष्ठ संख्या	वार्षिक चन्दा
सम्पूर्ण गजट का मूल्य		रु०			रु०
भाग 1— विज्ञप्ति—अवकाश, नियुक्ति, स्थान—नियुक्ति, स्थानान्तरण, अधिकार और दूसरे वैयक्तिक नोटिस	465—482	3075	भाग 5—एकाउन्टेन्ट जनरल, उत्तर प्रदेश	...	975
भाग 1—क— नियम, कार्य-विधियां, आज्ञायें, विज्ञप्तियां इत्यादि, जिनको उत्तर प्रदेश के राज्यपाल महोदय, विभिन्न विभागों के अध्यक्ष तथा राजस्व परिषद् ने जारी किया	905—930	1500	भाग 6—(क) बिल, जो भारतीय संसद में प्रस्तुत किये गये या प्रस्तुत किये जाने से पहले प्रकाशित किये गये (ख) सिलेक्ट कमेटियों की रिपोर्ट क—भारतीय संसद के ऐक्ट	...	975
भाग 1—ख (1) औद्योगिक न्यायाधिकरणों के अभिनिर्णय			भाग 7—(क) बिल, जो राज्य की धारा सभाओं में प्रस्तुत किये जाने के पहले प्रकाशित किये गये		
भाग 1—ख (2)—श्रम न्यायालयों के अभिनिर्णय			(ख) सिलेक्ट कमेटियों की रिपोर्ट		
भाग 2—आज्ञायें, विज्ञप्तियां, नियम और नियम विधान, जिनको केन्द्रीय सरकार और अन्य राज्यों की सरकारों ने जारी किया, हाई कोर्ट की विज्ञप्तियां, भारत सरकार के गजट और दूसरे राज्यों के गजटों का उद्धरण	...	975	भाग 7—क—उत्तर प्रदेशीय धारा सभाओं के ऐक्ट भाग 7—ख—इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की अनुविहित तथा अन्य निर्वाचन सम्बन्धी विज्ञप्तियां	...	975
भाग 3—स्वायत्त शासन विभाग का क्रोडपत्र, खण्ड ग—निर्वाचन (स्थानीय निकाय) तथा खण्ड घ—जिला पंचायत	73—82	975	भाग 8—नगरपालिका परिषद्, नगर पंचायत, सरकारी कागज-पत्र, दवाई हुई रुई की गाठों का विवरण-पत्र, जन्म-मरण के आँकड़े, रोगग्रस्त होने वालों और मरने वालों के आँकड़े, फसल और ऋतु सम्बन्धी रिपोर्ट, बाजार भाव, सूचना, विज्ञापन इत्यादि	1291-1352	975
भाग 4— निदेशक, शिक्षा विभाग, उत्तर प्रदेश	...	975	स्टोर्स—पर्चेज विभाग का क्रोड पत्र	...	1425

भाग 1

विज्ञप्ति-अवकाश, नियुक्ति, स्थान-नियुक्ति, स्थानान्तरण, अधिकार और दूसरे वैयक्तिक नोटिस।

संस्कृति विभाग

प्रथम अधिसूचना

14 नवम्बर, 2024 ई०

सं० 3256/चार-2024—उत्तर प्रदेश प्राचीन एवं ऐतिहासिक स्मारकों तथा पुरातत्वीय स्थानों और अवशेषों का परिरक्षण अधिनियम, 1956 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या-7, 1957) के अधीन उत्तर प्रदेश में प्राचीन एवं ऐतिहासिक स्मारकों तथा पुरातत्वीय स्थानों और अवशेषों पर यथा प्रयोज्य एन्शियेन्ट मान्यूमेन्ट्स प्रिजर्वेशन ऐक्ट 1904 (अधिनियम संख्या-7, 1904) की धारा-3 की उपधारा(1) के अधीन प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करके, श्री राज्यपाल नीचे अनुसूची में वर्णित प्राचीन स्मारकों/स्थानों को संरक्षित स्मारक घोषित करने की अधिसूचना जारी करती हैं—

अनुसूची

क्र० सं०	राज्य	जिला	तहसील और ग्राम	स्मारक/स्थान का नाम	संरक्षण के अधीन लिये जाने वाली राजस्व गाटा सं०	क्षेत्रफल	सीमाएं
1	2	3	4	5	6	7	8
						हेक्टेयर	
1	उत्तर प्रदेश	झाँसी	तहसील-झाँसी, ग्राम (परगना)- बिजौली	रानीमहल	2240 2241	0.360 0.073	पूर्व-गाटा संख्या-1434 पश्चिम-गाटा संख्या-2242 का भाग जिसमें रानी महल निर्मित है। उत्तर-गाटा संख्या-2239 दक्षिण-गाटा संख्या-2242
2	"	"	तहसील-झाँसी, ग्राम (परगना)- भगवन्तपुर	पुराना महल	530	0.053 पर निर्मित पुराना महल का रकबा	पूर्व-गाटा संख्या-531 पश्चिम-गाटा संख्या-529 उत्तर-गाटा संख्या-532 दक्षिण-गाटा संख्या-527, 536
3	"	"	तहसील-टहरौली, ग्राम-रमपुरा	श्री रामजानकी मन्दिर	192	4.706 में निर्मित मन्दिर का भाग	पूर्व-सड़क पश्चिम-उपलब्ध नहीं है। उत्तर-सड़क दक्षिण-उपलब्ध नहीं है।
4	"	"	तहसील-मोंठ, ग्राम (परगना)- मोंठ	गुसाईयों का किला	384	17.92 में निर्मित किला का केवल भाग	पूर्व-गाटा संख्या-NH-24 सड़क पश्चिम-गाटा संख्या-264, 268 उत्तर-गाटा संख्या-292, 295, 298 दक्षिण-गाटा संख्या-362, 269

सूचना

उल्लिखित अधिसूचना जारी किये जाने के सम्बन्ध में आपत्तियाँ, यदि कोई हों, प्रमुख सचिव, उ०प्र० शासन, संस्कृति विभाग, बापू भवन, उ०प्र० सचिवालय, लखनऊ, निदेशक, उ०प्र० राज्य पुरातत्व विभाग, छतर मंजिल परिसर, कैसरबाग, लखनऊ अथवा जिलाधिकारी, झाँसी को सम्बोधित करते हुए लिखित रूप में भेजी जा सकती है। केवल उन्हीं आपत्तियों पर विचार किया जायेगा, जो इस अधिसूचना के स्मारक पर चस्पा होने के दिनांक से एक माह के भीतर प्राप्त होंगी।

आज्ञा से,
उमा द्विवेदी,
संयुक्त सचिव।

SANSKRITI DEPARTMENT

The Governor is pleased to Order the publication of the following English translation of Notification

No. 3256/IV-2024 Dated : November 14, 2024 for general Information.

NOTIFICATION

November 14, 2024

No. 3256/IV-2024—In exercise of the powers under Sub-section (1) of the section 3 of the Ancient monuments preservation Act, 1904 (Act no.VII of 1904), as re-enacted by section 3 of the U.P. Ancient and Historical Monuments and Archaeological sites and Remains Preservation Act, 1956, (U.P. Act no.VII of 1957), the Governor is pleased to propose to declare the Ancient Moments Described in the schedule below to be the protected monuments within the meaning the said Act. no. VII of 1904—

Schedule

SI. No.	State	District	Tehsil and Village	Name of the Monument sites	Revenue Plots to be taken under protection	Area	Boundaries
1	2	3	4	5	6	7	8
						<i>Hectares</i>	
1	Uttar Pradesh	Jhansi	Tehsil-Jhansi, Village (Pargana)- Bijauli	Rani Mahal	2240 2241	0.360 0.073 The part in which Rani Mahal is built.	East -Gata No. 1434 West - Gata No. 2242 North - Gata No. 2239 South - Gata No. 2242
2	Do.	Do.	Tehsil-Jhansi, Village (Pargana)- Bhagwant pur	Purana Mahal	530	0.053 Built on The area of the Purana Mahal	East -Gata No. 531 West - Gata No. 529 North - Gata No. 532 South - Gata No. 527, 536

1	2	3	4	5	6	7	8
						<i>Hectares</i>	
3	Do.	Do.	Tehsil-Tahrauli, Village- Rampura	Shri Ramjanki Temple	192	4.706 Part of the temple built in	East-Road West-Not available North-Road South-Not available
4	Do.	Do.	Tehsil-Month, Village- Month	Gusaiyon ka Fort	384	17.92 Part of the Fort built in	East-Gata No. NH-24 Road West- Gata No. 264, 268 North- Gata No. 292, 295, 298 South- Gata No. 362, 269

Intimation

Objection, if any, to the issue of this notification may be sent in writing and shall be addressed to the Principal Secretary, Uttar Pradesh Shashan, Sanskriti Anubhag, Lucknow/Director Uttar Pradesh State Archaeology Department Kaiserbagh Lucknow or District Magistrate, Jhansi within one month from the date of the pasting of this notification on the monument.

By Order,

Uma Dwivedi,

Joint Secretary.

संस्कृति विभाग

प्रथम अधिसूचना

14 नवम्बर, 2024 ई०

सं० 3566/चार-2024—उत्तर प्रदेश प्राचीन एवं ऐतिहासिक स्मारकों तथा पुरातत्वीय स्थानों और अवशेषों का परिरक्षण अधिनियम, 1956 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या-7, 1957) के अधीन उत्तर प्रदेश में प्राचीन एवं ऐतिहासिक स्मारकों तथा पुरातत्वीय स्थानों और अवशेषों पर यथा प्रयोज्य एन्शियेन्ट मान्यूमेन्ट्स प्रिजर्वेशन ऐक्ट 1904 (अधिनियम संख्या-7, 1904) की धारा-3 की उपधारा(1) के अधीन प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करके, श्री राज्यपाल नीचे अनुसूची में वर्णित प्राचीन स्मारकों/स्थानों को संरक्षित स्मारक घोषित करने की अधिसूचना जारी करती हैं—

अनुसूची

क्र० सं०	राज्य	जिला	तहसील और ग्राम	स्मारक /स्थान का नाम	संरक्षण के अधीन लिये जाने वाली राजस्व गाटा सं०	क्षेत्रफल	सीमाएं
1	2	3	4	5	6	7	8
1	उत्तर प्रदेश	हरदोई	तहसील- सदर, परगना- बंगर, हरदोई	विक्टोरिया हाल एवं घंटाघर	2681/1 2682/2 2683 2682/1	0.436 3.430 0.215 0.019 हेक्टेयर	पूर्व-गाटा संख्या-2684 पश्चिम-सड़क उत्तर-सड़क दक्षिण-घंटाघर मार्ग में निर्मित हाल व घंटाघर का भाग

सूचना

उल्लिखित अधिसूचना जारी किये जाने के सम्बन्ध में आपत्तियाँ, यदि कोई हों, प्रमुख सचिव, उ०प्र० शासन, संस्कृति विभाग, बापू भवन, उ०प्र० सचिवालय, लखनऊ, निदेशक, उ०प्र० राज्य पुरातत्व विभाग, छतर मंजिल परिसर, कैसरबाग, लखनऊ अथवा जिलाधिकारी, हरदोई को सम्बोधित करते हुए लिखित रूप में भेजी जा सकती है। केवल उन्हीं आपत्तियों पर विचार किया जायेगा, जो इस अधिसूचना के स्मारक पर चस्पा होने के दिनांक से एक माह के भीतर प्राप्त होंगी।

आज्ञा से,
उमा द्विवेदी,
संयुक्त सचिव।

SANSKRITI DEPARTMENT

The Governor is pleased to Order the publication of the following English translation of Notification

No. 3566/IV-2024 Dated : November 14, 2024 for general Information.

NOTIFICATION

November 14, 2024

No. 3566/IV-2024—In exercise of the powers under Sub-section (1) of the section 3 of the Ancient monuments preservation Act, 1904 (Act no.VII of 1904), as re-enacted by section 3 of the U.P. Ancient and Historical Monuments and Archaeological sites and Remains Preservation Act, 1956, (U.P. Act no.VII of 1957), the Governor is pleased to propose to declare the Ancient Moments Described in the schedule below to be the protected monuments within the meaning the said Act. no. VII of 1904—

Schedule

SI. No.	State	District	Tehsil and Village	Name of the Monument sites	Revenue Plots to be taken under protection	Area	Boundaries
1	2	3	4	5	6	7	8
						<i>Hectares</i>	
1	Uttar Pradesh	Hardoi	Tehsil-Sadar, Pargana-Bangar, Hardoi	Victoria Hall and Ghanta Ghar	2681/1 2682/2 2683 2682/1	0.436 3.430 0.215 0.019	East-Revenue Gata No. 2684 West- Road North- Road South-Ghanta Ghar Marg
						Part of the Victoria Hall and Ghanta Ghar built in	

Intimation

Objection, if any, to the issue of this notification may be sent in writing and shall be addressed to the Principal Secretary, Uttar Pradesh Shashan, Sanskriti Anubhag, Lucknow/Director Uttar Pradesh State Archaeology Department Kaiserbagh Lucknow or District Magistrate, Hardoi within one month from the date of the pasting of this notification on the monument.

By Order,
Uma Dwivedi,
Joint Secretary.

संस्कृति विभाग

प्रथम अधिसूचना

14 नवम्बर, 2024 ई0

सं0 3567/चार-2024—उत्तर प्रदेश प्राचीन एवं ऐतिहासिक स्मारकों तथा पुरातत्वीय स्थानों और अवशेषों का परिरक्षण अधिनियम, 1956 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या-7, 1957) के अधीन उत्तर प्रदेश में प्राचीन एवं ऐतिहासिक स्मारकों तथा पुरातत्वीय स्थानों और अवशेषों पर यथा प्रयोज्य एन्शियेन्ट मान्यूमेन्ट्स प्रिजर्वेशन ऐक्ट 1904 (अधिनियम संख्या-7, 1904) की धारा-3 की उपधारा(1) के अधीन प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करके, श्री राज्यपाल नीचे अनुसूची में वर्णित प्राचीन स्मारकों/स्थानों को संरक्षित स्मारक घोषित करने की अधिसूचना जारी करती हैं—

अनुसूची

क्र0 सं0	राज्य	जिला	तहसील और ग्राम	स्मारक /स्थान का नाम	संरक्षण के अधीन लिये जाने वाली राजस्व गाटा सं0	क्षेत्रफल	सीमाएं
1	2	3	4	5	6	7	8
1	उत्तर प्रदेश	बाराबंकी	तहसील- फतेहपुर, ग्राम (परगना) पचघरा	श्री धर्मेश्वर महादेव मन्दिर	NZA 3196/1	1.480 हेक्टेयर में निर्मित केवल मन्दिर का भाग	पूर्व-रास्ता व नाली पश्चिम-रास्ता व नाली उत्तर-मकान दक्षिण-मकान हर्षित जयसवाल व रास्ता, नाली

सूचना

उल्लिखित अधिसूचना जारी किये जाने के सम्बन्ध में आपत्तियाँ, यदि कोई हों, प्रमुख सचिव, उ0प्र0 शासन, संस्कृति विभाग, बापू भवन, उ0प्र0 सचिवालय, लखनऊ, निदेशक, उ0प्र0 राज्य पुरातत्व विभाग, छतर मंजिल परिसर, कैसरबाग, लखनऊ अथवा जिलाधिकारी, बाराबंकी को सम्बोधित करते हुए लिखित रूप में भेजी जा सकती है। केवल उन्हीं आपत्तियों पर विचार किया जायेगा, जो इस अधिसूचना के स्मारक पर चस्पा होने के दिनांक से एक माह के भीतर प्राप्त होंगी।

आज्ञा से,
उमा द्विवेदी,
संयुक्त सचिव।

SANSKRITI DEPARTMENT

The Governor is pleased to Order the publication of the following English translation of Notification
No. 3567/IV-2024 Dated : November 14, 2024 for General Information.

NOTIFICATION

November 14, 2024

No. 3567/IV-2024—In exercise of the powers under Sub-section (1) of the Section 3 of the Ancient monuments preservation Act, 1904 (Act no.VII of 1904), as re-enacted by section 3 of the U.P. Ancient and Historical Monuments and Archaeological sites and Remains Preservation Act, 1956, (U.P. Act no.VII of 1957), the Governor is pleased to propose to declare the Ancient Moments Described in the schedule below to be the protected monuments within the meaning the said Act. no. VII of 1904 –

Schedule

SI. No.	State	District	Tehsil and Village	Name of the Monument sites	Revenue Plots to be taken under protection	Area	Boundaries
1	2	3	4	5	6	7	8
						<i>Hectare</i>	
1	Uttar Pradesh	Barabanki	Tehsil- Fatehpur, Village (Pargana) Pachghara	Shri Dharme- -shwar Mahadev Temple	NZA 3196/1	1.480 Hectare Only the portion of the temple built in	East- Road and Drain West- Road and Drain North- House South- House Harshit Jaiswal and road, drain

Intimation

Objection, if any, to the issue of this notification may be sent in writing and shall be addressed to the Principal Secretary, Uttar Pradesh Shashan, Sanskriti Anubhag, Lucknow/Director Uttar Pradesh State Archaeology Department Kaiserbagh Lucknow or District Magistrate, Barabanki within one month from the date of the pasting of this notification on the monument.

By Order,
Uma Dwivedi,
Joint Secretary.

संस्कृति विभाग

प्रथम अधिसूचना

14 नवम्बर, 2024 ई०

सं० 3568/चार-2024—उत्तर प्रदेश प्राचीन एवं ऐतिहासिक स्मारकों तथा पुरातत्वीय स्थानों और अवशेषों का परिरक्षण अधिनियम, 1956 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या-7, 1957) के अधीन उत्तर प्रदेश में प्राचीन एवं ऐतिहासिक स्मारकों तथा पुरातत्वीय स्थानों और अवशेषों पर यथा प्रयोज्य एन्शियेन्ट मान्यूमेन्ट्स प्रिजर्वेशन ऐक्ट 1904 (अधिनियम संख्या-7, 1904) की धारा-3 की उपधारा(1) के अधीन प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करके, श्री राज्यपाल नीचे अनुसूची में वर्णित प्राचीन स्मारकों/स्थानों को संरक्षित स्मारक घोषित करने की अधिसूचना जारी करती हैं—

अनुसूची

क्र० सं०	राज्य	जिला	तहसील और ग्राम	स्मारक /स्थान का नाम	संरक्षण के अधीन लिये जाने वाली राजस्व गाटा सं०	क्षेत्रफल	सीमाएं
1	2	3	4	5	6	7	8
1	उत्तर प्रदेश	बहराइच	तहसील-कैसरगंज, ग्राम (परगना) रूकनापुर कलाँ (हिसायपुर)	शिवालय (शिव मन्दिर)	8	2.703 हेक्टेयर में निर्मित केवल शिवालय का भाग (45x51) वर्ग फुट	पूर्व-आबादी पश्चिम-इन्टर लाकिंग मार्ग उत्तर-कैसरगंज रोड दक्षिण-आबादी

सूचना

उल्लिखित अधिसूचना जारी किये जाने के सम्बन्ध में आपत्तियाँ, यदि कोई हों, प्रमुख सचिव, उ०प्र० शासन, संस्कृति विभाग, बापू भवन, उ०प्र० सचिवालय, लखनऊ, निदेशक, उ०प्र० राज्य पुरातत्व विभाग, छतर मंजिल परिसर, कैसरबाग, लखनऊ अथवा जिलाधिकारी, बहराइच को सम्बोधित करते हुए लिखित रूप में भेजी जा सकती है। केवल उन्हीं आपत्तियों पर विचार किया जायेगा, जो इस अधिसूचना के स्मारक पर चस्पा होने के दिनांक से एक माह के भीतर प्राप्त होंगी।

आज्ञा से,
उमा द्विवेदी,
संयुक्त सचिव।

SANSKRITI DEPARTMENT

The Governor is pleased to Order the publication of the following English translation of Notification

No. 3568/IV-2024 Dated : November 14, 2024 for General Information.

NOTIFICATION

November 14, 2024

No. 3568/IV-2024—In exercise of the powers under Sub-section (1) of the section 3 of the Ancient monuments preservation Act, 1904 (Act no.VII of 1904), as re-enacted by section 3 of the U.P. Ancient and Historical Monuments and Archaeological sites and Remains Preservation Act, 1956, (U.P. Act no.VII of 1957), the Governor is pleased to propose to declare the Ancient Moments Described in the schedule below to be the protected monuments within the meaning the said Act. no. VII of 1904 —

Schedule

SI. No.	State	District	Tehsil and Village	Name of the Monument sites	Revenue Plots to be taken under protection	Area	Boundaries
1	2	3	4	5	6	7	8
						<i>Hectare</i>	
1	Uttar Pradesh	Bahraich	Tehsil-Kaiserganj, Village (Pargana) Ruknapur Kalan (Hisaypur)	Shivalaya (Shiv Temple)	8	Only (45x51) sq. ft. built in temple	East-Aabadi West-Interlocking Road North- Kaiserganj Road South- Aabadi

Intimation

Objection, if any, to the issue of this notification may be sent in writing and shall be addressed to the Principal Secretary, Uttar Pradesh Shashan, Sanskriti Anubhag, Lucknow/Director Uttar Pradesh State Archaeology Department Kaiserbagh Lucknow or District Magistrate, Bahraich within one month from the date of the pasting of this notification on the monument.

By Order,
Uma Dwivedi,
Joint Secretary.

संस्कृति विभाग

प्रथम अधिसूचना

14 नवम्बर, 2024 ई०

सं० 3569/चार-2024—उत्तर प्रदेश प्राचीन एवं ऐतिहासिक स्मारकों तथा पुरातत्वीय स्थानों और अवशेषों का परिरक्षण अधिनियम, 1956 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या-7, 1957) के अधीन उत्तर प्रदेश में प्राचीन एवं ऐतिहासिक स्मारकों तथा पुरातत्वीय स्थानों और अवशेषों पर यथा प्रयोज्य एन्शियेन्ट मान्यूमेन्ट्स प्रिजर्वेशन ऐक्ट 1904 (अधिनियम संख्या-7, 1904) की धारा-3 की उपधारा(1) के अधीन प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करके, श्री राज्यपाल नीचे अनुसूची में वर्णित प्राचीन स्मारकों/स्थानों को संरक्षित स्मारक घोषित करने की अधिसूचना जारी करती हैं—

अनुसूची

क्र० सं०	राज्य	जिला	तहसील और ग्राम	स्मारक /स्थान का नाम	संरक्षण के अधीन लिये जाने वाली राजस्व गाटा सं०	क्षेत्रफल	सीमाएं
1	2	3	4	5	6	7	8
1	उत्तर प्रदेश	गोण्डा	तहसील- तरबगंज, ग्राम (परगना) मगोहर (महादेवा)	गौरीनाथ (शिवाला)	1720	1.220 हेक्टेयर में निर्मित केवल मन्दिर का भाग	पूर्व-आबादी, सुरेश मिश्र की जमीन पश्चिम-आबादी का रास्ता उत्तर-आबादी का रास्ता दक्षिण-आबादी, सुरेश मिश्र की जमीन

सूचना

उल्लिखित अधिसूचना जारी किये जाने के सम्बन्ध में आपत्तियाँ, यदि कोई हों, प्रमुख सचिव, उ०प्र० शासन, संस्कृति विभाग, बापू भवन, उ०प्र० सचिवालय, लखनऊ, निदेशक, उ०प्र० राज्य पुरातत्व विभाग, छतर मंजिल परिसर, कैसरबाग, लखनऊ अथवा जिलाधिकारी, गोण्डा को सम्बोधित करते हुए लिखित रूप में भेजी जा सकती है। केवल उन्हीं आपत्तियों पर विचार किया जायेगा, जो इस अधिसूचना के स्मारक पर चस्पा होने के दिनांक से एक माह के भीतर प्राप्त होंगी।

आज्ञा से,
उमा द्विवेदी,
संयुक्त सचिव।

SANSKRITI DEPARTMENT

The Governor is pleased to Order the publication of the following English translation of Notification

No. 3569/IV-2024 Dated : November 14, 2024 for General Information.

NOTIFICATION

November 14, 2024

No. 3569/IV-2024—In exercise of the powers under Sub-section (1) of the section 3 of the Ancient monuments preservation Act, 1904 (Act no.VII of 1904), as re-enacted by section 3 of the Uttar Pradesh Ancient and Historical Monuments and Archaeological sites and Remains Preservation Act, 1956, (U.P. Act no.VII of 1957), the Governor is pleased to propose to declare the Ancient Moments Described in the schedule below to be the protected monuments within the meaning the said Act. no. VII of 1904 –

Schedule

SI. No.	State	District	Tehsil and Village	Name of the Monument sites	Revenue Plots to be taken under protection	Area	Boundaries
1	2	3	4	5	6	7	8
						<i>Hectare</i>	
1	Uttar Pradesh	Gonda	Tehsil-Tarabganj, Village (Pargana) Magohar (Mahadeva)	Gaurinath (Shivala)	1720	1.220 Only the portion of the temple built in	East -Aabadi, Land of Suresh Mishra West -The Way to the Population North - Population Route South -Population, Land of Suresh Mishra

Intimation

Objection, if any, to the issue of this notification may be sent in writing and shall be addressed to the Principal Secretary, Uttar Pradesh Shashan, Sanskriti Anubhag, Lucknow/Director Uttar Pradesh State Archaeology Department Kaiserbagh Lucknow or District Magistrate, Gonda within one month from the date of the pasting of this notification on the monument.

By Order,
Uma Dwivedi,
Joint Secretary.

संस्कृति विभाग

प्रथम अधिसूचना

14 नवम्बर, 2024 ई०

सं० 3570/चार-2024—उत्तर प्रदेश प्राचीन एवं ऐतिहासिक स्मारकों तथा पुरातत्वीय स्थानों और अवशेषों का परिरक्षण अधिनियम, 1956 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या-7, 1957) के अधीन उत्तर प्रदेश में प्राचीन एवं ऐतिहासिक स्मारकों तथा पुरातत्वीय स्थानों और अवशेषों पर यथा प्रयोज्य एन्शियेन्ट मान्यूमेन्ट्स प्रिजर्वेशन ऐक्ट 1904 (अधिनियम संख्या-7, 1904) की धारा-3 की उपधारा(1) के अधीन प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करके, श्री राज्यपाल नीचे अनुसूची में वर्णित प्राचीन स्मारकों/स्थानों को संरक्षित स्मारक घोषित करने की अधिसूचना जारी करती हैं—

अनुसूची

क्र० सं०	राज्य	जिला	तहसील और ग्राम	स्मारक / स्थान का नाम	संरक्षण के अधीन लिये जाने वाली राजस्व गाटा सं०	क्षेत्रफल	सीमाएं
1	2	3	4	5	6	7	8
1	उत्तर प्रदेश	ललितपुर	तहसील- पाली	प्राचीन दुर्ग परकोटा	235 मि० 234 मि०	2.428 0.890 हेक्टेयर में निर्मित केवल परकोटा का भाग	पूर्व-गाटा संख्या-उपलब्ध नहीं है। पश्चिम-गाटा संख्या-उपलब्ध नहीं है। उत्तर-गाटा संख्या-उपलब्ध नहीं है। दक्षिण-गाटा संख्या-उपलब्ध नहीं है।

सूचना

उल्लिखित अधिसूचना जारी किये जाने के सम्बन्ध में आपत्तियाँ, यदि कोई हों, प्रमुख सचिव, उ०प्र० शासन, संस्कृति विभाग, बापू भवन, उ०प्र० सचिवालय, लखनऊ, निदेशक, उ०प्र० राज्य पुरातत्व विभाग, छतर मंजिल परिसर, कैसरबाग, लखनऊ अथवा जिलाधिकारी, ललितपुर को सम्बोधित करते हुए लिखित रूप में भेजी जा सकती है। केवल उन्हीं आपत्तियों पर विचार किया जायेगा, जो इस अधिसूचना के स्मारक पर चस्पा होने के दिनांक से एक माह के भीतर प्राप्त होंगी।

आज्ञा से,
उमा द्विवेदी,
संयुक्त सचिव।

SANSKRITI DEPARTMENT

The Governor is pleased to Order the publication of the following English translation of Notification

No. 3570/IV-2024 Dated : November 14, 2024 for General Information.

NOTIFICATION

November 14, 2024

No. 3570/IV-2024—In exercise of the powers under Sub-section (1) of the section 3 of the Ancient monuments preservation Act, 1904 (Act no.VII of 1904), as re-enacted by section 3 of the Uttar Pradesh Ancient and Historical Monuments and Archaeological sites and Remains Preservation Act, 1956, (U.P. Act no.VII of 1957), the Governor is pleased to propose to declare the Ancient Moments Described in the schedule below to be the protected monuments within the meaning the said Act. no. VII of 1904 –

Schedule

SI. No.	State	District	Tehsil and Village	Name of the Monument sites	Revenue Plots to be taken under protection	Area	Boundaries
1	2	3	4	5	6	7	8
						<i>Hectare</i>	
1	Uttar Pradesh	Lalitpur	Tehsil-Pali	Prachin Durg ka Parkota	235 Mi 234 Mi	2.428 0.890	East-Revenue Plot No. Not Available West-Revenue Plot No. Not Available North-Revenue Plot No. Not Available South-Revenue Plot No. Not Available
						Only parkota Portion	

Intimation

Objection, if any, to the issue of this notification may be sent in writing and shall be addressed to the Principal Secretary, Uttar Pradesh Shashan, Sanskriti Anubhag, Lucknow/Director Uttar Pradesh State Archaeology Department Kaiserbagh Lucknow or District Magistrate, Lalitpur within one month from the date of the pasting of this notification on the monument.

By Order,

Uma Dwivedi,

Joint Secretary.

संस्कृति विभाग

प्रथम अधिसूचना

14 नवम्बर, 2024 ई०

सं० 3571/चार-2024—उत्तर प्रदेश प्राचीन एवं ऐतिहासिक स्मारकों तथा पुरातत्वीय स्थानों और अवशेषों का परिरक्षण अधिनियम, 1956 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या-7, 1957) के अधीन उत्तर प्रदेश में प्राचीन एवं ऐतिहासिक स्मारकों तथा पुरातत्वीय स्थानों और अवशेषों पर यथा प्रयोज्य एन्शियेन्ट मान्यूमेन्ट्स प्रिजर्वेशन ऐक्ट 1904 (अधिनियम संख्या-7, 1904) की धारा-3 की उपधारा(1) के अधीन प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करके, श्री राज्यपाल नीचे अनुसूची में वर्णित प्राचीन स्मारकों/स्थानों को संरक्षित स्मारक घोषित करने की अधिसूचना जारी करती हैं—

अनुसूची

क्र० सं०	राज्य	जिला	तहसील और ग्राम	स्मारक / स्थान का नाम	संरक्षण के अधीन लिये जाने वाली राजस्व गाटा सं०	क्षेत्रफल	सीमाएं
1	2	3	4	5	6	7	8
1	उत्तर प्रदेश	अयोध्या	तहसील- सोहावन, ग्राम (परगना) मऊ यदुवंशपुर (हवेली अवध)	रुद्रेश्वर महादेव मन्दिर	412	0.8530 हेक्टेयर में निर्मित मन्दिर का भाग	पूर्व-अयोध्या रायबरेली मार्ग पश्चिम-गाटा संख्या-416 उत्तर-गाटा संख्या-413 दक्षिण-गाटा संख्या-412

सूचना

उल्लिखित अधिसूचना जारी किये जाने के सम्बन्ध में आपत्तियाँ, यदि कोई हों, प्रमुख सचिव, उ०प्र० शासन, संस्कृति विभाग, बापू भवन, उ०प्र० सचिवालय, लखनऊ, निदेशक, उ०प्र० राज्य पुरातत्व विभाग, छतर मंजिल परिसर, कैसरबाग, लखनऊ अथवा जिलाधिकारी, अयोध्या को सम्बोधित करते हुए लिखित रूप में भेजी जा सकती है। केवल उन्हीं आपत्तियों पर विचार किया जायेगा, जो इस अधिसूचना के स्मारक पर चस्पा होने के दिनांक से एक माह के भीतर प्राप्त होंगी।

आज्ञा से,
उमा द्विवेदी,
संयुक्त सचिव।

SANSKRITI DEPARTMENT

The Governor is pleased to Order the publication of the following English translation of Notification

No. 3571/IV-2024 Dated : November 14, 2024 for General Information.

NOTIFICATION

November 14, 2024

No. 3571/IV-2024—In exercise of the powers under Sub-section (1) of the section 3 of the Ancient monuments preservation Act, 1904 (Act no.VII of 1904), as re-enacted by section 3 of the Uttar Pradesh Ancient and Historical Monuments and Archaeological sites and Remains Preservation Act, 1956, (U.P. Act no.VII of 1957), the Governor is pleased to propose to declare the Ancient Moments Described in the schedule below to be the protected monuments within the meaning the said Act. no. VII of 1904 –

Schedule

SI. No.	State	District	Tehsil and Village	Name of the Monument sites	Revenue Plots to be taken under protection	Area	Boundaries
1	2	3	4	5	6	7	8
						<i>Hectare</i>	
1	Uttar Pradesh	Ayodhya	Tehsil-Sohawan, Village (Pargana) Mau Yaduvanshpur (Haveli Awadh)	Rudreshwar Mahadev Temple	412	0.8530 Area of the temple built in	East -Ayodhya Raebareli Road West -Gata No. 416 North -Gata No. 413 South -Gata No. 412

Intimation

Objection, if any, to the issue of this notification may be sent in writing and shall be addressed to the Principal Secretary, Uttar Pradesh Shashan, Sanskriti Anubhag, Lucknow/Director Uttar Pradesh State Archaeology Department Kaiserbagh Lucknow or District Magistrate, Ayodhya within one month from the date of the pasting of this notification on the monument.

By Order,
Uma Dwivedi,
Joint Secretary.

संस्कृति विभाग

प्रथम अधिसूचना

14 नवम्बर, 2024 ई०

सं० 3572/चार-2024—उत्तर प्रदेश प्राचीन एवं ऐतिहासिक स्मारकों तथा पुरातत्वीय स्थानों और अवशेषों का परिरक्षण अधिनियम, 1956 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या-7, 1957) के अधीन उत्तर प्रदेश में प्राचीन एवं ऐतिहासिक स्मारकों तथा पुरातत्वीय स्थानों और अवशेषों पर यथा प्रयोज्य एन्शियेन्ट मान्यूमेन्ट्स प्रिजर्वेशन ऐक्ट 1904 (अधिनियम संख्या-7, 1904) की धारा-3 की उपधारा(1) के अधीन प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करके, श्री राज्यपाल नीचे अनुसूची में वर्णित प्राचीन स्मारकों/स्थानों को संरक्षित स्मारक घोषित करने की अधिसूचना जारी करती हैं—

अनुसूची

क्र० सं०	राज्य	जिला	तहसील और ग्राम	स्मारक /स्थान का नाम	संरक्षण के अधीन लिये जाने वाली राजस्व गाटा सं०	क्षेत्रफल	सीमाएं
1	2	3	4	5	6	7	8
1	उत्तर प्रदेश	आगरा	तहसील-सदर, ग्राम (परगना) तकहपतम	गाँधी स्मारक	382	0.5420 हेक्टेयर में निर्मित गांधी स्मारक का केवल भाग	पूर्व -फैक्ट्री दीगर पश्चिम -यमुना नदी उत्तर -गली गाँधी स्मारक दक्षिण -एत्माउद्दौला स्मारक

सूचना

उल्लिखित अधिसूचना जारी किये जाने के सम्बन्ध में आपत्तियाँ, यदि कोई हों, प्रमुख सचिव, उ०प्र० शासन, संस्कृति विभाग, बापू भवन, उ०प्र० सचिवालय, लखनऊ, निदेशक, उ०प्र० राज्य पुरातत्व विभाग, छतर मंजिल परिसर, कैसरबाग, लखनऊ अथवा जिलाधिकारी, आगरा को सम्बोधित करते हुए लिखित रूप में भेजी जा सकती है। केवल उन्हीं आपत्तियों पर विचार किया जायेगा, जो इस अधिसूचना के स्मारक पर चस्पा होने के दिनांक से एक माह के भीतर प्राप्त होंगी।

आज्ञा से,
उमा द्विवेदी,
संयुक्त सचिव।

SANSKRITI DEPARTMENT

The Governor is pleased to Order the publication of the following English translation of Notification

No. 3572/IV-2024 Dated : November 14, 2024 for General Information.

NOTIFICATION

November 14, 2024

No. 3572/IV-2024—In exercise of the powers under Sub-section (1) of the section 3 of the Ancient monuments preservation Act, 1904 (Act no.VII of 1904), as re-enacted by section 3 of the U.P. Ancient and Historical Monuments and Archaeological sites and Remains Preservation Act, 1956, (U.P. Act no.VII of 1957), the Governor is pleased to propose to declare the Ancient Moments Described in the schedule below to be the protected monuments within the meaning the said Act. no. VII of 1904 –

Schedule

SI. No.	State	District	Tehsil and Village	Name of the Monument sites	Revenue Plots to be taken under protection	Area	Boundaries
1	2	3	4	5	6	7	8
						<i>Hectare</i>	
1	Uttar Pradesh	Agra	Tehsil-Sadar, Village (Pargana) Takhaphtam)	Gandhi Memorial	382	0.5420 Only part of the Gandhi Memorial built in	East -Factory Digger West -Yamuna River North -Road Gandhi Memorial South -Etmauddoula Memorial

Intimation

Objection, if any, to the issue of this notification may be sent in writing and shall be addressed to the Principal Secretary, Uttar Pradesh Shashan, Sanskriti Anubhag, Lucknow/Director Uttar Pradesh State Archaeology Department Kaiserbagh Lucknow or District Magistrate, Agra within one month from the date of the pasting of this notification on the monument.

By Order,
Uma Dwivedi,
Joint Secretary.

संस्कृति विभाग

प्रथम अधिसूचना

14 नवम्बर, 2024 ई०

सं० 3573/चार-2024—उत्तर प्रदेश प्राचीन एवं ऐतिहासिक स्मारकों तथा पुरातत्वीय स्थानों और अवशेषों का परिरक्षण अधिनियम, 1956 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या-7, 1957) के अधीन उत्तर प्रदेश में प्राचीन एवं ऐतिहासिक स्मारकों तथा पुरातत्वीय स्थानों और अवशेषों पर यथा प्रयोज्य एन्शियेन्ट मान्यूमेन्ट्स प्रिजर्वेशन ऐक्ट 1904 (अधिनियम संख्या-7, 1904) की धारा-3 की उपधारा(1) के अधीन प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करके, श्री राज्यपाल नीचे अनुसूची में वर्णित प्राचीन स्मारकों/स्थानों को संरक्षित स्मारक घोषित करने की अधिसूचना जारी करती हैं—

अनुसूची

क्र० सं०	राज्य	जिला	तहसील और ग्राम	स्मारक /स्थान का नाम	संरक्षण के अधीन लिये जाने वाली राजस्व गाटा सं०	क्षेत्रफल	सीमाएं
1	2	3	4	5	6	7	8
1	उत्तर प्रदेश	श्रावस्ती	तहसील- भिगना, ग्राम- खेदपुरवा शिवाजी पुरमवार्ड	प्राचीन शिवाला मन्दिर	780	0.0650 0.073 हेक्टेयर में निर्मित केवल मन्दिर का भाग	पूर्व-गाटा संख्या-776 पश्चिम-गाटा संख्या-781 उत्तर-गाटा संख्या-783 दक्षिण-गाटा संख्या-778

सूचना

उल्लिखित अधिसूचना जारी किये जाने के सम्बन्ध में आपत्तियाँ, यदि कोई हों, प्रमुख सचिव, उ०प्र० शासन, संस्कृति विभाग, बापू भवन, उ०प्र० सचिवालय, लखनऊ, निदेशक, उ०प्र० राज्य पुरातत्व विभाग, छतर मंजिल परिसर, कैसरबाग, लखनऊ अथवा जिलाधिकारी, श्रावस्ती को सम्बोधित करते हुए लिखित रूप में भेजी जा सकती है। केवल उन्हीं आपत्तियों पर विचार किया जायेगा, जो इस अधिसूचना के स्मारक पर चस्पा होने के दिनांक से एक माह के भीतर प्राप्त होंगी।

आज्ञा से,

उमा द्विवेदी,

संयुक्त सचिव।

SANSKRITI DEPARTMENT

The Governor is pleased to Order the publication of the following English translation of Notification

No. 3573/IV-2024 Dated : November 14, 2024 for General Information.

NOTIFICATION

November 14, 2024

No. 3573/IV-2024—In exercise of the powers under Sub-section (1) of the section 3 of the Ancient monuments preservation Act, 1904 (Act no.VII of 1904), as re-enacted by section 3 of the Uttar Pradesh Ancient and Historical Monuments and Archaeological sites and Remains Preservation Act, 1956, (U.P. Act

no.VII of 1957), the Governor is pleased to propose to declare the Ancient Moments Described in the schedule below to be the protected monuments within the meaning the said Act. no. VII of 1904 –

Schedule

SI. No	State	District	Tehsil and Village	Name of the Monument sites	Revenue Plots to be taken under protection	Area	Boundaries
1	2	3	4	5	6	7	8
						<i>Hectares</i>	
1	Uttar Pradesh	Shravasti	Tehsil-Bhigna, Village-Khedupurva, Shivaji puram Ward	Ancient Shiva Temple	780	0.0650 0.073 Only temple part built in	East Revenue Gata No. 776 West Revenue Gata No. 781 North -Revenue Gata No. 783 South -Revenue Gata No. 778

Intimation

Objection, if any, to the issue of this notification may be sent in writing and shall be addressed to the Principal Secretary, Uttar Pradesh Shashan, Sanskriti Anubhag, Lucknow/Director Uttar Pradesh State Archaeology Department Kaiserbagh Lucknow or District Magistrate, Shravasti within one month from the date of the pasting of this notification on the monument.

By Order,
Uma Dwivedi,
Joint Secretary.



सरकारी गज़ट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रकाशित

प्रयागराज, शनिवार, 30 अगस्त, 2025 ई० (भाद्रपद 08, 1947 शक संवत्)

भाग 1-क

नियम, कार्य विधियां, आज्ञायें, विज्ञप्तियां इत्यादि, जिनको उत्तर प्रदेश के राज्यपाल महोदय, विभिन्न विभागों के अध्यक्ष तथा राजस्व परिषद् ने जारी किया।

जनता के प्रयोजनार्थ भूमि नियोजन की विज्ञप्ति

प्रारूप-18

(नियम-20 का उपनियम (2))

समुचित सरकार/कलेक्टर द्वारा प्रारम्भिक अधिसूचना
(अधिनियम की धारा-11 की उपधारा (1) के अन्तर्गत)

उत्तर प्रदेश सरकार

नागरिक उड्डयन विभाग उ०प्र०

दिनांक : 14 अगस्त, 2025 ई०

सं० 1739/आठ-वि०भू०अ०अ०(सं०सं०)वाराणसी-भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा-11 की उपधारा(1) के अधीन जनपद-वाराणसी में लालबहादुर शास्त्री अन्तर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा के विस्तारीकरण हेतु उ०प्र० सरकार/कलेक्टर की राय है कि जनपद-वाराणसी में ग्राम-पुरारघुनाथपुर, करमी, घमहापुर करमी, बसनी, सगुनहां, बैकुण्ठपुर व मंगारी परगना-कोलअसला, तहसील-पिण्डरा में रकबा-13.6836059 हे० भूमि की आवश्यकता है।

2- सामाजिक समाघात निर्धारण एजेन्सी मेसर्स ई.एन.वी. डेवलपमेन्टल असिस्टेन्स सिस्टम (इण्डिया) प्राईवेट लि० लखनऊ द्वारा सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन किया गया है तथा अपनी अनुशंसा प्रस्तुत की गयी। जिसे समुचित सरकार द्वारा दिनांक-04.08.2025 को अनुमोदित किया गया है।

3- सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट का सांराश इस प्रकार है:-

परियोजना की उपयोगिता एवं लाभ के वर्तमान प्रयोग को ध्यान में रखते हुये तथा आवश्यक कुल भूमि का 90 प्रतिशत भूमि आपसी समझौते से प्राप्त कर लेने के दृष्टिगत भूमि के अधिग्रहण की सिफारिश की जाती है।

- 4— भूमि अर्जन के कारण प्रश्नगत ग्राम में कोई परिवार विस्थापित नहीं होगा।
- 5— उत्तर प्रदेश शासन द्वारा जारी शासनादेश सं0-414/एक-13-2014-7क(8)/2014 लखनऊ दिनांक-06 अगस्त 2014, के अनुक्रम में उपजिलाधिकारी, पिण्डरा वाराणसी को प्रभावित परिवारों के पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन के उद्देश्य से प्रशासक नियुक्त किया जाता है।
- 6— अतः राज्यपाल सार्वजनिक प्रयोजन हेतु निम्नलिखित अनुसूची में उल्लिखित भूमि को सामान्य सूचना हेतु अधिसूचित करने के लिये सहर्ष सहमति देती हैं।

अनुसूची

क्र0 सं0	जनपद	तहसील	परगना	ग्राम	भू-खण्ड संख्या	अर्जित किये जाने वाला क्षेत्रफल (हे० में)
1	2	3	4	5	6	7
						हेक्टेयर
1	वाराणसी	पिण्डरा	कोलअसला	पुरारघुनाथपुर	1443	0.027000
2					1444मि0	0.010712
3					1471	0.001000
4					1466 / 1785	0.012000
5					1498	0.024000
6					1499	0.040000
7					1505	0.042000
8					1506क	0.069333
9					1506ख	
10					1506घ	
11					1506ङ	
12					1506ज	
13					1506झ	
14					1713घ	0.001000
15					1647	0.000666
16					1562ख	0.001512
17					1549ख	0.001000
18					1508क	0.020000
19					1508ख	0.086000
20					649	0.205000
21					694	0.013000
22					697ख	0.014000
23					698	0.004083
24					699	0.028332
25					701	0.000500
26					702ङ	0.005812

क्र० सं०	जनपद	तहसील	परगना	ग्राम	भू-खण्ड संख्या	अर्जित किये जाने वाला क्षेत्रफल (हे० में)
1	2	3	4	5	6	7
						हेक्टेयर
27	वाराणसी	पिण्डरा	कोलअसला	पुरारघुनाथपुर	803ख	0.008000
28					702ग	0.058000
29					715ग	0.049000
30					766	0.028000
31					711, 711 / 1751, 711 / 1752,	0.021833
32					715घ	0.003000
33					715ङ	0.010000
34					716	0.033000
35					717क	0.031000
36					718क	0.025333
37					775	0.005966
38					717ख	0.001330
39					718ख	0.007166
40					764 / 1777ङ	0.012000
41					764 / 1778	0.069000
42					740क	0.007000
43					740ख	0.018000
44					745	0.006000
45					746	0.004000
46					770ख	0.018000
47					741	0.578600
48					748	0.207900
49					749	0.077100
50					752	0.021150
51					758	0.277100
52					760	0.008000
53					743	0.021002
54					764ग	0.050998
55					771	0.114667
56					773	0.020000
57					776क	0.004000

क्र० सं०	जनपद	तहसील	परगना	ग्राम	भू-खण्ड संख्या	अर्जित किये जाने वाला क्षेत्रफल (हे० में)
1	2	3	4	5	6	7
						हेक्टेयर
58	वाराणसी	पिण्डरा	कोलअसला	पुरारघुनाथपुर	1815	0.096000
59					795	0.007000
60					797	0.001000
61					810क	0.006625
62					816	0.066594
63					852	0.001400
64					853	0.022400
65					856क	0.003000
66					856ख	0.001000
67					913	0.043000
68					915	0.215000
69					636	0.030333
70					290	0.000500
71					291	0.064166
72					293क	0.003113
73					293ग	0.006000
74					293घ	0.008000
75					293ङ	0.005000
76					304	0.180250
77					305	0.034330
78					309	0.036000
79					313	0.014250
80					317	0.043500
81					319	0.009000
82					325	0.010200
83					326	0.012250
84					331	0.004000
85					332	0.016000
86					333	0.020000
87					394	0.472867
88					395	0.004000

क्र० सं०	जनपद	तहसील	परगना	ग्राम	भू-खण्ड संख्या	अर्जित किये जाने वाला क्षेत्रफल (हे० में)
1	2	3	4	5	6	7
						हेक्टेयर
89	वाराणसी	पिण्डरा	कोलअसला	पुरारघुनाथपुर	396	0.011250
90					406	0.032250
91					417	0.202000
92					411	0.004000
93					439	0.102000
94					446	0.050000
95					447	0.029000
96					448	0.033100
97					455	0.036000
98					457	0.018660
99					459	0.016000
100					470	0.004000
101					467घ	0.010000
102					467ङ	0.005786
103					467ख	0.004000
104					467छ	0.012000
105					472	0.108000
106					677	0.409000
107					682	0.017334
108					822	0.006000
109					823	0.026500
110					829	0.014250
111					839	0.001000
112					840	0.010667
113					841क	0.000666
114					841ख	0.002000
115					841ग	0.002721
116					311 / 1742	0.016000

क्र० सं०	जनपद	तहसील	परगना	ग्राम	भू-खण्ड संख्या	अर्जित किये जाने वाला क्षेत्रफल (हे० में)
1	2	3	4	5	6	7
						हेक्टेयर
117	वाराणसी	पिण्डरा	कोलअसला	पुरारघुनाथपुर	858 / 1779	0.012000
118					494	0.028000
119					718क	0.020600
120					718ख	0.006000
121					759	0.217500
122					293छ	0.004000
123					467छ	0.012000
124					917 / 1775	0.008000
125					766	0.001000
126					821	0.249000
127					328ख	0.036000
128					723	0.001000
129					1497	0.022000
130					1445	0.011000
131					1650क	0.006000
132					1646	0.020000
					योग ...	5.678157
1	वाराणसी	पिण्डरा	कोलअसला	करमी	222मि०	0.00300000
2					222 / 1	0.01800000
3					356	0.00350000
4					65	0.10000000
5					65 / 4	0.03377600
6					69	0.15864000
7					70मि०	0.04500000
8					71मि०	0.03550000
9					299	0.36300000
10					300 / 1मि०	0.01800000
11					303मि०	0.03000000

क्र० सं०	जनपद	तहसील	परगना	ग्राम	भू-खण्ड संख्या	अर्जित किये जाने वाला क्षेत्रफल (हे० में)
1	2	3	4	5	6	7
						हेक्टेयर
12	वाराणसी	पिण्डरा	कोलअसला	करमी	304मि०	0.05750000
13					308मि०	0.02500000
14					309मि०	0.03600000
15					313	0.00500000
16					314 / 1	0.01100000
17					316 / 1	0.00260100
18					528 / 1	0.02800000
19					529 / 1	0.01800000
20					530 / 1	0.01033400
21					532 / 1मि०	0.01000000
22					532 / 1मि०	0.03100000
23					532 / 2	0.00500000
24					533मि०	0.03483400
25					564मि०	0.02400000
26					564 / 3	0.01400000
27					564 / 3	0.00400000
28					578	0.01250000
29					579 / 1	0.01250000
30					767मि०	0.08300000
31					768मि०	0.03600000
32					769	0.03000000
33					770	0.09325000
34					781 / 2	0.01500000
35					781 / 4	0.00525000
36					59 / 1	0.19502000
37					60	0.07533340
38					61 / 1	0.16200000
39					62 / 796	0.00700000

क्र० सं०	जनपद	तहसील	परगना	ग्राम	भू-खण्ड संख्या	अर्जित किये जाने वाला क्षेत्रफल (हे० में)
1	2	3	4	5	6	7
						हेक्टेयर
40	वाराणसी	पिण्डरा	कोलअसला	करमी	63	0.08100000
41					588	0.03500000
42					296 / 2	0.03100000
43					296 / 3	0.08400000
44					296 / 4	0.03700000
45					296 / 1	0.06500000
46					296 / 7	0.02200000
47					296 / 7 / 3	0.33600000
48					296 / 8	0.02600000
49					291 / 1	0.04900000
50					584	0.08200000
51					567	0.02880800
52					577	0.00500000
53					586	0.04400000
54					589	0.00025000
55					592	0.00167100
56					597	0.02500000
57					598	0.02000000
58					599	0.03000000
59					600	0.06418000
60					601	0.05600000
61					779	0.00933400
62					479	0.09000000
63					481 / 1	0.02000000
					योग—	3.0937814

क्र० सं०	जनपद	तहसील	परगना	ग्राम	भू-खण्ड संख्या	अर्जित किये जाने वाला क्षेत्रफल (हे० में)
1	2	3	4	5	6	7
						हेक्टेयर
1	वाराणसी	पिण्डरा	कोलअसला	घमहापुर करमी	8	0.00500000
2					12	0.00760000
3					20	0.06861000
4					21	0.11600000
5					22	0.03100000
6					25	0.07900000
7					35	0.00934000
8					57	0.29500000
9					61	0.00600000
10					87	0.40798000
11					98	0.05700000
12					129क	0.00556220
13					149	0.05349700
14					151	0.01404620
15					175	0.05570000
16					183	0.02000000
17					188	0.09785000
18					189	0.41100000
19					192	0.00318910
20					204	0.05000000
21					6	0.01600000
22					162	0.02700000
23					240	0.00200000
24					184 / 275	0.00900000
					योग—	1.8473745

क्र० सं०	जनपद	तहसील	परगना	ग्राम	भू-खण्ड संख्या	अर्जित किये जाने वाला क्षेत्रफल (हे० में)
1	2	3	4	5	6	7
						हेक्टेयर
1	वाराणसी	पिण्डरा	कोलअसला	बसनी	398	0.016875
2					429	0.009
3					435	0.002813
4					437	0.153002
5					440	0.1
6					441	0.066579
7					452	0.045
8					453	0.0002572
9					542	0.017
10					549	0.01
11					553	0.0108334
12					554	0.012802
13					555	0.0255
14					556	0.044
15					557	0.22
16					561	0.06334
17					565	0.009666
18					566	0.015885
19					581	0.3525
20					592	0.0112224
21					601	0.066
22					602	0.016
23					614ग	0.001113
24					614ख	0.000947
25					630	0.028
26					646	0.97
27					667	0.002
28					689	0.012

क्र० सं०	जनपद	तहसील	परगना	ग्राम	भू-खण्ड संख्या	अर्जित किये जाने वाला क्षेत्रफल (हे० में)
1	2	3	4	5	6	7
						हेक्टेयर
29	वाराणसी	पिण्डरा	कोलअसला	बसनी	826	0.022
30					834	0.08
31					840	0.04
1				सगुनहां	6मि०	0.016
1				बैकुण्ठपुर	227	0.004
1				मंगारी	69मि०	0.041108
2					65	0.093000
3					102मि०	0.162000
4					120मि०	0.067000
5					45मि०	0.023000
6					29	0.001000
7					44मि०	0.007850
8					47मि०	0.225000
					योग ...	0.619958
					कुल योग ...	13.6836059

6— अधिनियम की धारा-12 के अन्तर्गत निर्दिष्ट एवं प्राविधानित भूमि अधिग्रहण के प्रयोजन हेतु आवश्यक कदम उठाये जाने के लिये तथा भूमि का सर्वेक्षण, किसी भूमि के लिये समतलीकरण, खुदाई करने तथा कार्य के समुचित क्रियान्वयन हेतु सभी आवश्यक क्रियायें करने के लिये राज्यपाल कलेक्टर प्राधिकृत करने हेतु निर्देश देते हैं।

7— अधिनियम की धारा-15 के अन्तर्गत कोई भी व्यक्ति, जिसका हित भूमि में निहित हो अधिसूचना के प्रकाशन के 60 दिन के अन्दर अपने क्षेत्र में भूमि अधिग्रहण के विरुद्ध लिखित रूप से कलेक्टर, वाराणसी को आपत्ति प्रस्तुत कर सकता है।

8— अधिनियम की धारा-11(4) के अंतर्गत कोई व्यक्ति अधिसूचना के प्रकाशन तिथि से भूमि अधिग्रहण की कार्यवाही पूर्ण होने तक कलेक्टर, वाराणसी के पूर्व अनुमोदन के बिना प्रारम्भिक अधिसूचना में निर्दिष्ट भूमि का सव्यवहार यथा विक्रय/क्रय या उस भूमि में कोई भार उत्पन्न नहीं कर सकता है।

टिप्पणी:—उक्त भूमि का स्थल नक्शा कलेक्टर, वाराणसी के कार्यालय में देखा जा सकता है।

(ह०) अस्पष्ट,
राज्य सरकार/
जिला कलेक्टर
वाराणसी।

FORM-18**[Sub-rule(2) of rule 20]**

**PRELIMINARY NOTIFICATION BY APPROPRIATE
GOVERNMENT/COLLECTOR [UNDER SUB-SECTION (1) OF SECTION 11
OF THE ACT, 2013]**

GOVERNMENT OF UTTAR PRADESH**NAGARIK UDDAYAN VIBHAG UTTAR PRADESH****NOTIFICATION**

Date : 14 August, 2025

No. 1739/VIII-S.L.A.O.(J.O.)Varanasi—Under sub-section (1) of section 11 of the Right to Fair Compensation and Transparency in Rehabilitation and Resettlement Act, 2013, Whereas the Government of Uttar Pradesh/Collector for the purpose of Development For Extension of the Lal Bahadur Shastri International Airport in Varanasi is satisfied that a total of 13.6836059 hectares land is required in the Village Puraraghunathpur, Karmi, Ghamahapur Karmi, Basani, Sagunaha, Baikunthpur and Magari, Pargana Kolasala, Tehsil Pindra, District Varanasi through Nagarik Uddayan Vibhag Uttar Pradesh.

2. Social Impact Assessment study was carried out by M/s ENV Development Assistantce System (I) Pvt. Ltd. C-363, Indra Nagar, Lucknow and it has submitted its recommendations to the Appropriate Government Agency which has approved its recommendation on dated 04.08.2025.

3. The Summary of the Social Impact Assessment Report as follows:

Keeping in view the utility and benefits of the present usage and also the fact that almost 90 percent of the land needed has been already purchased with mutual agreement, the acquisition is hereby recommended.

4. Due to land acquisition no family is being displaced in the said village.

5. In the sequence of Government Order No. 0-414/One-13-2014-7A(8)/2014 Lucknow dated 06 August 2014, issued by the Government of Uttar Pradesh, The Sub-Divisional Officer, Pindra is appointed as Administrator for the purpose of rehabilitation and resettlement of the affected families.

6. Therefore, the Governor is pleased to accept and notify for general information that land mentioned in the Schedule given below is needed for public purpose.

SCHEDULE

Sl. No.	District	Tehsil	Pargana	Village	Plot No.	Area to be acquired
1	2	3	4	5	6	7
						<i>Hectare</i>
1	Varanasi	Pindra	Kolasala	Puraraghunathpur	1443	0.027000
2					1444मि०	0.010712
3					1471	0.001000
4					1466 / 1785	0.012000
5					1498	0.024000
6					1499	0.040000

Sl. No.	District	Tehsil	Pargana	Village	Plot No.	Area to be acquired
1	2	3	4	5	6	7
						<i>Hectare</i>
7	Varanasi	Pindra	Kolasala	Puraraghunathpur	1505	0.042000
8					1506क	0.069333
9					1506ख	
10					1506घ	
11					1506ङ	
12					1506ज	
13					1506झ	
14					1713घ	0.001000
15					1647	0.000666
16					1562ख	0.001512
17					1549ख	0.001000
18					1508क	0.020000
19					1508ख	0.086000
20					649	0.205000
21					694	0.013000
22					697ख	0.014000
23					698	0.004083
24					699	0.028332
25					701	0.000500
26					702ङ	0.005812
27					803ख	0.008000
28					702ग	0.058000
29					715ग	0.049000
30					766	0.028000
31					711, 711 / 1751, 711 / 1752,	0.021833
32					715घ	0.003000
33					715ङ	0.010000

Sl. No.	District	Tehsil	Pargana	Village	Plot No.	Area to be acquired
1	2	3	4	5	6	7
						<i>Hectare</i>
34	Varanasi	Pindra	Kolasala	Puraraghunathpur	716	0.033000
35					717क	0.031000
36					718क	0.025333
37					775	0.005966
38					717ख	0.001330
39					718ख	0.007166
40					764 / 1777ड	0.012000
41					764 / 1778	0.069000
42					740क	0.007000
43					740ख	0.018000
44					745	0.006000
45					746	0.004000
46					770ख	0.018000
47					741	0.578600
48					748	0.207900
49					749	0.077100
50					752	0.021150
51					758	0.277100
52					760	0.008000
53					743	0.021002
54					764ग	0.050998
55					771	0.114667
56					773	0.020000
57					776क	0.004000
58					1815	0.096000
59					795	0.007000
60					797	0.001000
61					810क	0.006625

Sl. No.	District	Tehsil	Pargana	Village	Plot No.	Area to be acquired
1	2	3	4	5	6	7
						<i>Hectare</i>
62	Varanasi	Pindra	Kolasala	Puraraghunathpur	816	0.066594
63					852	0.001400
64					853	0.022400
65					856क	0.003000
66					856ख	0.001000
67					913	0.043000
68					915	0.215000
69					636	0.030333
70					290	0.000500
71					291	0.064166
72					293क	0.003113
73					293ग	0.006000
74					293घ	0.008000
75					293ङ	0.005000
76					304	0.180250
77					305	0.034330
78					309	0.036000
79					313	0.014250
80					317	0.043500
81					319	0.009000
82					325	0.010200
83					326	0.012250
84					331	0.004000
85					332	0.016000
86					333	0.020000
87					394	0.472867
88					395	0.004000
89					396	0.011250

Sl. No.	District	Tehsil	Pargana	Village	Plot No.	Area to be acquired
1	2	3	4	5	6	7
						<i>Hectare</i>
90	Varanasi	Pindra	Kolasala	Puraraghunathpur	406	0.032250
91					417	0.202000
92					411	0.004000
93					439	0.102000
94					446	0.050000
95					447	0.029000
96					448	0.033100
97					455	0.036000
98					457	0.018660
99					459	0.016000
100					470	0.004000
101					467घ	0.010000
102					467ङ	0.005786
103					467ख	0.004000
104					467छ	0.012000
105					472	0.108000
106					677	0.409000
107					682	0.017334
108					822	0.006000
109					823	0.026500
110					829	0.014250
111					839	0.001000
112					840	0.010667
113					841क	0.000666
114					841ख	0.002000
115					841ग	0.002721
116					311 / 1742	0.016000
117					858 / 1779	0.012000

Sl. No.	District	Tehsil	Pargana	Village	Plot No.	Area to be acquired
1	2	3	4	5	6	7
						<i>Hectare</i>
118	Varanasi	Pindra	Kolasala	Puraraghunathpur	494	0.028000
119					718क	0.020600
120					718ख	0.006000
121					759	0.217500
122					293छ	0.004000
123					467छ	0.012000
124					917 / 1775	0.008000
125					766	0.001000
126					821	0.249000
127					328ख	0.036000
128					723	0.001000
129					1497	0.022000
130					1445	0.011000
131					1650क	0.006000
132					1646	0.020000
					Total...	5.678157
1				Karmi	222मि0	0.00300000
2					222 / 1	0.01800000
3					356	0.00350000
4					65	0.10000000
5					65 / 4	0.03377600
6					69	0.15864000
7					70मि0	0.04500000
8					71मि0	0.03550000
9					299	0.36300000
10					300 / 1मि0	0.01800000
11					303मि0	0.03000000
12					304मि0	0.05750000

Sl. No.	District	Tehsil	Pargana	Village	Plot No.	Area to be acquired
1	2	3	4	5	6	7
						<i>Hectares</i>
13	Varanasi	Pindra	Kolasala	Karmi	308मि०	0.02500000
14					309मि०	0.03600000
15					313	0.00500000
16					314 / 1	0.01100000
17					316 / 1	0.00260100
18					528 / 1	0.02800000
19					529 / 1	0.01800000
20					530 / 1	0.01033400
21					532 / 1मि०	0.01000000
22					532 / 1मि०	0.03100000
23					532 / 2	0.00500000
24					533मि०	0.03483400
25					564मि०	0.02400000
26					564 / 3	0.01400000
27					564 / 3	0.00400000
28					578	0.01250000
29					579 / 1	0.01250000
30					767मि०	0.08300000
31					768मि०	0.03600000
32					769	0.03000000
33					770	0.09325000
34					781 / 2	0.01500000
35					781 / 4	0.00525000
36					59 / 1	0.19502000
37					60	0.07533340
38					61 / 1	0.16200000
39					62 / 796	0.00700000
40					63	0.08100000

Sl. No.	District	Tehsil	Pargana	Village	Plot No.	Area to be acquired
1	2	3	4	5	6	7
						<i>Hectares</i>
41	Varanasi	Pindra	Kolasala	Karmi	588	0.03500000
42					296 / 2	0.03100000
43					296 / 3	0.08400000
44					296 / 4	0.03700000
45					296 / 1	0.06500000
46					296 / 7	0.02200000
47					296 / 7 / 3	0.33600000
48					296 / 8	0.02600000
49					291 / 1	0.04900000
50					584	0.08200000
51					567	0.02880800
52					577	0.00500000
53					586	0.04400000
54					589	0.00025000
55					592	0.00167100
56					597	0.02500000
57					598	0.02000000
58					599	0.03000000
59					600	0.06418000
60					601	0.05600000
61					779	0.00933400
62					479	0.09000000
63					481 / 1	0.02000000
					Total ...	3.0937814
1				Ghamahapur Karmi	8	0.00500000
2					12	0.00760000
3					20	0.06861000
4					21	0.11600000

Sl. No.	District	Tehsil	Pargana	Village	Plot No.	Area to be acquired
1	2	3	4	5	6	7
						<i>Hectares</i>
5	Varanasi	Pindra	Kolasala	Ghamahapur Karmi	22	0.03100000
6					25	0.07900000
7					35	0.00934000
8					57	0.29500000
9					61	0.00600000
10					87	0.40798000
11					98	0.05700000
12					129क	0.00556220
13					149	0.05349700
14					151	0.01404620
15					175	0.05570000
16					183	0.02000000
17					188	0.09785000
18					189	0.41100000
19					192	0.00318910
20					204	0.05000000
21					6	0.01600000
22					162	0.02700000
23					240	0.00200000
24					184 / 275	0.00900000
					Total ...	1.8473745
1				Basani	398	0.016875
2					429	0.009
3					435	0.002813
4					437	0.153002
5					440	0.1
6					441	0.066579
7					452	0.045

Sl. No.	District	Tehsil	Pargana	Village	Plot No.	Area to be acquired
1	2	3	4	5	6	7
						<i>Hectares</i>
8	Varanasi	Pindra	Kolasala	Basani	453	0.0002572
9					542	0.017
10					549	0.01
11					553	0.0108334
12					554	0.012802
13					555	0.0255
14					556	0.044
15					557	0.22
16					561	0.06334
17					565	0.009666
18					566	0.015885
19					581	0.3525
20					592	0.0112224
21					601	0.066
22					602	0.016
23					614म	0.001113
24					614ख	0.000947
25					630	0.028
26					646	0.97
27					667	0.002
28					689	0.012
29					826	0.022
30					834	0.08
31					840	0.04
					Total ...	2.424335
1				Sagunha	6मि०	0.016
					Total ...	0.016

Sl. No.	District	Tehsil	Pargana	Village	Plot No.	Area to be acquired
1	2	3	4	5	6	7
						<i>Hectare</i>
1	Varanasi	Pindra	Kolasala	Baikunthpur	227	0.004
1				Magari	69मि०	0.041108
2					65	0.093000
3					102मि०	0.162000
4					120मि०	0.067000
5					45मि०	0.023000
6					29	0.001000
7					44मि०	0.007850
8					47मि०	0.225000
Total ...						0.619958
Grand Total ...						13.6836059

6. The Hon'ble Governor is also pleased to authorize the Collector, District-Varanasi for the purpose of land acquisition to take necessary steps to enter upon, conduct survey of land, take levels of any land, dig into the *sub-soil* and do all the Acts required for the proper execution of work as provided and specified under section-12 of the Act.

7. Under section 15 of the Act, any person whose interest lies in the land in question may within a period of 60 days after the publication of this notification, make an objection on acquisition of land in the locality in writing to the Collector, Varanasi.

8. Under section 11(4) of the Act, no person without prior approval of the Collector-Varanasi shall make any transaction or cause any transaction of land *i.e.* sale/ purchase, specified in the preliminary notification or create any encumbrances on such land from the date of publication of such notification till such time as the proceedings of land acquisition is completed, without prior approval of the Collector.

NOTE: A plan of land taken up for such acquisition can be seen in the Office of the Collector, Varanasi.

(Sd.) Illegible,
State Government/
District Collector,
Varanasi.

जनता के प्रयोजनार्थ भूमि नियोजन की विज्ञप्ति**प्रारूप-19****(नियम-27 का उपनियम (1)****समुचित सरकार/कलेक्टर द्वारा घोषणा****(अधिनियम की धारा-19 की उपधारा (1) के अन्तर्गत)****उत्तर प्रदेश सरकार****वाराणसी विकास प्राधिकरण****अधिसूचना**

दिनांक 25 अगस्त, 2025 ई0

सं0 1784/आठ-वि0भू0अ0अ0 (सं0सं0) वाराणसी-वाराणसी विकास प्राधिकरण वाराणसी के द्वारा अपेक्षित सार्वजनिक प्रयोजन यथा सार्वजनिक प्रयोजन पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम के रूप में रोप-वे की पायलट परियोजना हेतु ग्राम-कोतवालपुरा, तहसील-सदर, परगना-देहात अमानत, जनपद-वाराणसी स्थित ग्राम-रामापुरा, तहसील-सदर, परगना-देहात अमानत, जनपद-वाराणसी स्थित आराजी सं0-830 रकबा-89 वर्ग मीटर भूमि प्रस्तावित है। भूमि के सम्बन्ध में भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा-11 की उपधारा (1) के अन्तर्गत जो प्रारम्भिक अधिसूचना संख्या-857/आठ-वि0भू0अ0अ0 (सं0सं0) वाराणसी दिनांक 08.05.2025 को निर्गत की गयी थी तथा अन्तिम रूप में दिनांक-17.05.2025 को प्रकाशित की गयी थी। उपजिलाधिकारी, सदर, वाराणसी को परियोजना प्रभावित परिवारों के पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन के उद्देश्य से प्रशासक नियुक्त किया गया है।

अधिनियम की धारा-15 की उपधारा (2) के प्राविधानों के अनुपालन में कलेक्टर द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट के विचारोपरान्त धारा-19(1) के अन्तर्गत राज्यपाल घोषणा करने का निर्देश देते हैं कि उन्हें यह समाधान हो गया है कि अनुसूची "क" में वर्णित भूमि का क्षेत्रफल सार्वजनिक प्रयोजन हेतु आवश्यक है तथा अनुसूची "ख" में उल्लिखित जिला-वाराणसी, तहसील-सदर, परगना-देहात अमानत, ग्राम-रामापुरास्थित रकबा-0.0089हे0 अथवा 89 वर्गमीटर भूमि अधिग्रहण के फलस्वरूप कोई परिवार विस्थापित नहीं हो रहा है।

राज्यपाल अग्रेत्तर निर्देश देते हैं कि अधिनियम की धारा-19 की उपधारा (2) के अधीन इस प्रभाव की घोषणा के प्रकाशन के साथ पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन योजना के सारांश के प्रकाशन हेतु कलेक्टर को निर्देशित करते हैं। पुनर्वास एवं पुनर्व्यवस्थापन योजना का सारांश इसके साथ संलग्न है।

अनुसूची-क**(प्रस्तावित अर्जन के अन्तर्गत भूमि)**

जनपद	तहसील	परगना	ग्राम	भू-खण्ड संख्या	अर्जित किये जाने वाला क्षेत्रफल
1	2	3	4	5	6
					हेक्टर
वाराणसी	सदर	देहात अमानत	रामापुरा	830	0.0089

अनुसूची-ख

(विस्थापित परिवारों के लिये व्यवस्थापन क्षेत्र के रूप में चिन्हित भूमि)

जनपद	तहसील	परगना	ग्राम	भू-खण्ड संख्या	पुनर्वासन हेतु चिन्हित क्षेत्रफल
1	2	3	4	5	6
					हेक्टर
वाराणसी	सदर	देहात अमानत	रामापुरा	830	शून्य

प्रशासक के आख्या दिनांक 25.08.2025 के अनुसार परियोजना हेतु भूमि अधिग्रहण के फलस्वरूप कोई परिवार विस्थापित नहीं हो रहा है।

टिप्पणी—उक्त भूमि का स्थल नक्शा जनपद-वाराणसी के कलेक्टर के कार्यालय में देखा जा सकता है।

(ह0) अस्पष्ट,
जिला कलेक्टर,
वाराणसी।

FORM-19

(Sub-rule (1) of rule-27)

Declaration by the appropriate Government/Collector

(Under sub-section (1) of section 19 of the Act)

Government of Uttar Pradesh

Varanasi development Authority, Varanasi

NOTIFICATION

Dated : 25 August, 2025

No. 1784/VIII-S.L.A.O.(J.O.)Varanasi—Whereas preliminary notification No. 857 dated 08.05.2025 was issued under Sub-section (1) of Section 11 of the right to fair compensation and transparency in rehabilitation and Resettlement Act, 2013 in respect of 0.0089 hectaers of land in Village-Ramapura Pargana-Dehat Amanat. Tehsil-Sadar Distric-Varanasi is required for public purpose, namely, project Varanasi Devolopment Authority, Varanasi such as for implementation of pilot project of Ropeway as a

public transport system, District Varanasi through Varanasi Development Authority, Varanasi and lastly published on date 17.05.2025. The SDM Sadar, Varanasi is appointed as administrator for the purpose of rehabilitation and resettlement of the project affected families.

After considering the report submitted by the Collector submitted in pursuance to provision under Sub-section (2) of Section-15 of the Act, governor is pleased to declare under section 19 (1) of the Act that he is satisfied that the area of land mentioned in the given schedule "A" is needed for public purpose and no family is being displaced as a result of the acquisition of 0.0089 Hect. of land in the above schedule "B" of the mentioned District-Varanasi, Tehsil-Sadar, Pargana-Dehat Amanat, Village-Ramapura.

The Hon'ble Governor is further pleased under Sub-section (2) of Section-19 of the Act, to direct the collector to publish a summary of the Rehabilitation and Resettlement scheme with publication of the declaration to this effect. The summary of the Rehabilitation and Resettlement scheme is attached here with.

SCHEDULE-A

(Land under proposed Acquisition)

District	Tehsil	Pargana	Village	Plot No.	Area
1	2	3	4	5	6
					<i>Hectare</i>
Varanasi	Sadar	Dehat Amanat	Ramapura	830	0.0089

SCHEDULE-B

(Land Identified as Settlement Area for Displaced Families)

District	Tehsil	Pargana	Village	Plot No.	Area earmarked for Rehabilitation
1	2	3	4	5	6
					<i>Hectare</i>
Varanasi	Sadar	Dehat Amanat	Ramapura	830	Nil

According to the Administrator report date 25.08.2025, no family is being displaced as a result of land acquisition for the project.

NOTE: A plan of land taken up for such acquisition can be seen in the office of the Collector, Varanasi.

*(Sd.) Illegible,
Collector,
Varanasi.*



सरकारी गज़ट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रकाशित

प्रयागराज, शनिवार, 30 अगस्त, 2025 ई० (भाद्रपद 08, 1947 शक संवत्)

भाग 3

स्वायत्त शासन विभाग का क्रोड़पत्र, खण्ड ग-निर्वाचन (स्थानीय निकाय) तथा खण्ड घ-जिला पंचायत।

खण्ड-घ

जिला पंचायत

जिला पंचायत, रामपुर

उपविधि संशोधन

20 जून, 2025 ई०

सं० 688/तेईस-01(2024-25)एम०ए०-2-सं० 1210/23-16 (2008-09) न०पा०सहा०-द्वितीय-उत्तर प्रदेश क्षेत्र पंचायत एवं जिला पंचायत अधिनियम, 1961 की धारा-239(2) (घ) के अन्तर्गत जनपद-रामपुर के ग्रामीण क्षेत्रों में दुकानों, फेरी, पेट्रोल पम्प, ढाबे आदि को नियंत्रित एवं नियमित करने सम्बन्धी उपविधि जिसका प्रकाशन विज्ञप्ति संख्या 2855/21-46(73-74), दिनांक 11 अगस्त, 1975 में हुआ था एवं जिसमें संशोधन विज्ञप्ति संख्या 1446/23-15 (2000-2001) एम०ए०-2, दिनांक 9 जुलाई, 2001 में हुआ था, उक्त उपविधि में अन्तिम संशोधन दिनांक 19 सितम्बर, 2009 को हुआ था, में पुनः निम्नलिखित संशोधन किया गया है जो उत्तर प्रदेश शासकीय गजट में प्रकाशन की तिथि से प्रभावी होंगे-

पूर्व स्वीकृत उपनियम संख्या (2)			संशोधित स्वीकृत उपनियम संख्या (2)		
1	2	3	1	2	3
		रु०			रु०
1	कपड़े की फुटकर दुकान	220.00	1	कपड़े की फुटकर दुकान	240.00
2	कपड़े की थोक दुकान	330.00	2	कपड़े की थोक दुकान	360.00

1	2	3	1	2	3
		रु0			रु0
3	परचून की दुकान	110.00	3	परचून की दुकान	120.00
4	हलवाई की दुकान	220.00	4	हलवाई की दुकान	240.00
5	चाय एवं लस्सी की दुकान	110.00	5	चाय एवं लस्सी की दुकान	120.00
6	इमारती लोहे की दुकान	220.00	6	इमारती लोहे की दुकान	240.00
7	इमारती लकड़ी एवं फर्नीचर की दुकान	220.00	7	इमारती लकड़ी एवं फर्नीचर की दुकान	240.00
8	प्लास्टिक के जूते व फर्नीचर की दुकान	110.00	8	प्लास्टिक के जूते व फर्नीचर की दुकान	120.00
9	अन्य प्रकार के जूते, चप्पल की दुकान	220.00	9	अन्य प्रकार के जूते, चप्पल की दुकान	240.00
10	गल्ला एवं किराना की थोक दुकान	220.00	10	गल्ला एवं किराना की थोक दुकान	240.00
11	गल्ला एवं किराना की फुटकर दुकान	160.00	11	गल्ला एवं किराना की फुटकर दुकान	180.00
12	सोना, चाँदी और आभूषण की दुकान (क्रय-विक्रय)	330.00	12	सोना, चाँदी और आभूषण की दुकान (क्रय-विक्रय)	360.00
13	बर्तन की दुकान	160.00	13	बर्तन की दुकान	180.00
14	पुस्तकें, कापियों एवं स्टेशनरी की दुकान	110.00	14	पुस्तकें, कापियों एवं स्टेशनरी की दुकान	120.00
15	मेडिकल स्टोर	220.00	15	मेडिकल स्टोर	240.00
16	डीजल, मिट्टी का तेल, मोबिल ऑयल फुटकर विक्रेता	220.00	16	डीजल, मिट्टी का तेल, मोबिल ऑयल फुटकर विक्रेता	240.00
17	लकड़ी की टाल अथवा कोयले की दुकान	160.00	17	लकड़ी की टाल अथवा कोयले की दुकान	180.00
18	पेट्रोल एवं डीजल पम्प	2,000.00	18	पेट्रोल एवं डीजल पम्प	2,200.00
	(1) डीजल पम्प	1,250.00		(1) डीजल पम्प	1,380.00
	(2) पेट्रोल एवं डीजल पम्प संयुक्त	2,500.00		(2) पेट्रोल एवं डीजल पम्प संयुक्त	2,750.00
19	सोने, चाँदी और आभूषण बनाने वाले कारीगर की दुकान	160.00	19	सोने, चाँदी और आभूषण बनाने वाले कारीगर की दुकान	180.00
20	लोहे के बने घरेलू सामान की फुटकर दुकान	110.00	20	लोहे के बने घरेलू सामान की फुटकर दुकान	120.00

1	2	3	1	2	3
		रु0			रु0
21	हार्डवेयर की दुकान	110.00	21	हार्डवेयर की दुकान	120.00
22	सिलाई मशीन बिक्री व मरम्मत तथा उससे सम्बन्धित सामान की दुकान	110.00	22	सिलाई मशीन बिक्री व मरम्मत तथा उससे सम्बन्धित सामान की दुकान	120.00
23	टाइपराइटर ब्रिकी अथवा मरम्मत की दुकान	110.00	23	टाइपराइटर ब्रिकी अथवा मरम्मत की दुकान	120.00
24	कपड़े की सिलाई की एक मशीन की दुकान	110.00	24	कपड़े की सिलाई की एक मशीन की दुकान	120.00
25	कपड़े की सिलाई की एक से अधिक मशीन की दुकान	160.00	25	कपड़े की सिलाई की एक से अधिक मशीन की दुकान	180.00
26	घड़ी की मरम्मत की दुकान	110.00	26	घड़ी की मरम्मत की दुकान	120.00
27	घड़ी व उसके पार्ट्स की ब्रिकी की दुकान	160.00	27	घड़ी व उसके पार्ट्स की ब्रिकी की दुकान	180.00
28	पान, बीड़ी, सिगरेट की दुकान	110.00	28	पान, बीड़ी, सिगरेट की दुकान	120.00
29	चाय, पान, बीड़ी, सिगरेट सम्मिलित दुकान	110.00	29	चाय, पान, बीड़ी, सिगरेट सम्मिलित दुकान	120.00
30	शर्बत, लस्सी, सोडा वाटर की दुकान	110.00	30	शर्बत, लस्सी, सोडा वाटर की दुकान	120.00
31	घी, दूध की दुकान	110.00	31	घी, दूध की दुकान	120.00
32	होजरी एवं रेडीमेड कपड़े की दुकान	110.00	32	होजरी एवं रेडीमेड कपड़े की दुकान	120.00
33	जनरल स्टोर की दुकान	110.00	33	जनरल स्टोर की दुकान	120.00
34	जूतों के अलावा चमड़ा व चमड़े के बने	110.00	34	जूतों के अलावा चमड़ा व चमड़े के बने	120.00
35	कपड़े आदि सभी प्रकार के फेरी की दुकान	110.00	35	कपड़े आदि सभी प्रकार के फेरी की दुकान	120.00
36	साइकिल तथा साइकिल के पार्ट्स की दुकान	220.00	36	साइकिल तथा साइकिल के पार्ट्स की दुकान	240.00
37	साइकिल मरम्मत की दुकान	110.00	37	साइकिल मरम्मत की दुकान	120.00
38	कृषि सम्बन्धी मशीनरी तथा औजारों की दुकान	220.00	38	कृषि सम्बन्धी मशीनरी तथा औजारों की दुकान	240.00

1	2	3	1	2	3
39	पम्पिंग सेट की दुकान	220.00	39	पम्पिंग सेट की दुकान	240.00
40	फल की दुकान	110.00	40	फल की दुकान	120.00
41	सब्जी की थोक दुकान (आढ़त)	220.00	41	सब्जी की थोक दुकान (आढ़त)	240.00
42	सब्जी की फुटकर की दुकान	110.00	42	सब्जी की फुटकर की दुकान	120.00
43	हर प्रकार के बाजे, ट्रांजिस्टर, लाउड स्पीकर मरम्मत व ब्रिकी की दुकान	220.00	43	हर प्रकार के बाजे, ट्रांजिस्टर, लाउड स्पीकर मरम्मत व ब्रिकी की दुकान	240.00
44	बिजली से सम्बन्धित सामान की बिक्री एवं मरम्मत की दुकान	110.00	44	बिजली से सम्बन्धित सामान की बिक्री एवं मरम्मत की दुकान	120.00
45	लांड्री (कपड़े धोने की) दुकान	110.00	45	लांड्री (कपड़े धोने की) दुकान	120.00
46	सैलून (बाल काटने की) दुकान	110.00	46	सैलून (बाल काटने की) दुकान	120.00
47	समस्त प्रकार के बीज की दुकान	110.00	47	समस्त प्रकार के बीज की दुकान	120.00
48	कार, जीप, ट्रक, ट्रैक्टर, मोटर साइकिल की एवं बिक्री व उसके पार्ट्स की दुकान	220.00	48	कार, जीप, ट्रक, ट्रैक्टर, मोटर साइकिल की एवं बिक्री व उसके पार्ट्स की दुकान	240.00
49	खाने के ढाबे व छोटे होटल	550.00	49	खाने के ढाबे व छोटे होटल	610.00
50	बड़े होटल तथा ऐसे होटल जिसमें रात्रि व्यवस्था हो	6,000.00	50	बड़े होटल तथा ऐसे होटल जिसमें रात्रि व्यवस्था हो	6,600.00
51	सभी प्रकार के गैस के भण्डार/गोदाम	5,000.00	51	सभी प्रकार के गैस के भण्डार/ गोदाम	5,500.00
52	खाद, तेल, इलेक्ट्रॉनिक्स सामान चीनी, खांडसारी के भण्डार/ गोदाम	3,500.00	52	खाद, तेल, इलेक्ट्रॉनिक्स सामान चीनी, खांडसारी के भण्डार/ गोदाम	3,850.00
53	रासायनिक खाद की दुकान (सरकारी दुकान को छोड़कर)	220.00	53	रासायनिक खाद की दुकान (सरकारी दुकान को छोड़कर)	240.00
54	अफीम, भांग व ताड़ी की दुकान	220.00	54	अफीम, भांग व ताड़ी की दुकान	240.00
55	अंग्रेजी, देशी शराब की दुकान प्रति	1,100.00	55	अंग्रेजी, देशी शराब की दुकान प्रति	1,210.00
56	अग्नेयास्त्र अथवा अन्य प्रकार हथियारों की दुकान	1,100.00	56	अग्नेयास्त्र अथवा अन्य प्रकार हथियारों की दुकान	1,210.00
57	खेल-कूद के सामान की दुकान	110.00	57	खेल-कूद के सामान की दुकान	120.00
58	पत्थर व पत्थर से बने सामान की दुकान	1,100.00	58	पत्थर व पत्थर से बने सामान की दुकान	1,210.00

1	2	3	1	2	3
		रु0			रु0
59	हर प्रकार के रंग, वार्निश, तारपीन के तेल की दुकान	220.00	59	हर प्रकार के रंग, वार्निश, तारपीन के तेल की दुकान	240.00
60	टेन्ट हाउस/शामियाना किराये पर देने की दुकान	220.00	60	टेन्ट हाउस/शामियाना किराये पर देने की दुकान	240.00
61	रस्सी या इसी प्रकार के अन्य सामान की दुकान	110.00	61	रस्सी या इसी प्रकार के अन्य सामान की दुकान	120.00
62	सेनेटरी फिटिंग तथा मिट्टी पत्थर सीमेन्ट के बने सामान सटोन वियर के सामान की दुकान	220.00	62	सेनेटरी फिटिंग तथा मिट्टी पत्थर सीमेन्ट के बने सामान सटोन वियर के सामान की दुकान	240.00
63	अन्य किसी भी प्रकार की दुकान जिसकी मालियत रु0 1,000.00 से अधिक हो	110.00	63	अन्य किसी भी प्रकार की दुकान जिसकी मालियत रु0 1,000.00 से अधिक हो	120.00
64	अन्य किसी भी प्रकार की दुकान जिसकी मालियत रु0 1,000.00 से कम हो	55.00	64	अन्य किसी भी प्रकार की दुकान जिसकी मालियत रु0 1,000.00 से कम हो	60.00
65	सीमेन्ट की दुकान	220.00	65	सीमेन्ट की दुकान	240.00
66	टूरिंग टाकीज	550.00	66	टूरिंग टाकीज	600.00
67	सर्विस स्टेशन (जिस स्थान पर मोटर साइकिल, कार, जीप ट्रक, ट्रैक्टर आदि की मरम्मत व सर्विस होती है)	3,500.00	67	सर्विस स्टेशन (जिस स्थान पर मोटर साइकिल, कार, जीप ट्रक, ट्रैक्टर आदि की मरम्मत व सर्विस होती है)	3,850.00

सं0 1265/23-14(2008-09) नगर पालिका सहायक-2-उत्तर प्रदेश क्षेत्र पंचायत एवं जिला पंचायत अधिनियम, 1961 की धारा-143 के साथ पठित धारा-239(2) (ड) के अर्तगत जनपद रामपुर के ग्रामीण क्षेत्रों में मिलों/फैक्ट्रियों आदि को नियंत्रित एवं नियमित करने सम्बन्धी उपविधि जिसका प्रकाशन विज्ञप्ति संख्या 614/21-44(64-65), दिनांक 22 जनवरी, 1966 में हुआ था एवं जिसमें अन्तिम संशोधन विज्ञप्ति संख्या 1447/23-14 (2000-2001) एम0ए0 2, दिनांक 9 जुलाई, 2001 उक्त उपविधि में अन्तिम संशोधन दिनांक 19 सितम्बर 2009 को हुआ था, में पुनः निम्नलिखित संशोधन किया गया है जो उत्तर प्रदेश शासकीय गजट में प्रकाशन की तिथि से प्रभावी होंगे।

पूर्व स्वीकृत उपनियम संख्या (2)			संशोधित स्वीकृत उपनियम संख्या (2)		
1	2	3	1	2	3
		रुपये—			रुपये—
1	सभी प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक्स उपकरणों के पार्ट्स बनाने व एसेम्बल करने वाली फैक्ट्रियाँ	25,000.00	1	उत्तर प्रदेश गजट, 19 सितम्बर, 2009 के द्वारा निरस्त	0
2	सभी प्रकार के वाहन जो शक्ति से चलते हैं, को निर्माण/एसेम्बल अथवा उनके पार्ट्स रिम, आदि बनाने, इंजन निर्माण अथवा एसेम्बल कराने वाली फैक्ट्रियाँ	30,000.00	2	सभी प्रकार के वाहन जो शक्ति से चलते हैं, को निर्माण/एसेम्बल अथवा उनके पार्ट्स रिम, व्हील आदि बनाने वाली फैक्ट्री	33,000.00
3	शुगर फैक्ट्री	40,000.00	3	शुगर फैक्ट्री	44,000.00
4	कपड़ा मिल	25,000.00	4	उत्तर प्रदेश गजट, 19 सितम्बर, 2009 के द्वारा निरस्त	
5	कपड़े बनाने के लघु संस्थान	20,000.00	5	उत्तर प्रदेश गजट, 19 सितम्बर, 2009 के द्वारा निरस्त	
6	सभी प्रकार के विद्युत उपकरण अथवा सम्बन्धित प्लेटें तैयार करने वाली फैक्ट्रियाँ जिनकी मालियत 50 लाख रु० से अधिक है	25,000.00	6	उत्तर प्रदेश गजट, 19 सितम्बर, 2009 के द्वारा निरस्त	
7	सभी प्रकार के विद्युत उपकरण बनाने वाले छोटे प्रतिष्ठान जिनकी मालियत 50 लाख रु० तक हो	10,000.00	7	उत्तर प्रदेश गजट, 19 सितम्बर, 2009 के द्वारा निरस्त	
8	सभी प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक्स उपकरणों में प्रयोग की जाने वाली स्याही जैसे कम्प्यूटर आदि में केमिकल बनाने वाली फैक्ट्री	18,000.00	8	सभी प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक्स उपकरणों / कम्प्यूटर में प्रयोग की जाने वाली स्याही/ कैमिकल बनाने वाली फैक्ट्री	19,800.00
9	पेपर मिल	18,000.00	9	पेपर मिल	19,800.00

1	2	3	1	2	3
		रु0			रु0
10	टेलीविजन फैक्ट्री	18,000.00	10	टेलीविजन फैक्ट्री	19,800.00
11	ट्रांजिस्टर व रेडियो फैक्ट्री	12,000.00	11	ट्रांजिस्टर व रेडियो फैक्ट्री	13,200.00
12	मैथा से दवा बनाने वाली बड़ी फैक्ट्री	18,000.00	12	मैथा से दाना/दवा बनाने वाली फैक्ट्री	19,800.00
13	मैथा से दाना बनाने वाली छोटी फैक्ट्री	5,000.00	13	उत्तर प्रदेश गजट, 19 सितम्बर, 2009 के द्वारा निरस्त	
14	सभी प्रकार की भूसी से तेल निकालने वाली फैक्ट्री	12,000.00	14	सभी प्रकार की भूसी से तेल निकालने वाली फैक्ट्री	13,200.00
15	सभी प्रकार के प्लाई, कार्ड बोर्ड बनाने वाली फैक्ट्री	15,000.00	15	उत्तर प्रदेश गजट, 19 सितम्बर, 2009 के द्वारा निरस्त	
16	सभी प्रकार के तेल मिल, आटा मिल, धान मिल/राईस मिल, काँच/चीनी मिट्टी का सामान बनाने वाली फैक्ट्री	10,000.00	16	सभी प्रकार के तेल मिल, आटा मिल/राईस मिल, काँच/चीनी मिट्टी का सामान बनाने वाली फैक्ट्री	11,000.00
17	खाद, मिल, रोलिंग मिल केमिकल दियासलाई मिल, कोल्ड स्टोरेज, कत्था फैक्ट्री	12,000.00	17	खाद मिल, रोलिंग मिल, केमिकल दियासलाई मिल, कोल्ड स्टोरेज, कत्था फैक्ट्री	13,200.00
18	हयूम पाइप अथवा स्टील रेलिंग पाइप इन्डस्ट्रीज, सरिया बनाने का कारखाना/ फैक्ट्री	10,000.00	18	उत्तर प्रदेश गजट, 19 सितम्बर, 2009 के द्वारा निरस्त	
19	काँच/ चीनी मिट्टी का सामान बनाने वाली भट्टी, टिकली कोयला, आईस क्रेण्डी, आरा मशीन, साबुन बनाने की फैक्ट्री	800.00 5,000.00	19	(अ) टिकली कोयला बनाने की फैक्ट्री (ब) आरा मशीन	880.00 5,500.00

1	2	3	1	2	3
		रु0			रु0
20	आईस फैक्ट्री	2,000.00	20	(अ) आईस फैक्ट्री	2,200.00
		1,000.00		(ब) आईस कैण्डी फैक्ट्री	1,100.00
21	आटा, चक्की, धान मशीन, सेल स्पेलर, रूई मशीन प्रति	250.00	21	आटा, चक्की, धान मशीन, सेल स्पेलर, रूई मशीन आदि प्रति मशीन	275.00
22	जूट/सन्, प्लास्टिक, नाइलोन की वस्तुयें बनाने का कारखाना	2,000.00	22	उत्तर प्रदेश गजट, 19 सितम्बर, 2009 के द्वारा निरस्त	
23	दवा की फैक्ट्री (केमिकल)	10,000.00	23	उत्तर प्रदेश गजट, 19 सितम्बर, 2009 के द्वारा निरस्त	
24	गत्ता फैक्ट्री स्ट्रा बोर्ड, प्लाईवुड फैक्ट्री आदि		24	गत्ता फैक्ट्री, प्लाईवुड एंव कार्ड बोर्ड फैक्ट्री	
	10 टन क्षमता तक	6,000.00		10 टन क्षमता तक	6,660.00
	10 से 20 टन क्षमता तक	12,000.00		10 से 20 टन क्षमता तक	13,200.00
	20 टन से अधिक क्षमता	18,000.00		20 टन से अधिक क्षमता	19,800.00
25	सिनेमा हाल	5,000.00	25	उत्तर प्रदेश गजट, 19 सितम्बर, 2009 के द्वारा निरस्त	
26	विडियो शो करने पर	1,000.00	26	उत्तर प्रदेश गजट, 19 सितम्बर, 2009 के द्वारा निरस्त	
27	छोटे पैमाने पर चावल निकालने का कारखाना	850.00	27	छोटे पैमाने पर चावल निकालने का कारखाना	940.00
28	(अ) अन्य बड़े पैमाने के कारखाने जिनकी मालियत 50 लाख से एक करोड़ तक हो	25,000.00	28	उत्तर प्रदेश गजट, 19 सितम्बर, 2009 के द्वारा निरस्त	
	(ब) अन्य मध्य पैमाने के कारखाने जिनकी मालियत 50 लाख तक हो	15,000.00		उत्तर प्रदेश गजट, 19 सितम्बर, 2009 के द्वारा निरस्त	
29	अन्य छोटे उद्योग फैक्ट्री मिल, संस्थान आदि जिनकी मालियत 50 लाख रुपये तक हो	5,000.00	29	उत्तर प्रदेश गजट, 19 सितम्बर, 2009 के द्वारा निरस्त	

1	2	3	1	2	3
		रु0			रु0
30	(अ) सल्फर/नान सल्फर/ हाईड्रोलिक/नान हाईड्रोलिक प्रति क्रेशर चैन मुक्त	2,500.00	30	(अ) सल्फर/नान सल्फर/ हाईड्रोलिक/नान हाईड्रोलिक प्रति क्रेशर चैन मुक्त	2,750.00
	(ब) सल्फर/नान सल्फर/हाईड्रोलिक प्रति क्रेशर	1,200.00		(ब) सल्फर/ नान सल्फर/ हाईड्रोलिक प्रति क्रेशर	1,320.00
31	सल्फर/नानसल्फर/हाईड्रोलिक प्रतिक्रेशर	1,000.00	31	उत्तर प्रदेश गजट, 19 सितम्बर, 2009 के द्वारा निरस्त	
32	पावर कोल्हू प्रति कोल्हू	600.00	32	पावर कोल्हू प्रति कोल्हू	660.00
33	स्टोन क्रेशर	5,000.00	33	स्टोन क्रेशर	5,500.00
34	हैचरी	2,000.00	34	हैचरी	2,200.00
35	टायल्स फैक्ट्री (सीमेन्ट से इन्टरलाकिंग टायल्स बनाने की फैक्ट्री)	5,000.00	35	टायल्स फैक्ट्री (सीमेन्ट से इन्टरलाकिंग टायल्स बनाने की फैक्ट्री)	5,500.00
36	पिलिंग फैक्ट्री	3,000.00	36	पिलिंग फैक्ट्री	3,300.00
37	पीतल के सामान बनाने वाली फैक्ट्री	6,000.00	37	पीतल के सामान बनाने वाली फैक्ट्री	6,600.00
38	मीट फैक्ट्री	40,000.00	38	मीट फैक्ट्री	44,000.00
39	सीड्स प्लान्ट	5,000.00	39	सीड्स प्लान्ट	5,500.00
40	(अ) अन्य बड़े पैमाने के कारखाने जिनकी मालियत 50 लाख से एक करोड़ तक हो	30,000.00	40	(अ) अन्य बड़े पैमाने के कारखाने जिनकी मालियत 50 लाख से एक करोड़ तक हो	33,000.00
	(ब) अन्य मध्य पैमाने के कारखाने जिनकी मालियत 50 लाख तक हो	18,000.00		(ब) अन्य मध्य पैमाने के कारखाने जिनकी मालियत 50 लाख तक हो	19,800.00
	(स) अन्य छोटे पैमाने के कारखाने जिनकी मालियत 25 हो	8,000.00		(स) अन्य छोटे पैमाने के कारखाने जिनकी मालियत 25 हो	8,800.00

1	2	3	1	2	3
		रु०			रु०
				नई मदों जो जोड़ी गई	
			1	दो पहिये वाहन ऐजेन्सी	5,000.00
			2	मैथा टंकी	600.00
			3	चीपर मशीनें	3,500.00
			4	मिनिरल वाटर बनाने का कारखाना	10,000.00
			5	आयरन/ स्टील की अलमारी बक्से, मेज़ आदि बनाने का कारखाना	6,000.00
			6	पशु आहार बनाने का कारखाना	5,000.00
			7	टायर रिट्रेडिंग	4,000.00
			8	होम अपलाइन्स ब्रिकी की दुकान	5,000.00
			9	मारबल /संगमरमर ब्रिकी की दुकान	5,000.00
			10	पेट्रोल, डीजल एवं सी०एन०जी० पम्प संयुक्त	4,000.00

(ह०) अस्पष्ट,
आयुक्त,
मुरादाबाद मण्डल, मुरादाबाद।



सरकारी गज़ट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रकाशित

प्रयागराज, शनिवार, 30 अगस्त, 2025 ई० (भाद्रपद 08, 1947 शक संवत्)

भाग 8

नगरपालिका परिषद्, नगर पंचायत, सरकारी कागज-पत्र, दबाई हुई रूई की गांठों का विवरण-पत्र, जन्म-मरण के आंकड़े, रोगग्रस्त होने वालों और मरने वालों के आंकड़े, फसल और ऋतु सम्बन्धी रिपोर्ट, बाजार-भाव, सूचना, विज्ञापन इत्यादि।

NOTICE

No Legal Responsibility is accepted for the Publication of Advertisements/Public Notices in this Part of the Gazette of Uttar Pradesh. Persons Notifying the Advertisements/Public Notices will remain Solely, Responsible for the Legal Consequences and also for any other Misrepresentation etc.

By Order,
Director.

कार्यालय, नगर पालिका परिषद्, बिजनौर

19 जून, 2025 ई०

सं० 669/न०पा०परि०बिजनौर दिनांक 08 जुलाई, 2024 नगर पालिका अधिनियम-1916 (अधिनियम संख्या-2 सन् 1916) की धारा-132,153 व 216 के अधीन शक्तियों का प्रयोग करते हुए नगर पालिका परिषद्, बिजनौर, जनपद-बिजनौर नगरीय ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन स्वच्छता नियमावली-2022 व प्रयोक्ता शुल्क उपविधि बनाती है जिसे नगर पालिका परिषद्, बिजनौर, जनपद-बिजनौर ने दिनांक 09 मई, 2022 की सम्पन्न बोर्ड की बैठक में बोर्ड प्रस्ताव संख्या-10(9) सर्वसम्मति से पास किया गया है तथा आम जनता के अवलोकन एवं आपत्तियाँ तथा सुझाव आमंत्रित करने हेतु उक्त अधिनियम की धारा-300 की उपधारा (1) के अन्तर्गत "दैनिक समाचार-पत्र" बिजनौर टाइम्स व दैनिक हिन्दुस्तान में प्रकाशित कराया कराते हुए 15 दिवस के अन्दर आपत्ति एवं सुझाव आमंत्रित किये गये। नियत अवधि के भीतर कोई भी आपत्ति एवं सुझाव नगर पालिका परिषद्, बिजनौर कार्यालय में प्राप्त नहीं हुए। नगर पालिका अधिनियम- 1916 में निहित प्राविधानों के अधीन यह घोषित किया जाता है कि उक्त नगरीय ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन स्वच्छता नियमावली-2022 व प्रयोक्ता शुल्क शासकीय गजट में प्रकाशित होने की तिथि से प्रभावी मानी जायेगी—

ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन स्वच्छता नियमावली-2022 व प्रयोक्ता शुल्क उपविधि

प्रस्तावना

पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भारत सरकार द्वारा दिनांक 08 अप्रैल, 2016 को अधिसूचना जारी करके पूर्व प्रचलित नगरीय ठोस अपशिष्ट (प्रबन्धन एवं हथालन) नियमावली-2000 के स्थान पर ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन नियम-2016 एवं 20 अक्टूबर, 2021 के माध्यम से राज्य सरकार द्वारा नगर पालिका अधिनियम-1916 की धारा-153 और 216 के अधीन शक्तियों का प्रयोग करके संसोधित ठोस अपशिष्ट प्रबंधन संचालन एवं स्वच्छता नियमावली-2022 निर्गत किया है जिसमें यह अपेक्षा की गई है कि वर्णित नियमों के अनुसार ठोस अपशिष्ट का प्रबन्धन नियमानुसार सुनिश्चित किया जाये।

भारत सरकार के सहयोग से स्वच्छ भारत मिशन योजना लागू है। इस योजना में शहर की सफाई, स्वच्छता कूड़े का प्रबन्धन, जनसहभागिता आदि महत्वपूर्ण कार्य किये जा रहे हैं। नगर को स्वच्छ बनाने के लिए खुले में शौच को पूर्ण रूप से प्रतिबन्धित करने जिन भवनों में शौचालय नहीं है उनमें शौचालय का निर्माण करने सार्वजनिक एवं सामुदायिक शौचालयों की व्यवस्था करने का प्राविधान है। सफाई व्यवस्था को सुचारु रूप से बनाये रखने के लिए उक्त व्यवस्था का उल्लंघन करने वाले को दण्डित करने हेतु “नगर पालिका परिषद् बिजनौर” द्वारा उपविधि तैयार की गई है जो कि नगरीय ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन, संचालन स्वच्छता व प्रयोक्ता शुल्क उपविधि-2022 कहलायेगी।

समुचित स्वच्छता बनाये रखने के उद्देश्य से अपशिष्ट प्रबन्धन और अपशिष्ट का वैज्ञानिक निस्तारण नगरीय स्थानीय निकायों का मूलभूत उत्तरदायित्व है। अपशिष्ट प्रबन्धन में अपशिष्ट को घटाने, उसका पुर्नउपयोग करने, पुर्नचक्रण करने और निस्तारण करने की क्रमबद्धता को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। अपशिष्ट के स्रोत पर ही पृथक्करण और उसके मूल उद्गम पर पृथक्करण के समय ही उसे प्रसंस्कृत किया जाना अपशिष्ट प्रबंधन का सर्वाधिक लागत परक और व्यवहारिक तरीका है।

अपशिष्ट प्रसंस्करण और निस्तारण एक वैज्ञानिक समस्या है और इसे प्रौद्योगिकीय समाधानों का प्रयोग करके वैज्ञानिक रूप से संचालित किया जाना चाहिए।

अध्याय -एक

सामान्य

1-संक्षिप्त नाम, विस्तार एवं प्रारम्भ:-

(1) यह नियमावली उत्तर प्रदेश ठोस अपशिष्ट (प्रबंधन, संचालन एवं स्वच्छता) नियमावली-2020 कही जायेगी। यह गजट में प्रकाशित किये जाने के दिनांक से प्रवृत्त होगी।

(2) राज्य के किसी नगरीय स्थानीय निकाय द्वारा उक्त सम्बन्ध में बनायी गयी नियमावली या दिशा-निर्देशों पर इस नियमावली का प्रतिकूलता की सीमा तक अध्यारोही प्रभाव होगा।

(3) नगरीय स्थानीय निकाय के किन्हीं नियमों के प्रतिकूल होते हुए भी यह नियमावली अभिभावी होगी।

2-परिभाषाएँ:-

(1) जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, इस नियमावली में-

(क) “अभिकरण” का तात्पर्य उस इकाई/फर्म/कम्पनी/स्वयं सेवी संस्था/सिविल सोसाइटी समूह से है, जिसे नगरीय स्थानीय निकाय द्वारा सौंपे गये कार्यों का दायित्व ग्रहण करने के लिए नियुक्त अथवा प्राधिकृत किया गया है।

(ख) “वातजीवी कम्पोस्टीकरण” का तात्पर्य ऑक्सीजन की विद्यमानता में जैविक पदार्थ का सूक्ष्म जीवी अपघटन/कार्बनिक विघटन से अंतर्वलित किसी नियंत्रित प्रक्रिया से है।

(ग) “अवातजीवी कम्पोस्टिंग” का तात्पर्य आक्सीजन के अभाव में जैविक पदार्थ के सूक्ष्म जीवी अपघटन/विघटन से अंतर्वलित किसी नियंत्रित प्रक्रिया से है।

(घ) “प्राधिकार” का तात्पर्य, राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा किसी सुविधा के प्रचालक या नगरीय स्थानीय प्राधिकरण या ठोस अपशिष्ट के प्रसंस्करण और निपटान के लिए उत्तरदायी किसी अन्य अभिकरण को दी गयी अनुज्ञा से है।

(ङ) “जैव नाशित अपशिष्ट” का तात्पर्य किसी ऐसी कार्बनिक सामग्री से है, जिसे सूक्ष्म जीव द्वारा सरलतर टिकाऊ सम्मिश्रण में नाशित किया जा सकता है।

(च) “जैविक मिथेनीकरण” का तात्पर्य ऐसी प्रक्रिया से है, जो मिथेन से भरपूर जैव गैस का उत्पादन करने के लिए सूक्ष्म जीवी क्रिया द्वारा कार्बनिक पदार्थ का एंजाइमी अपघटन/विघटन को अपरिहार्य बनाता है।

(छ) “ब्रांड स्वामी” का तात्पर्य ऐसे किसी व्यक्ति या कम्पनी से है जो किसी रजिस्ट्रीकृत ब्रांड लेबल के अधीन कोई वाणिज्यिक विक्रय करता है।

(ज) “मध्यवर्ती परिक्षेत्र” का तात्पर्य ऐसे विकास रहित परिक्षेत्र से है, जिसे कि 5 टी0पी0डी0से अधिक की संस्थापित क्षमता वाली ठोस अपशिष्ट प्रसंस्करण तथा निपटान सुविधा के चारों ओर अनुरक्षित किया जायेगा। इसे ठोस अपशिष्ट प्रसंस्करण तथा निपटान सम्बन्धी सुविधा के लिए आवंटित कुल क्षेत्र के भीतर अनुरक्षित किया जाएगा।

(झ) “थोक अपशिष्ट उत्सर्जक” का तात्पर्य ऐसे किसी स्वामी अधिभोगी या किसी अन्य व्यक्ति से है जो 100 कि0ग्रा0 प्रतिदिन से अधिक के औसत अपशिष्ट उत्पादन दर वाले केन्द्रीय सरकार के मंत्रालयों, विभागों अथवा उपक्रमों, राज्य सरकार के विभागों या उपक्रमों स्थानीय निकायों सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों या निजी कम्पनियों, अस्पतालों, उपचार गृह (Nursing Home), विद्यालय (Colleges) कॉलेजों, विश्वविद्यालय (Universities) अन्य शैक्षिक संस्थाओं, छात्रावास (छात्रावासों), होटलों, वाणिज्यिक अधिष्ठान (Establishments), पूजा स्थलों, स्टेडियमों और खेल परिसरों द्वारा अधिग्रहित भवनों सहित भवनों/प्लैटों, सामूहिक भवनों/प्लैटों, आवास समितियों/कॉम्पलेक्सेज, रेस्टोरेन्ट्स, होटलों, बाजारों, औद्योगिक सम्पत्तियों तथा शॉपिंग कॉम्पलेक्सेज/मॉलों अथवा नगरीय स्थानीय निकायों के पदाधिकारियों द्वारा चिन्हित तथा अधिसूचित अन्य अधिष्ठान सम्बन्धी स्रोतों/परिसरों का प्रतिनिधित्व करता हो।

(ञ) “जनगणना नगर” का तात्पर्य भारत के महारजिस्ट्रार और जनगणना आयुक्त द्वारा परिभाषित नगरीय क्षेत्र से है।

(ट) “ज्वलनशील अपशिष्ट” का तात्पर्य प्लास्टिक, काष्ठ लुगदी आदि जैसी क्लोरोनिकृत सामग्रियों को छोड़कर गैर-जैव अवक्रमणीय, गैर-पुनर्चक्रणीय, गैर पुनः उपयोग्य, गैर-परिसंकटमय ठोस अपशिष्ट से है, जिनका 1,500 किलो कैलोरी प्रति किग्रा0 से न्यूनतम कैलोरीफिक मान हो।

(ठ) “कम्पोस्टीकरण” का तात्पर्य जैविक पदार्थ का सूक्ष्मजीवी अपघटन अंतर्वलित की एक ऐसी नियंत्रित प्रक्रिया अभिप्रेत है।

(ड) “ठेकेदार” का तात्पर्य ऐसे किसी व्यक्ति या फर्म से है जो कोई सेवा करने के लिए या सेवा प्रदाता प्राधिकारी के लिए कार्य करने हेतु सामग्री या श्रम प्रदान करने के लिए ठेका ग्रहण करता है।

(ढ) “सह-प्रसंस्करण” का तात्पर्य प्राकृतिक खनिज संसाधनों और औद्योगिक प्रक्रियाओं में जीवाश्म ईंधनों को दोनों प्रतिस्थापित या अनुपूरित करने के लिए कच्ची सामग्री के रूप में या ऊर्जा के स्रोत के रूप में 1,500 किलो कैलोरी से अधिक कैलोरीफिक मूल्य वाले गैर जैव अपघटनीय और गैर-पुनर्चक्रणीय ठोस अपशिष्ट के उपयोग से है।

(ण) “विकेन्द्रीयकृत प्रसंस्करण” का तात्पर्य जैव अपघटनीय अपशिष्ट का स्थानीयकृत प्रसंस्करण करने के लिए बिखरी हुई सुविधाओं की स्थापना और उत्पादन के स्रोत से निकटतम पुनर्चक्रण योग्य सामग्रियों को प्राप्त करने से है ताकि प्रसंस्करण या निपटान के लिए अपशिष्ट का न्यूनतम परिवहन करना पड़े।

(त) “निपटान” का तात्पर्य भू-गर्भ जल, भू-पृष्ठ जल, परिवेश वायु के संदूषण तथा पशुओं या पक्षियों के आकर्षण को रोकने के लिए भूमि पर पश्च प्रसंस्कृत अपशिष्ट ठोस अपशिष्ट और निष्क्रिय गली का कूड़ा-करकट और भू-पृष्ठ नालों की गाद का अंतिम तथा सुरक्षित निपटान करने से है।

(थ) “घरेलू परिसंकटमय अपशिष्ट” का तात्पर्य घरेलू स्तर पर उत्सर्जित फेंके हुये पेंट के ड्रम, कीटनाशी के डिब्बे, सीएफएल बल्ब, ट्यूब लाईटें, अवधि समाप्त औषधियों सहित औषधियों, टूटे हुए पारा वाले थर्मामीटर, प्रयुक्त बैटरियों, प्रयुक्त सुइयों तथा सिरिन्ज और संदूषित पट्टियों आदि से है।

(द) “द्वार-द्वार संग्रहण” का तात्पर्य घरों, दुकानों, वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों, कार्यालयों, संस्थागत या किसी अन्य गैर आवासीय परिसरों से द्वार तक जाकर ठोस अपशिष्ट का संग्रहण करने से है और जिसके अन्तर्गत किसी आवासीय सोसाइटी, बहुमंजिले भवन या अपार्टमेंट, बड़े आवासीय, वाणिज्यिक या संस्थागत कॉम्प्लेक्स या परिसरों में भू-तल या प्रवेश द्वार या किसी अभिहित स्थल से ठोस अपशिष्ट का संग्रहण करना सम्मिलित है।

(ध) “शुष्क अपशिष्ट” का तात्पर्य जैव अपघटनीय अपशिष्ट और निष्क्रिय गली के कूड़ा करकट से निम्न अपशिष्ट से है और जिसके अंतर्गत पुनर्चक्रणीय अपशिष्ट गैर पुनर्चक्रणीय अपशिष्ट, दाहा अपशिष्ट और सफाई नैपकीन, डाईपर आदि अपशिष्ट सम्मिलित है।

(न) “क्षेपण स्थल” का तात्पर्य किसी नगरीय स्थानीय निकाय द्वारा ठोस अपशिष्ट का निपटान बिना सेनेटरी लैंडफिल के सिद्धान्त का पालन किये उसका ढेर लगाने के लिये उपयोग की गयी भूमि से है।

(प) “विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्व” का तात्पर्य पैकेजिंग उत्पादों जैसे— कि प्लास्टिक, टिन, कांच और सिकुड़े हुए बक्सों इत्यादि के अस्तित्व में रहने के अंत तक पर्यावरणीय रूप से समुचित प्रबंधन के लिए किसी उत्पादक के उत्तरदायित्व से है।

(फ) “सुविधा” का तात्पर्य ऐसे किसी अधिष्ठान से है, जिसमें ठोस अपशिष्ट प्रबंधन प्रक्रियाएं अर्थात् पृथक्करण पुनः प्राप्ति, भण्डारण, संग्रहण, पुनर्चक्रण, प्रसंस्करण, उपचार या सुरक्षित निपटान किये जाते हैं।

(ब) “संचालन” के अन्तर्गत ठोस अपशिष्टों की छाटाई, पृथक्करण, सामग्री की पुनः प्राप्ति, संग्रहण, गौड़ भण्डारण, काटना, गट्टा बनाना, दलन, लदाई, उतराई, परिवहन, प्रसंस्करण तथा निपटान से सम्बन्धित समस्त क्रियाकलाप सम्मिलित है।

(भ) “भस्मीकरण” का तात्पर्य ऐसी अभियांत्रिकीकृत प्रक्रिया से है, जिसमें उच्च तापमान पर अपशिष्ट सामग्रियों को तापीय रूप से अपघटित करने के लिए ठोस अपशिष्ट को जलाया जाना या उसका दहन किया जाना सम्मिलित है।

(म) “अक्रिय” का तात्पर्य ऐसे अपशिष्ट से है जो जैव अपघटनीय, पुनः चक्रणीय या दाहा न हो, और गली की सफाई तथा भू-पृष्ठीय नालियों से निकाली गयी धूल या गाद से है;

(य) “अनौपचारिक अपशिष्ट संग्राहक” के अन्तर्गत व्यक्ति, समूह ऐसे अपशिष्ट व्यापारी सम्मिलित है जो पुनर्चक्रणीय सामग्रियों की छंटाई, विक्रय और खरीद में लगे हों;

(क, क) “निक्षालितक” का तात्पर्य ऐसा द्रव से है जो ठोस अपशिष्ट के माध्यम से या अन्य माध्यम से रिसता है और निष्क्रिय रहता है जिसमें उसमें घुली हुई या स्थगित सामग्री का सत्व है;

(क, ख) “सामग्री पुनर्प्राप्ति सुविधा” का तात्पर्य ऐसी सुविधा से है जहाँ गैर कम्पोस्टीय ठोस अपशिष्ट, नगरीय स्थानीय निकाय या किसी अन्य इकाई या व्यक्ति या अभिकरण, जो उनमें से किसी के द्वारा प्राधिकृत हो, द्वारा अपशिष्ट के प्रसंस्करण या निपटान हेतु प्रदत्त किये जाने या उठाये जाने से पूर्व अपशिष्ट

उत्थापकों, अनौपचारिक पुनः चक्रण करने वाले प्राधिकृत अनौपचारिक सेक्टर या उक्त प्रयोजनार्थ नगरीय स्थानीय निकाय या अभिकरण द्वारा लगाये गये किसी अन्य कार्यबल द्वारा विभिन्न अपशिष्ट संघटकों से पुनर्चक्रित अपशिष्टों का पृथक्करण करने छंटाई करने तथा पुनर्प्राप्ति करने को सुगम बनाने के लिए अस्थायी रूप से भण्डारित किया जा सकता है;

(क, ग) “नगर निगम/नगर पालिका परिषद्/नगर पंचायत/नगरीय स्थानीय निकाय” का तात्पर्य उत्तर प्रदेश, नगर निगम अधिनियम, 1959(उत्तर प्रदेश, अधिनियम संख्या-2 सन् 1959) या उत्तर प्रदेश नगर पालिका अधिनियम, 1916 (उत्तर प्रदेश, अधिनियम संख्या-2 सन् 1916) के अधीन स्थापित नगर निगम/नगर पालिका परिषद्/ नगर पंचायत/नगरीय स्थानीय निकाय से है;

(क, घ) “जैव अनाशित अपशिष्ट” का तात्पर्य ऐसे किसी अपशिष्ट से है जिसका सूक्ष्म जीवों द्वारा सरलतर स्थायी यौगिकों में नाशित नहीं किया जा सकता है;

(क, ङ) “अधिभोगी” में निम्नलिखित सम्मिलित है”

(क) ऐसे किसी प्रयोजन जो भी हो, के लिए किसी भूमि या भवन या उसके आंशिक भाग का अधिभोग करते हुए या अन्यथा रूप में उसका उपयोग करते हुए ऐसा कोई व्यक्ति, जो ऐसी भूमि या भवन, जिसके सम्बन्ध में किराया संदृत्त हो या संदेय हो, का किराया या आंशिक किराया तत्समय स्वामी को संदत्त कर रहा हो या संदाय किये जाने का दायी हो;

(ख) किसी भूमि या भवन का अधिभोगी स्वामी, जो उक्त भूमि या भवन का अन्यथा उपयोग कर रहा हो;

(ग) किसी भूमि या भवन का किरायामुक्त किरायेदार;

(घ) किसी भूमि या भवन का अधिभोगी लाईसेंसधारी, और;

(ङ) ऐसा कोई व्यक्ति, जो किसी भूमि या भवन के उपयोग तथा अधिभोग के निमित्त स्वामी को क्षतियों का भुगतान करने के लिए दायी हो;

(च) नगरीय स्थानीय निकाय की भौगोलिक सीमा की अधिकारिता के भीतर अवस्थित किसी अधिष्ठान/कार्यालय का प्रभारी;

(क, च) “प्रचालक” का तात्पर्य ऐसे किसी व्यक्ति या इकाई से है जो नगर पालिका ठोस अपशिष्ट का संचालन, संग्रहण, छंटाई, भण्डारण, परिवहन प्रसंस्करण तथा निपटान की सुविधा को नियंत्रित करता है या प्रचालित करता है और इसमें अपने क्षेत्र में नगर पालिका ठोस अपशिष्ट के प्रबंधन एवं संचालन हेतु स्थानीय निकाय/नगर पालिका प्राधिकरण द्वारा नियुक्त कोई अन्य अभिकरण और नगरीय स्थानीय निकाय द्वारा नियुक्त कोई अन्य इकाई या अभिकरण सम्मिलित है;

(क, छ) “प्राथमिक संग्रहण” का तात्पर्य पृथक्कृत ठोस अपशिष्ट को उसके उत्सर्जन के स्रोत, जिसके अन्तर्गत घर, दुकानें, कार्यालय और कोई अन्य गैर-आवासीय परिसर सम्मिलित है, से या किसी संग्रहण स्थल से या नगरीय स्थानीय निकाय द्वारा विनिर्दिष्ट किसी अन्य अवस्थान से पृथक्कृत ठोस अपशिष्ट का संग्रहण करने, उसे उठाने या हटाने से है;

(क, ज) “प्रसंस्कृत करना” का तात्पर्य ऐसी किसी वैज्ञानिक प्रक्रिया से है, जिसके द्वारा ठोस अपशिष्ट को पुनः उपयोग करने, पुनःचक्रित करने या नवीन उत्पादों में परिवर्तित करने के प्रयोजन के लिए प्रसंस्कृत किये जाने हेतु निरूपित किया जाता है;

(क, झ) “पुनर्चक्रण” का तात्पर्य पृथक्कृत जैव-अनाशित ठोस अपशिष्ट को ऐसे नये उत्पादों का उत्पादन करने के लिए पृथक्कृत जैव अनाशित ठोस अपशिष्ट को कच्ची सामग्री के रूप में परिवर्तित करने की प्रक्रिया से है, जो मूल उत्पादों के समान हो सकते हैं या नहीं हो सकते हैं;

(क, ज) **“पुनर्विकास”** का तात्पर्य जहाँ विद्यमान भवन और अवसंरचनाएं जीर्ण-शीर्ण हो गयी है वहां उसी स्थल पर पुराने आवासीय या वाणिज्यिक भवनों के पुनर्निर्माण से है;

(क, ट) **“कचरा से व्युत्पन्न ईंधन”** का तात्पर्य ठोस अपशिष्ट जैसे प्लास्टिक, काष्ठ, लुगदी या कार्बनिक अपशिष्ट, क्लोरोनीकृत पदार्थों से भिन्न ठोस अपशिष्ट को सुखाकर कतरन, निर्जलीकरण और संघनन द्वारा गुटिकाओं या रोएँ के कप में उत्पादित ज्वलनशील अपशिष्ट प्रभाज से व्युत्पन्न ईंधन से है;

(क, ठ) **“अवशिष्ट ठोस अपशिष्ट”** में ऐसे ठोस अपशिष्ट प्रसंस्करण सुविधाओं से प्राप्त अपशिष्ट और क्षिप्तक सम्मिलित है, जो पुर्नचक्रण या अग्रेतर प्रसंस्करण के लिए उपयुक्त नहीं है।

(क, ड) **“सेनेटरी लैंडफिल”** का तात्पर्य भू-गर्भ जल, भू-पृष्ठ जल या पलायक वात धूल, वात वाहित कूड़ा-कचरा, दुर्गंध, अग्नि परिसंकट, पशुओं— खतरा, पक्षी खतरा, पीड़क जन्तु कृतक, ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन, सतत् जैव प्रदूषणकारी तत्व प्रावण्य अस्थिरता तथा अपरदन के प्रदूषण के प्रति संरक्षात्मक उपायो से अभिकल्पित सुविधा में भूमि पर अवशिष्ट ठोस अपशिष्ट तथा अक्रिय अपशिष्ट के अन्तिम एवं सुरक्षित निपटान से है;

(क, ढ) **“सेनेटरी अपशिष्ट”** का तात्पर्य प्रयुक्त डाइपर, सेनेटरी तौलिये या नैपकिन, टैमपोन, कंडोम, अनाचार चादरों और किसी अन्य समरूप अपशिष्ट से मिलकर बने अपशिष्ट से है;

(क, ण) **“अनुसूची”** का तात्पर्य इस नियमावली से उपाबद्ध अनुसूची से है;

(क, त) **“द्वितीयक भण्डारण”** का तात्पर्य प्रसंस्करण या निपटान सुविधा स्थल तक अपशिष्ट को आगे परिवहन के लिए द्वितीयक अपशिष्ट भण्डारण डिपों या एम0आर0एफ0 या आधानों में संग्रहण के पश्चात् ठोस अपशिष्ट के अस्थायी संरोधन से है;

(क, थ) **“प्रथक्करण”** का तात्पर्य ठोस अपशिष्ट के विभिन्न संघटनों अर्थात् जैव नाशित अपशिष्ट, जिसके अन्तर्गत कृषि और दुग्धशाला अपशिष्ट जैव अनाशित अपशिष्ट है, जिसमें पुनः—चक्रण योग्य अपशिष्ट, गैर-चक्रण योग्य, दाह्य अपशिष्ट, मल अपशिष्ट और गैर-चक्रण योग्य अक्रिय अपशिष्ट घरेलू परिसंकटमय अपशिष्ट तथा सन्निर्माण और विध्वंस अपशिष्ट सम्मिलित है, की छंटाई और पृथक् भण्डारण से है;

(क, द) **“सेवा-प्रदाता”** का तात्पर्य जल, मलवहन, विद्युत, टेलीफोन, सड़क, जल निकास आदि जैसी लोक उपयोगिता की सेवायें प्रदान करने वाले प्राधिकरण से है;

(क, ध) **“ठोस अपशिष्ट”** का तात्पर्य नगरीय स्थानीय निकाय के अधीन उत्सर्जित ठोस या अर्द्धठोस घरेलू अपशिष्ट, मल अपशिष्ट, वाणिज्यिक अपशिष्ट, संस्थानिक अपशिष्ट, खानपान और बाजार अपशिष्ट तथा अन्य गैर आवासीय अपशिष्ट, गली की सफाई भू-पृष्ठ की नालियों से हटाई गयी या एकत्रित गाद, उद्यान कृषि अपशिष्ट, कृषि और दुग्धशाला अपशिष्ट, औद्योगिक अपशिष्ट को छोड़कर उपचारित जैव चिकित्सीय अपशिष्ट, जैव चिकित्सीय अपशिष्ट और ई-अपशिष्ट, बैटरी अपशिष्ट और रेडियो सक्रिय अपशिष्ट से है;

(क, न) **“छंटाई करना”** का तात्पर्य मिश्रित अपशिष्ट से पुनः चक्रणयोग्य विभिन्न संघटकों और प्रवर्गों जैसे— कागज, प्लास्टिक, गत्ता, धातु, कांच आदि जो पुनः चक्रण की सुविधा हेतु उपयुक्त हो, को पृथक् करने से है और कार्बनिक, अकार्बनिक, पुनःचक्रण योग्य तथा जोखिम पूर्ण अपशिष्ट को पुनः चक्रण की सुविधा सुविधा की श्रेणी में पृथक् करने से है;

(क, प) **“स्थिरीकरण”** का तात्पर्य जैव अपघटनीय अपशिष्टों का ऐसी स्थायी अवस्था में जैवीय अपघटन से है, जहां वह कोई निक्षालन या बदबू उत्पन्न न करता हो और कृषि भूमि, भू-कटाव नियन्त्रण तथा भूमि उपचार के लिए उपयुक्त हो;

(क, फ) **“पथ विक्रेता”** का तात्पर्य किसी पथ, गली, पार्श्व पथ, पैदल पथ, खडंजा, सार्वजनिक पार्क या किसी अन्य सार्वजनिक स्थान या निजी क्षेत्र में अस्थायी रूप से निर्मित संरचना से या स्थान—स्थान घूमकर साधारण जनता को दैनिक उपयोग की वस्तुओं, मॉल, सौदा, खाद्य—सामग्री या वाणिज्यिक वस्तु का

विक्रय करने में लगे किसी व्यक्ति से है, जिसके अन्तर्गत फेरीवाला, ठेलेवाला, खोमचा वाला तथा ऐसे सभी अन्य समानार्थी पद जो स्थानीय या विनिर्दिष्ट क्षेत्र में हो सकते हैं और अपने व्याकरणिक रूप भेदों सहित शब्द "पथ विक्रय सम्मिलित है;

(क, ब) "अंतरण स्थल" का तात्पर्य दूके हुए यानों या आधानों में भारी मात्रा में संग्रहण एवं परिवहन कृत सुविधा से अपशिष्ट प्रसंस्करण और या निपटान सुविधा स्थलों तक ले जाने हेतु ठोस अपशिष्ट प्राप्त करने के लिए सृजित सुविधा स्थल से है;

(क, भ) "परिवहन" का तात्पर्य विशेष रूप से अभिकल्पित तथा ढकी हुई परिवहन प्रणाली के माध्यम से पर्यावरणीय रूप से उपयुक्त रीति से एक स्थान से दूसरे स्थान तक उपचारित, आंशक उपचारित या अनुपचारित ठोस अपशिष्ट को ले जाने वाले वाहन से है जिससे कि बदबू कूड़ा-कचरा तथा न देखने योग्य स्थितियों और रोगवाहकों, पशुओं तथा पक्षियों तक अधिगम्यता को रोका जा सके;

(क, म) "उपचार" का तात्पर्य किसी अपशिष्ट के भौतिक, रासायनिक या जैविक लक्षणों या उसकी संविरोचना का उपान्तरण करने हेतु अभिकल्पित पद्धति, तकनीक या प्रक्रिया से है, जिससे कि नुकसान पहुंचाने की उसकी मात्रा तथा क्षमता को कम किया जा सके;

(क, य) "प्रयोक्ता शुल्क" का तात्पर्य ठोस अपशिष्ट संग्रहण, परिवहन, प्रसंस्करण और निपटान सेवाएं उपलब्ध कराने की कुल या आंशिक लागत को प्राप्त करने हेतु अपशिष्ट/अपशिष्ट उत्सर्जक पर अधिरोपित शुल्क से है;

(ख, क) "कृमि कम्पोस्ट बनाना" का तात्पर्य केंचुओं का प्रयोग करते हुए जैव नाशित अपशिष्ट को कम्पोस्ट में संपरिवर्तित करने की प्रक्रिया से है;

(ख, ख) "अपशिष्ट उत्सर्जक" का तात्पर्य नगरीय स्थानीय निकाय की सीमाओं के भीतर नगर पालिका ठोस अपशिष्ट को उत्सर्जित करने वाले किसी व्यक्ति अथवा व्यक्तियों के समूह से है और इसमें ठोस अपशिष्ट उत्सर्जित करने वाले प्रत्येक व्यक्ति, व्यक्ति समूह, प्रत्येक आवासीय परिसर तथा गैर आवासीय अधिष्ठान राज्य या केन्द्रीय अधिष्ठान सम्मिलित है;

(ख, ग) "अपशिष्ट की क्रमबद्धता" का तात्पर्य ऐसे प्राथमिकता क्रम से है जिस क्रम में ठोस अपशिष्ट का प्रबंधन निवारण, कटौती, पुनः उपयोग, पुनःचक्रण, पुनः प्राप्ति और निपटान पर बल देकर किया जाना चाहिए, जिसमें निवारण सर्वाधिक अधिमानित विकल्प और भू-भरण निपटान न्यूनतम अधिमानित विकल्प होगा;

(ख, घ) "अपशिष्ट उत्थापक" का तात्पर्य ऐसे व्यक्ति या व्यक्ति समूह से है, जो अपशिष्ट उत्सर्जन स्रोत, गलियों, डिब्बों, सामग्री पुनः प्राप्ति सुविधाओं, प्रसंस्करण तथा अपशिष्ट निपटान सुविधाओं से पुनर्प्रयोज्य तथा पुनः चक्रण योग्य ठोस अपशिष्ट के संग्रहण और उसकी प्राप्ति से पुनः चक्रकों को उनकी आजीविका अर्जित करने के लिए सीधे या उनके मध्यमवर्तियों के माध्यम से विक्रय के लिए औपचारिक या अनौपचारिक रूप से लगे हुए हैं;

(2) इस नियमावली में प्रयुक्त किन्तु अपरिभाषित शब्दों और पदों के वही अर्थ होंगे जो क्रमशः जल (प्रदूषण निवारण और नियंत्रण) अधिनियम, 1974, जल (प्रदूषण निवारण और नियंत्रण) उपकर अधिनियम, 1977, वायु (प्रदूषण निवारण और नियंत्रण) अधिनियम, 1981 और पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम-1986 और तदधीन बनायी गयी नियमावली जैसे-ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन नियम-2016, जैव चिकित्सा अपशिष्ट प्रबन्धन नियम, 2016, प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबन्धन नियम, 2016, निर्माण एवं विध्वंस अपशिष्ट प्रबन्धन नियम, 2016, परिसंकटमय और अन्य अपशिष्ट (प्रबंधन और अन्तरसीमा संचलन) नियम, 2016 और ई-कचरा प्रबन्धन नियम, 2016 आदि में उसके लिये समनुदेशित है।

अध्याय दो
पणधारियों के कर्तव्य
क—पृथक्करण

3— अपशिष्ट उत्सर्जकों के कर्तव्य

(क) थोक अपशिष्ट उत्सर्जकों सहित प्रत्येक अपशिष्ट उत्सर्जक अपने द्वारा उत्सर्जित अपशिष्ट को तीन श्रेणियों अर्थात् जैव नाशित, जैव अनाशित (पुनर्चक्रणीय) और परिसंकटमय (घरेलु या वाणिज्यिक) अपशिष्टों (गैरपुनर्चक्रणीय) में पृथक्कृत करेंगे और यथोचित कचरे के डिब्बों में भण्डारित करेंगे और समय-समय पर यथा अधिसूचित निर्देशानुसार पृथक् किये गये अपशिष्टों को प्राधिकृत अपशिष्ट उत्थापकों या अपशिष्ट संग्रहकर्ताओं को सौंपेंगे;

(ख) उपयोग किये गये मल अपशिष्ट जैसे डायपरों और सेनेटरी पैडों आदि को इन उत्पादों के विनिर्माणकर्ताओं या ब्रांड स्वामियों द्वारा उपलब्ध कराई गयी थैलियों में या स्थानीय प्राधिकारियों द्वारा यथा अनुदेशित उपयुक्त वेष्टन (रैपर) सामग्री में सुरक्षा पूर्वक वेष्टित करेगा और उसे शुष्क अपशिष्ट या जैव अनाशित अपशिष्ट हेतु तात्पर्यित कचरे के डिब्बे में डालेगा;

(ग) समस्त दुकानों, वाणिज्यिक अधिष्ठानों, बाजार संघों और व्यवसायिक प्रतिष्ठानों को पृथक्कृत अपशिष्टों का भण्डारण स्वयं के परिसर में समुचित स्थलों (On Site) पर करना होगा;

(घ) सन्निर्माण और विध्वंस अपशिष्ट, जैसा और जब उत्सर्जित हों, निजी परिसर में पृथक् रूप से भण्डारित किये जायेंगे और नगरीय स्थानीय निकाय उनका निस्तारण, संनिर्माण और विध्वंस अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 के अनुसार करेगा।;

(ङ) परिसरों से उत्सर्जित उद्यान-कृषि अपशिष्ट और उद्यान अपशिष्ट, निजी परिसरों में पृथक् रूप से भंडारित किये जायेंगे और समय-समय पर नगरीय स्थानीय निकाय के निर्देशों के अनुसार निस्तारित किये जायेंगे और जैव नाशित कचरे के रूप में भण्डारित किये जायेंगे और उन्हें नगरीय स्थानीय निकाय द्वारा निकटस्थ कम्पोस्टीकरण संयंत्रों में ले जाया जायेगा;

(च) प्रत्येक पथ-विक्रेता अपने क्रिया-कलाप के प्रक्रम के दौरान उत्सर्जित अपशिष्ट यथा खाद्य अपशिष्ट, अपघटनीय (डिस्पोजेबल) प्लेटों, कपों, कैनो, रैपरों, शेष बचे खाद्य पदार्थ, सब्जियों, फलों इत्यादि का भण्डारण करने के लिए अपेक्षानुसार दो अथवा तीन पात्र रखेगा और ऐसे अपशिष्ट को नगरीय स्थानीय निकाय द्वारा यथा अधिसूचित अपशिष्ट भण्डारण डिपो, या पात्र या यान में डालेगा;

(छ) समस्त थोक अपशिष्ट उत्सर्जकों, आवासीय कल्याण संघों, द्वारबंद समुदायों और 5000 वर्ग मीटर क्षेत्रफल से अधिक क्षेत्रफल वाली संस्थाओं को नगरीय स्थानीय निकाय की भागीदारी में नियमावली में यथा विहित रूप में उत्सर्जकों द्वारा स्रोत पर किये जाने वाले अपशिष्ट पृथक्करण को सुनिश्चित करेंगे, पृथक्कृत अपशिष्ट संग्रहण को पृथक् रूप में सुगम बनायेंगे और पुनर्चक्रणीय सामग्री को या तो प्राधिकृत अपशिष्ट उत्थापकरण को या प्राधिकृत पुनर्चक्रणकर्ताओं को सौंपेंगे, जैव नाशित अपशिष्ट का प्रसंस्करण, उपचारीकरण तथा निस्तारण, कम्पोस्टीकरण या जैव मिथेनीकरण के माध्यम से यथा सम्भव परिसर के भीतर किया जायेगा;

(ज) अपशिष्ट उत्सर्जक को यह सुनिश्चित करना होगा कि जैव अनाशित अपशिष्ट यथा पैकेट, खाद्य-पदार्थ के पात्र, डिब्बे, बोतल, टेट्रापैक, पेटियाँ, गत्ते, कागज के कप प्लेट और अन्य निपटान योग्य वस्तुएं साफ किये जाये, सुखाये जाये और तब उन्हें प्रभावी पुनर्चक्रण हेतु नगरीय स्थानीय निकाय को सौंप दिये जायें;

(झ) अपशिष्ट उत्सर्जन के स्रोत से प्रसंस्करण सुविधा तक ठोस अपशिष्ट प्रबंधन श्रृंखला के किसी व्यक्ति द्वारा ठोस अपशिष्ट के साथ जैव चिकित्सीय अपशिष्ट, ई-अपशिष्ट, परिसंकटमय अपशिष्ट अथवा औद्योगिक अपशिष्ट का मिश्रण नहीं किया जायेगा;

(ज) अवशिष्ट अपशिष्ट को अपशिष्ट संग्राहक, अथवा नगरीय स्थानीय निकाय द्वारा यथा निर्देशित अभिकरण को दिया जायेगा;

(ट) विक्रेताओं दुकानों वाणिज्यिक अधिष्ठानों को उत्तर प्रदेश प्लास्टिक और अन्य जीत अनाशित कूड़ा-कचरा (उपयोग और निस्तारण का विनियमन) अधिनियम, 2000 यथा संशोधित 2018, के अधीन प्रतिषिद्ध डिस्पोजबल सामग्री का प्रयोग नहीं करना चाहिए;

4- कुक्कुट पालन, मत्स्य पालन, वधशाला अभिहित वधशालाओं/गृहों/बाजारों से भिन्न अपशिष्ट उत्सर्जनकर्ताओं के कर्तव्य-

अभिहित वधशालाओं और बाजार से भिन्न ऐसे किसी परिसर, जिसमें किसी वाणिज्यिक क्रियाकलाप के फलस्वरूप कुक्कुट पालन, मत्स्य और वधशाला अपशिष्ट उत्सर्जित होता हो, के प्रत्येक स्वामी/अध्यासी को उसे पृथक् रूप से बंद परिपथ में अच्छी स्थिति में भण्डारित करेगा, और इसे दैनिक-आधार पर विनिर्दिष्ट समय में इस प्रयोजनार्थ उपलब्ध कराये गये नगरीय स्थानीय निकाय के संग्रहण यान को प्रदान करेगा। ऐसे अपशिष्ट का किसी सामुदायिक कचरा पात्र में जमा किया जाना प्रतिषिद्ध है और ऐसा जुर्माना अनुसूची (अनुसूची तीन) में यथा सूचित जुर्माना लगाया जायेगा। स्वच्छता एवं सफाई की स्थितिया उपलब्ध कराने के लिये नगरीय स्थानीय निकाय का पदाधिकारी/प्राधिकारी, बाजार परिसर में अधिकतम बाजारों में नागरिक प्रसुविधाओं को ठीक करने/पुनः कायाकल्पित करने हेतु उत्तरदायी होगा;

5- विक्रेताओं/फेरीवालों के कर्तव्य-

समस्त विक्रेता/फेरीवालों, विक्रय स्थल पर ही अपने-अपने जैव नाशित अपशिष्ट और अन्य अपशिष्ट को पृथक्-पृथक् डिब्बे में रखेंगे। अपशिष्ट उत्सर्जक/विक्रेता का यह उत्तरदायित्व होगा कि वह सम्यक रूप से प्रथक्कृत (अलग-अलग) किये हुए अपशिष्ट को नगरीय स्थानीय निकाय के संग्रहण यान में अथवा निकटतम अभिहित सामुदायिक कचरे के डिब्बा में डालेगा प्रत्येक विक्रेता/फेरीवाले का यह उत्तरदायित्व होगा की वह अपना आँगन स्वच्छ रखे। यदि स्वामी अथवा विक्रेता नियमावली के उपबन्धों का अनुपालन करने में विफल रहता है तो जुर्माना, जुर्माना अनुसूची के अनुसार अधिरोपित किया जायेगा;

6-झंझा-जल नालियों/गलियों के सम्बन्ध में कर्तव्य-

(एक) ऐसे परिसर, जिसके पास झंझा-जल नाली/गली स्थित हो, का प्रत्येक स्वामी या अधिभोगी, यह सुनिश्चित करने के लिये उत्तरदायी होगा कि इसमें कोई अपशिष्ट क्षेपित न किया जाय या फेंका न जाय और इसे साफ रख जाय। परिसर के स्वामी अथवा अधिभोगी का कर्तव्य होगा कि वह किसी ठोस अपशिष्ट को पदाधिकारी/प्राधिकारी द्वारा यथा अधिसूचित स्थानों पर और समयों में नगरीय स्थानीय निकाय द्वारा उपबंधित किये गये अपशिष्ट संग्रहण यान तक पृथक्कृत करके ले जाय। अधिभोगी परिसर के अन्दर की नालियों/गली को स्वच्छ रखेगा। परिसर के अन्दर की गली में अपशिष्ट के संचय होने की स्थिति में अधिभोगी उसकी सफाई करेगा, अपशिष्ट को पृथक्कृत करेगा और इसे नगरीय स्थानीय निकाय को सौंप देगा या इसे नगरीय स्थानीय निकाय द्वारा चिन्हित स्थल पर परिदत्त कर देगा,

(दो) जहाँ ऐसे परिसर के स्वामी/अधिभोगी भवन की गली की सफाई के लिये नगरीय स्थानीय निकाय की सेवाओं को उपभोग करना चाहें वहाँ उन्हें नगरीय स्थानीय निकाय के सम्बन्धित कार्यालय में आवेदन करना होगा और समय-समय पर नगरीय स्थानीय निकाय द्वारा यथा अधिसूचित समुचित प्रभारों का भुगतान करना होगा। स्वामियों/अधिभोगियों का यह उत्तर दायित्व होगा कि वे सफाई करने के प्रयोजनार्थ भवन गली तक पहुँचाने का उपाय करें;

(तीन) नगरीय स्थानीय निकाय का यह उत्तर दायित्व होगा कि वह नगर के झंझा जल नालियों/गलियों को अपशिष्ट तथा मलवहन से स्वच्छ करें;

7-भण्डारा/लंगर आयोजकों के कर्तव्य:-

किसी भण्डारा या लंगर को आयोजित करने वाले प्रत्येक व्यक्ति या व्यक्ति समूह को स्थल पर पृथक्कृत अपशिष्ट हेतु डिब्बों का उपबंध करना होगा;

8— सरकार की स्वामित्वाधीन एवं नियंत्रणाधीन संस्थाओं का उत्तरदायित्व:—

(1) सरकारी/अर्द्ध सरकारी सांविधिक निकाय, अपने स्वामित्वाधीन या कब्जाधीन लोक परिसर के भीतर इस नियमावली को लागू करने हेतु उत्तरदायी होंगे;

(2) नगरीय स्थानीय निकाय और/या नगर विकास विभाग, अधिसूचना द्वारा, किसी भी क्षेत्र के उत्सर्जनकर्ताओं से अपने ठोस अपशिष्ट को अतिरिक्त श्रेणियों में पृथक्कृत करने की अपेक्षा कर सकता है;

(3) इस नियमावली की किसी बात से उत्सर्जनकर्ता के लिये लागू तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अधीन अपशिष्ट को अतिरिक्त श्रेणियों में पृथक्कृत करने के किसी उत्सर्जनकर्ता के कर्तव्य पर प्रभाव नहीं पड़ेगा;

(ख) प्राथमिक ठोस अपशिष्ट भण्डारण:**9— ठोस अपशिष्ट का भण्डारण निम्नानुसार किया जायेगा:—**

(क) निजी सम्पत्ति के प्रत्येक स्वामी या अधिभोगी को अपने परिसर में पर्याप्त संख्या में कचरा आधानों को इस रूप में अनुरक्षित करना होगा कि कूड़ा-करकट सार्वजनिक पथ/मार्गों तथा पार्श्वमार्गों से दृष्टव्य न हो और न ही पशुओं के पहुँच में हो;

(ख) थोक अपशिष्ट उत्सर्जनकर्ताओं या किसी व्यक्तिगत उत्सर्जनकर्ता समूह, जिसमें बहु मंजिले भवन, अपार्टमेंट, गली में स्थित गृह, वासगृह, नगर क्षेत्र, होटल, पार्क मॉल, सरकारी या निजी आवासीय कालोनियाँ या समितियाँ, दुकाने, कार्यालय, वाणिज्यिक अधिष्ठान, विमानपत्तन, रेलवे, लोक उपयोगिताएं उद्योग और घरेलू उद्योग आदि सम्मिलित हैं, को अपने परिसर के भीतर प्रत्येक क्षेत्र के पृथक्कृत अपशिष्ट हेतु समुचित आकार, रंग और विशिष्टता के पृथक्-पृथक् आधानों को उपलब्ध कराना होगा और उन्हें अनुरक्षित करना होगा;

(ग) स्थायी या अस्थायी रूप में स्थित फेरीवालों, विक्रेताओं, छतरी स्टाल, खाद्य-पदार्थ स्टाल तथा खाद्य पदार्थ ट्रक वालों को अपने-अपने व्यवसाय स्थल पर किसी कूड़-कचरा से बचने के लिये शुष्क तथा आर्द्र अपशिष्ट हेतु कम से कम दो आधान उपलब्ध रखना होगा और अनुरक्षित रखना होगा;

10— विशिष्ट क्षेत्रों के अपशिष्ट भण्डारण निम्नानुसार किये जायेंगे:—

(क) खाद्य अपशिष्ट की अनुज्ञेय पैकेजिंग द्रव्यों से उन्हें पृथक्कृत किये जाने से पूर्व खाद्य पदार्थों को खाली कर लिया जायेगा। अग्रतर यह कि गैर प्लास्टिक नाशित अपशिष्ट (जिसमें खाद्य अपशिष्ट सम्मिलित है) का निस्तारण प्रतिषिद्ध प्लास्टिक थैलों में नहीं किया जायेगा और इसका निस्तारण गैर प्लास्टिक नाशित अपशिष्ट के निस्तारणार्थ विनिर्दिष्ट रूप से विनिर्मित उपयुक्त कूड़ा-कचरा थैलियों/स्तर युक्त थैलियों में किया जायेगा;

(ख) समस्त सेनेटरी अपशिष्ट, जैसा और हम उत्सर्जित किये जाये, सुरक्षित रूप से नगरीय स्थानीय निकाय द्वारा अनुदेशित या ऐसे उत्पादों के विनिर्माणकर्ताओं या ब्रैण्ड स्वामियों द्वारा उपबंधित किये गये समाचार-पत्रों या उपयुक्त लपेटने वाली वस्तुओं या थैलों में विशिष्ट रूप से चिह्नित (उदाहरणार्थ लाल 'X' चिह्न से या डाइपरो/नैपकिन हेतु मानकीकृत लेविलों से) किसी सम्भावित रिसाव या बहाव को रोकने हेतु लपेटे जायेंगे और नगरीय स्थानीय निकाय द्वारा यथा अधिसूचित रीति से शुष्क अपशिष्ट हेतु तात्पर्यित आधान में रखे जायेंगे;

(ग) घेरलू/वाणिज्यिक परिसंकटमय अपशिष्ट के सम्बन्ध में:—

(एक) समस्त घेरलू/वाणिज्यिक परिसंकटमय अपशिष्ट, नगरीय स्थानीय निकाय द्वारा यथा अधिसूचित पृथक् थैलों/आधानों में विहित भण्डारित तथा लेबिलकृत किये जायेंगे;

(दो) ऐसे समस्त नुकीले अपशिष्ट जो घेरलू परिसंकटमय अपशिष्टों के अंग हों, किसी पृथक् नुकीले अपशिष्ट वाले पात्र में भण्डारित किये जायेंगे, जैसा कि नगरीय स्थानीय निकाय द्वारा अधिसूचित किया जाय;

(घ) निर्माण एवं विद्धंस अपशिष्ट के सम्बन्ध में:— समस्त उत्सर्जनकर्ताओं को सन्निर्माण एवं ध्वस्तीकरण नियम, 2016 के अधीन विहित और नगरीय स्थानीय निकाय द्वारा अधिसूचित रीति से अपने परिसर के भीतर पृथक्कृत सन्निर्माण एवं ध्वस्तीकरण अपशिष्ट को परिदान एवं संग्रहण हेतु सुविधाजनक अवस्थान पर भण्डारित करता होगा;

(ड) उद्यान एवं उद्यानकृषि थोक अपशिष्ट के सम्बन्ध में:— ऐसे समस्त अपशिष्ट, उत्सर्जनकर्ताओं द्वारा अपने-अपने परिसर/नगरीय स्थानीय निकाय द्वारा विनिर्दिष्ट उद्यान स्थलों/अवस्थानों के भीतर बिखरने के पर्याप्त संरक्षण और नगरीय स्थानीय निकाय या नगरीय स्थानीय निकाय द्वारा नियुक्त किसी व्यक्ति द्वारा भण्डारण, परिदान तथा संग्रहण किये जाने की सुविधा सहित बड़े-बड़े थैलो, डिब्बो या ढेरों में भण्डारित किये जायेंगे;

ग—द्वितीयक ठोस अपशिष्ट भण्डारण

11— द्वितीयक भण्डारण स्थलों पर ठोस अपशिष्ट का भण्डारण निम्नानुसार किया जायेगा:—

(1) दहलीजों से संग्रहीत पृथक्कृत ठोस अपशिष्ट, अपशिष्ट भण्डारण डिपो, सामुदायिक भण्डारण डिब्बों या स्थिर या गतिशील अन्तरण केन्द्रों अथवा नगरीय स्थानीय निकाय और/या द्वितीयक अपशिष्ट भण्डारण अभिकर्ता द्वारा विहित अवस्थानों तक ले जाये जायेंगे।

(2) किसी नियत क्षेत्र में अपशिष्ट उत्सर्जन की मात्रा तथा जनसंख्या धनत्व को दृष्टिगत रखते हुये भण्डारण सुविधाएं सृजित एवं स्थापित की जायेगी। ऐसे द्वितीयक भण्डारण स्थलों पर विनिर्दिष्ट रंगों के ढके हुये पात्र निम्नलिखित के पृथक्-पृथक् भण्डारण के लिये होंगे—

क— जैव नाशित या आर्द्र अपशिष्ट

ख— जैव अनाशित या शुष्क अपशिष्ट

ग— धरेलू परिसंकटमय अपशिष्ट

(3) जैव अनाशित अपशिष्ट हेतु शुष्क अपशिष्ट छंटाई केन्द्र/सामग्री पुनर्प्राप्ति सुविधायें/पुनर्चक्रण केन्द्र—

क— पुनर्चक्रण योग्य और गैर पुनर्चक्रण योग्य अपशिष्ट की छंटाई को विनियमित करने तथा सुगम बनाने के उद्देश्य से नगरीय स्थानीय निकाय को उतने शुष्क अपशिष्ट छंटाई केन्द्रों/एम0आर0एफ या पुनर्चक्रण केन्द्रों का उपबंध करना होगा जैसा कि सम्भव एवं अपेक्षित हो। पथ/द्वार-द्वार संग्रहण प्रणाली से और वाणिज्यिक अधिष्ठानों से शुष्क (जैव अनाशित) अपशिष्ट, इन अनिहित केन्द्रों तक अन्तरित किये जायेंगे। इन अभिहित केन्द्रों को केवल शुष्क अपशिष्ट ग्रहण करना होगा। ऐसे केन्द्र चहारदीवारी/बंद स्थान में इस रूप में होंगे कि अपशिष्ट निकट से गुजरने वाले लोगों को दृष्टव्य न हो।

ख— इन शुष्क अपशिष्ट छंटाई केन्द्रों को रजिस्ट्रीकृत/लाइसेंस प्राप्त पुनर्चक्रणकर्ताओं या नगरीय स्थानीय निकाय द्वारा प्राधिकृत/नियुक्त किन्हीं अन्य अभिकर्ताओं द्वारा व्यक्ति उपलब्ध कराये जायेंगे या उनका संचालन किया जायेगा।

ग— परिवारों के लिए यह भी उपबंध होगा कि वे अपना पुनर्चक्रणीय शुष्क अपशिष्ट सीधे नगरीय स्थानीय निकायों के प्राधिकृत अभिकर्ताओं और/या प्राधिकृत अपशिष्ट व्यवहारियों को इन पुनर्चक्रण केन्द्रों पर पूर्व अधिसूचित दरों, पर जमा करें या विक्रीत करें। प्राधिकृत अभिकर्ताओं और/या प्राधिकृत अपशिष्ट व्यवहारियों को द्वितीयक बाजार या पुनर्चक्रण इकाईयों को एम0डब्ल्यू0एम0 नियमावली के उपबंधों के अनुसार पुनर्चक्रण अपशिष्ट का निस्तारण या विक्रय करने की अनुज्ञा प्रदान की जायेगी।

(4) विनिर्दिष्ट धरेलू परिसंकटमय अपशिष्ट जमा केन्द्र:—

क— धरेलू परिसंकटमय अपशिष्ट का संग्रहण करने हेतु विनिर्दिष्ट धरेलू परिसंकटमय अपशिष्ट प्राप्त करने के लिए उपयुक्त अवस्थानों पर निक्षेप केन्द्र स्थापित किये जायेंगे। ऐसे सुविधा स्थलों का सीधे परिसंकटमय अपशिष्ट को निक्षेपित करने हेतु जनता को तत्सम्बन्ध में जागरूक करने के लिये व्यापक प्रचार-प्रसार किया जायेगा। नगरीय स्थानीय निकाय और/या अभिकर्ता समस्त अपशिष्ट उत्सर्जनकर्ताओं से पृथक्कृत रीति से धरेलू परिसंकटमय अपशिष्ट संग्रहीत कर सकता है,

ख— ऐसे अपशिष्ट नगरीय स्थानीय निकाय द्वारा स्थापित परिसंकटमय अपशिष्ट निस्तारण सुविधा स्थल तक पृथक् रूप से परिवहनकृत किये जायेंगे;

ग— मल अपशिष्ट, द्वितीयक भण्डारण सुविधा स्थालो और/या निक्षेप केन्द्रो पर धरेलू परिसंकटमय अपशिष्ट से पृथक्कृत किये जायेंगे और भस्मीरण के माध्यम से प्रसंस्कृत किये जायेंगे;

(5) द्वितीय भण्डारण सुविधा स्थालो की विशिष्टतायें—

क— नगरीय स्थानीय निकाय और/या अभिकर्ता या पूर्ण वाह्य स्रोतित अभिकरण, ठोस अपशिष्ट भण्डारण सुविधा स्थलों को इस रीति से अनुरक्षित करेंगे कि उससे उसके चारो ओर अस्वास्थ्यकर तथा अस्वच्छ स्थिति उत्पन्न न हो;

ख— भण्डारण सुविधा स्थल सामुहिक प्रयोक्ता के रूप में होंगे और वे इस प्रकार अभिकल्पित किये जायेंगे कि अपशिष्ट की समग्रता को सुनिश्चित किया जा सके और यह कि भण्डारित अपशिष्ट खुले वातावरण में परिलक्षित न हो;

ग— द्वितीयक भण्डारण सुविधा स्थल, जनसंख्या धनत्व और क्षेत्र में ठोस अपशिष्ट उत्सर्जन के अनुसार नियत क्षेत्र या वार्ड में ठोस अपशिष्ट उत्सर्जन की मात्राओं को दृष्टिगत रखते हुए सृजित और स्थापित किये जायेंगे;

अध्याय—तीन

क-ठोस अपशिष्ट संग्रहण और परिदान (डिलीवरी)

12— शुष्क तथा आर्द्ध अपशिष्ट का संग्रहण तथा परिदान (डिलवरी) निम्नानुसार किया जायेगा:—

(1) द्वार-द्वार संग्रहण के मामले में— अधिसूचित समयों पर नगरीय स्थानीय निकाय की क्षेत्रीय सीमाओं के भीतर द्वार-द्वार पृथक्कृत आर्द्ध (गीला) तथा शुष्क अपशिष्ट संग्रहण, यथा स्थिति, नगरीय स्थानीय निकाय/या नगरीय स्थानीय निकाय द्वारा प्राधिकृत अभिकर्ता द्वारा लागू किया जायेगा और अधिसूचित किया जायेगा;

(2) स्थल-स्थल पर संग्रहण के मामले में—यदि द्वार-द्वार तक सेवायें विनिर्दिष्ट अवधि तक नहीं प्रदान की जा सकती है अथवा सेवायें किसी अन्य अदृश्य कारण से नहीं प्रदान की जा सकती है अथवा जब तक द्वार-द्वार तक सेवायें उपलब्ध नहीं करायी जाती है तब तक नगरीय स्थानीय निकाय वास्तविक क्षेपण स्थलों के रूप में प्रयुक्त किये जा चुके अवस्थानों सहित अपनी अधिकारिता के भीतर प्रत्येक वार्ड में बहु अदस्थानों को अधिसूचित कर सकता है और वहाँ पर विस्तृत सुसंहत डिब्बे प्रतिष्ठापित कर सकता है जहाँ नागरिक अपना-अपना पृथक्कृत ठोस अपशिष्ट जमा कर सकते हैं। संग्रहण स्थल बिन्दुओं पर प्रतिदिन अपशिष्ट की सफाई की जायेगी। उक्त स्थल के चारों ओर के क्षेत्रों की भी सफाई की जायेगी जहाँ डिब्बे या पात्र या संहृतकर्ता पात्र रखे जाते हैं;

(3) स्वस्थाने (On Site) प्रसंस्करण इकाइयों से अवशिष्ट के संग्रहण के मामले में— नगरीय स्थानीय निकाय और/या अभिकरण स्वस्थाने (On Site) अपशिष्ट प्रसंस्करण कर्ता इकाइयों/स्थानों से अपशिष्ट संग्रहण अनुसूची नियत करेगा और संग्रहण हेतु समय बिन्दुओं को उस क्षेत्र के प्रमुख भागों में और साथ ही साथ नगरीय स्थानीय निकाय के बेव-साइट/जिला एन0आई0सी0 के बेव-साइट पर प्रकाशित करायेगा। नगरीय स्थानीय निकाय ऐसी समस्त इकाइयों/स्थानों की अद्यतन सूची अनुरक्षित करेगा जो स्वस्थाने (On Site) ऐसे अपशिष्ट प्रसंस्कृत करते हैं जो ठोस अपशिष्ट उत्सर्जक होते हैं यथा होटल, रेस्टोरेन्ट, कार्यालय परिसर, शैक्षिक संस्थाएँ, विवाह-गृह, जैव अनाशित अपशिष्ट उत्सर्जक चिकित्सालय और बेव-साइट पर उसकी क्षेत्रीय अधिकारिता के भीतर के वाणिज्यिक क्षेत्र;

(4) थोक अपशिष्ट उत्सर्जकों से संग्रहण के मामले में— ऐसी स्थिति में जब प्रतिदिन 10 टन या उससे अधिक ठोस अपशिष्ट उत्सर्जित हो रहा हो तब नगरीय स्थानीय निकायों/या अधिकर्ताओं को थोक ठोस अपशिष्ट उत्सर्जकों के लिये ऐसी पृथक् संग्रहण प्रणाली स्थापित करनी होगी जिसमें अपशिष्ट संग्रहण हेतु पृथक् [परिवार/संग्रहण](#) वाहन सम्मिलित होंगे;

(5) थोक अपशिष्ट के मामले में—नगरीय स्थानीय निकाय और/या अभिकर्ता माह मे एक दिन द्वार-द्वार थोक अपशिष्ट संग्रहण के लिये विनिर्दिष्ट करेगा और उस क्षेत्र के प्रमुख भागों में और साथ ही साथ नगरीय स्थानीय निकाय की बेव-साइट/जिला एन0आई0सी0 के बेव-साइट पर संग्रहण हेतु समय बिन्दुओं को प्रकाशित करेगा;

ख—विभिन्न अन्य विनिर्दिष्ट प्रकार के अपशिष्टों का संग्रहण तथा परिदान (डिलवरी)**13—विभिन्न अन्य विनिर्दिष्ट प्रकार के अपशिष्टों के संग्रहण और परिदान (डिलवरी) निम्नानुसार है;**

(क) **परिसंकटमय (वाधियज्यिक/घरेलू) अपशिष्ट** : ऐसा अपशिष्ट, नगरीय स्थानीय निकाय द्वारा अधिसूचित निक्षेप केन्द्रों पर उत्सर्जकों द्वारा जमा किया जायेगा अथवा इसे अधिसूचित संग्रहण प्रणाली को प्रतिदिन परिदत्त किया जायेगा या उसके द्वारा संग्रहीत किया जायेगा, जहाँ संग्रहण वाहन के पास परिसंकटमय अपशिष्ट हेतु पृथक् आधान हो, अथवा यदि संग्रहण वाहन के पास परिसंकटमय अपशिष्ट हेतु पृथक् आधान न हो तो नगरीय स्थानीय निकाय को यह सुनिश्चित करना होगा कि उस क्षेत्र के नागरिकों के लिये ऐसे विनिर्दिष्ट दिवस अधिसूचित किये जायें जब ऐसे अपशिष्ट संग्रहीत किये जायें;

(ख) **ई—अपशिष्ट** : उत्सर्जकों को, संग्रहण केन्द्र/व्यवहारी या उत्पादक/विध्वंसकर्ता/ई—अपशिष्ट पुनर्चक्रणकर्ता के माध्यम से अथवा उत्पादक के अभिहित वापसी सेवा प्रदाता के माध्यम से प्राधिकृत विध्वंसकर्ता या ई—अपशिष्ट पुनर्चक्रणकर्ता के लिये ई—अपशिष्ट श्रृंखलाकरण सुनिश्चित करना होगा;

(ग) **निर्माण एवं विध्वंस अपशिष्ट** : उत्सर्जनकर्ता, निर्माण एवं विध्वंस अपशिष्ट प्रबन्धक नियम, 2016 के उपबंधों के अनुसार और जैसा कि नगरीय स्थानीय निकाय द्वारा निदेशित किया जाये या अधिसूचित किया जाय, उत्सर्जित निर्माण एवं विध्वंस अपशिष्ट के संग्रहण, पृथक्करण, भण्डारण तथा परिदान (डिलवरी) के लिये उत्तरदायी होगा ;

(घ) **थोक उद्यान या उद्यान कृषि अपशिष्ट** : उत्सर्जनकर्ता थोक उद्यान और उद्यान कृषि अपशिष्ट के संग्रहण, पृथक्करण, भण्डारण, परिदान (डिलवरी) तथा प्रबंधन के लिये उत्तरदायी होंगे, जैसा कि नगरीय स्थानीय निकाय द्वारा निदेशित या अधिसूचित किया जाये;

(ङ) **अन्य अपशिष्ट** : जैव चिकित्सीय अपशिष्ट, शव—द्रव बहिःस्राव, बैटरी अपशिष्ट और नगरीय स्थानीय निकाय के ऐसे अन्य अपशिष्ट, जिनके लिये नगरीय स्थानीय निकाय में पृथक् प्राथमिक संग्रहण प्रणाली अधिसूचित किया हो, अधिसूचित आर्द्ध (गीले) और शुष्क अपशिष्ट संग्रहण प्रणाली को नहीं परिदत्त, किये जायेंगे या उसके द्वारा संग्रहीत नहीं किये जायेंगे और उन्हें उत्सर्जनकर्ताओं द्वारा समुचित फीस दिये जाने या जैसा कि इस नियमावली में विहित किया जाय। उक्तानुसार फीस का संदाय किये जाने पर नगरीय स्थानीय निकाय द्वारा अधिसूचित ऐसे अपशिष्टों के संग्राहकों या अभिकरणों को परिदत्त किया जायेगा;

(च) **फेरीकर्ताओं, बिक्रेताओं, छतरी स्टालों, खाद्य स्टालों तथा खाद्यान्न ट्रकों, जो अपने कारोबार स्थल पर कूड़ा—कचरा डिब्बों को अनुरक्षित करते हुये स्थायी या अस्थायी रूप में स्थित हों, को पृथक्कृत अपशिष्ट का परिदान (डिलवरी), संग्रहण स्थलों, सामूहिक डिब्बों, सामूहिक पात्रों या नगरीय स्थानीय निकाय द्वारा इस निमित्त अधिसूचित अपशिष्ट संग्राहकों/वाहन तक सुनिश्चित करना होगा;**

14—प्रकाशन व धोषणा के उपबंध —

(1) क्षेत्र या वार्ड वार विनिर्दिष्ट समय बिन्दु, जिनमें विभिन्न श्रेणी के ठोस अपशिष्टों के लिये सप्ताह का सुसंगत दिवस सम्मिलित है, नगरीय स्थानीय निकाय द्वारा अधिसूचित किये जायेंगे और उन्हें उस क्षेत्र के प्रमुख स्थानों पर और साथ ही साथ जिला एन0आई0सी0 के वेबसाइट/यथास्थिति नगरीय स्थानीय निकाय और/या अभिकर्ता के वेबसाइट पर प्रकाशित किया जायेगा, सामान्यतः द्वार—द्वार कूड़ा—कचरा संग्रहण का समय प्रातः 6 बजे से पूर्वान्ह 11 बजे तक निर्धारित किया जायेगा। वाणिज्यिक क्षेत्रों में व्यावसायिक प्रतिष्ठानों एवं दुकानों या किन्हीं अन्य संस्थागत अपशिष्ट उत्सर्जकों से संग्रहण हेतु नगरीय स्थानीय निकाय पृथक्—पृथक् समय बिन्दु अधिसूचित कर सकता है;

(2) संग्रहण हेतु ठहराव के स्थल सहित मार्ग मानचित्र, आरम्भिक समय एवं समापन समय और अन्य सुसंगत विवरण समय—सारिणी के साथ—साथ प्रकाशित किये जायेंगे;

(3) जहाँ नगरीय स्थानीय निकाय ने द्वार—द्वार संग्रहण प्रणाली अधिसूचित किया हो वहाँ प्रत्येक उत्सर्जक को पृथक्कृत ठोस अपशिष्ट का परिदान (डिलवरी) सार्वजनिक मार्ग या सामूहिक डिब्बा, जैसा कि विहित किया जाय या अधिसूचित किया जाय, से प्राथमिक संग्रहण केन्द्र अर्थात् दहलीज/द्वार/प्रवेश बिन्दु तक सुनिश्चित करना होगा;

(4) जहाँ नगरीय स्थानीय निकाय ने स्थल-स्थल संग्रहण प्रणाली अधिसूचित किया हो वहाँ प्रत्येक उत्सर्जनकर्ता को पृथक्कृत ठोस अपशिष्ट का परिदान (डिलीवरी), सामूहिक आधानों में अथवा सीधे अपशिष्ट, संग्रहकों/वाहनों जैसा कि विहित या अधिसूचित किया जाय, को करने के लिये सुनिश्चित करना होगा;

(5) अनुज्ञेय ध्वनि स्तरों के अन्तर्गत स्वचालित आवाज अभिलेखन युक्ति, घंटी, हार्न, अपशिष्ट संग्राहकों द्वारा प्रयुक्त प्रत्येक कूड़ा-कचरा संग्रहण यान में लगाये जायेंगे। संकीर्ण तथा संधनित गलियों में तथा पथों पर अपशिष्ट संग्राहक/चालक/सहायक को सीटी का उपयोग करना होगा और ऐसी गलियों तथा पथों से चलना होगा जिससे कि वह आगमन की घोषणा कर सके और संग्रहण को सुनिश्चित कर सके;

15—संग्रहण एवं परिदान (डिलीवरी) हेतु अन्य कार्यवाही—

(1) नगरीय स्थानीय निकाय को यह सुनिश्चित करना होगा कि जैव चिकित्सीय अपशिष्ट, सन्निर्माण एवं विध्वंश अपशिष्ट, उद्यान या उद्यान कृषि थोक अपशिष्ट, पथ सफाई अपशिष्ट, कूड़ा-कचरा अपशिष्ट और मृत पशुओं (पालतू पशुओं और बड़े पशुओं) हेतु पृथक् प्राथमिक संग्रहण प्रणालियाँ प्रतिष्ठापित की जाय, जैसा कि नगरीय स्थानीय निकाय हेतु लागू केन्द्र सरकार के सम्बन्धित अपशिष्ट प्रबंधन नियमों के अधीन आवश्यक हो;

(2) नगरीय स्थानीय निकाय विशिष्ट श्रेणी के उत्सर्जकों यथा होटलो तथा आहार गृहों, वध शालाओं दुग्धशालाओं आदि अथवा विशिष्ट श्रेणी के अपशिष्ट यथा ई-अपशिष्ट आदि के लिये पृथक् प्राथमिक संग्रहण प्रणाली अधिसूचित करेगा;

(3) कोई अपशिष्ट संग्रहण के दौरान इस रीति से नहीं सौपा जायेगा जिससे अपशिष्ट उत्सर्जक या अपशिष्ट संग्राहक या सामान्य जनता का स्वास्थ्य खतरे में पड़ जाय अथवा यातायात के लिये खतरा उत्पन्न हो जाये या पर्यावरण के लिये क्षतिकारक हो जाय या उपताप सृजित करे/बदबू उत्पन्न हो या फलस्वरूप कूड़ा-कचरा उत्पन्न हो जाय;

(4) आवासीय और अन्य क्षेत्रों से संग्रहण किये गये पृथक्कृत जैव नाशित अपशिष्ट, आवृत्त करके प्रसंस्करण संयंत्रों यथा कम्पोस्ट संयंत्र, जैव मिथेनीकरण संयंत्रों या ऐसे किन्हीं अन्य सुविधा वाले स्थानों तक अन्तरित किये जायेंगे;

(5) संग्रहण किये गये जैव अनाशित अपशिष्ट सम्बन्धित प्रसंस्करण सुविधा स्थलों या पुनर्चक्रण हेतु सृजित द्वितीयक भण्डारण सुविधा स्थलों तक परिवहन कृत किये जायेंगे;

अध्याय—चार

ठोस अपशिष्ट का संग्रहण तथा परिवहन

16— ठोस अपशिष्ट संग्रहण तथा परिवहन निम्नानुसार किया जायेगा:—

(क) ठोस अपशिष्ट का संग्रहण तथा परिवहन करने हेतु नगरीय स्थानीय निकाय और/या अभिकर्ता को वाहन अभिनियोजन योजना इस रीति से तैयार करनी होगी कि पृथक्कृत शुष्क अपशिष्ट, आर्द्र (गीले) अपशिष्ट और परिसंकटमय अपशिष्ट परिवहन किये जाने के दौरान अंतर्मिश्रित न हो जाय;

(ख) जहाँ तक सम्भव हो नगरीय स्थानीय निकाय को अपशिष्ट संग्रहीत करने और क्षेपित करने हेतु स्वचालित तंत्रों का उपयोग करने वाले स्वचालित अपशिष्ट संग्रहण वाहन उपाप्त कराना होगा जिससे कि अन्तर्वस्तुओं को हाथ से उठाने तथा क्षेपित करने की आवश्यकता न हो। प्राथमिक और द्वितीयक परिवहन वाहन का अभिकल्प इस रूप में होगा कि ठोस अपशिष्ट को अन्तिम प्रसंस्करण/निस्तारण स्थल तक पहुँचाने में भूमि पर एकत्रित न हो और इस प्रकार आवर्ती अपशिष्ट हस्त संचालन से बचा जा सके;

(ग) अपशिष्ट परिवहन हेतु प्रयुक्त वाहन इस रीति से आवृत्त किये जायेंगे कि परिवहन किये जाने के दौरान संग्रहीत अपशिष्ट खुले वातावरण में दृष्टव्य न हो या जनता के लिए दृष्टव्य न हो या मार्ग में न बिखरे। उक्त वाहनों में ऐसे संहृतकर्ता तथा गतिशील अंतरण केन्द्र (मोबाईल ट्रांसफर स्टेशन) भी सम्मिलित हो सकते हैं जो नगरीय स्थानीय निकाय की प्रौद्योगिकी के अपनाएँ विकल्प पर आधारित होंगे;

(घ) नगरीय स्थानीय निकाय प्रत्येक चिन्हित वार्ड के लिये आवंटित अपशिष्ट संग्रहण यानों की संख्या निर्धारित करेगा। अपशिष्ट उत्सर्जकों की संख्या से अपशिष्ट संग्रहण यानों की संख्या के अनुपात की संगणना प्रत्येक छः माह में और नगरीय स्थानीय निकाय द्वारा समय-समय पर विनिर्दिष्ट किये जाने वाले सिद्धान्तों के अनुसार की जायेगी,

(ङ) नगरीय स्थानीय निकाय के क्षेत्र के भीतर उत्सर्जित अपशिष्ट की मात्रा के आधार पर समर्पित गतिशील अंतरण केन्द्र (मोबाईल ट्रांसफर स्टेशन) या नियत संहृतकर्ता अंतरण केन्द्र (मोबाईल ट्रांसफर स्टेशन) को अभिनियोजित किये जाने की संभाव्यता, अनुमोदित मार्ग योजनाओं के अनुसार परिवारों और वाणिज्यिक अधिष्ठानों से पथ स्तर पर और द्वार-द्वार ठोस अपशिष्ट संग्रहण में संलग्न स्वतः उतारने वाले वाहनों, श्री हवीलरों और रिक्शों आदि से अपशिष्ट प्राप्त करने हेतु विनिर्दिष्ट अवस्थानों पर नगरीय स्थानीय निकाय द्वारा संनिश्चित की जायेगी। गतिशील अंतरण केन्द्र और नियत संहृतकर्ता अंतरण केन्द्र के अभिकल्प से न्यूनतम समय लेकर तथा अपशिष्ट को बिखरे बिना प्राथमिक संग्रहण वाहनों से अपशिष्ट उतारे जायेंगे। ऐसे नगर निगमों में जहाँ के वार्ड आकार में बड़े हो और उस वार्ड के क्षेत्र के भीतर प्रतिदिन दस से अधिक मीट्रिकटन अपशिष्ट उत्सर्जन होता हो वहाँ नगर निगम वार्ड में द्वितीयक संग्रहण हेतु एक संहृतकर्ता उपलब्ध करा सकता है;

(च) संग्रहण और परिवहन उपकरणों तथा यानों के चयन हेतु प्रौद्योगिकी में परिवर्तनशील आवश्यकताओं और उसकी अभिवृद्धियों पर विचार किया जायेगा। नगरीय स्थानीय निकाय द्वारा अपशिष्ट संग्रहण हेतु अभिनियोजित किये गये समस्त वाहनों में वाहन ट्रैकिंग प्रणाली/जी0पी0एस0 प्रतिष्ठापित की जायेगी।

अध्याय-5

ठोस अपशिष्ट का प्रसंस्करण

17- जैव नाशित अपशिष्ट या आर्द्र अपशिष्ट का प्रसंस्करण-

(1) परिवहन/संग्रह लागत और पर्यावरणीय प्रभावों को कम करने के लिये विकेन्द्रीकृत प्रसंस्करण यथा कम्पोस्टीकरण, जैव मिथेनीकरण, सूक्ष्मजीवी कम्पोस्टीकरण, कृमि कम्पोस्टीकरण, अवायवीय संग्रहण या जैव नाशित अपशिष्टों के जैव स्थिरीकरण हेतु किसी अन्य समुचित प्रसंस्करण के लिये अधिमान प्रदान किया जायेगा। जहाँ कहीं प्रयोज्य हो, जैव नाशित अपशिष्ट हेतु ऐसे अपशिष्ट का स्वस्थाने प्रसंस्करण किये जाने के लिये अधिमान प्रदान किया जायेगा;

(2) नगरीय स्थानीय निकाय को यह प्रवर्तित करना होगा कि जैव नाशित अपशिष्ट का प्रसंस्करण किये जाने के दौरान सब्जियों, फलों, माँस कुक्कुट और मत्स्य का लेन-देन करने वाले बाजारों के अपशिष्ट से स्वस्थ स्थितियाँ सुनिश्चित रहें;

(3) स्वस्थाने (ऑनसाइट) प्रसंस्करण जैव नाशित अपशिष्ट के थोक उत्सर्जकों को इस नियमावली की अधिसूचना के 90 दिन के भीतर नगरीय स्थानीय निकाय से प्राप्त लाइसेंस/अनुज्ञा में निर्धारित शर्तों के अनुसार अपना-अपना आर्द्र (गीले) अपशिष्ट प्रसंस्करण सुविधा केन्द्र स्थापित और अनुरक्षित करना होगा;

(4) नगरीय स्थानीय निकाय से प्राप्त लाइसेंस/प्राधिकार में निर्धारित शर्तों के अनुसार नीचे सारणी में उल्लिखित अपशिष्ट उत्सर्जकों के लिये अपना-अपना आर्द्र (गीले) अपशिष्ट प्रसंस्करण सुविधा केन्द्र स्थापित करना तथा उन्हें अनुरक्षित रखना अनिवार्य होगा;

सारणी

क्र० सं०	उत्सर्जक के प्रकार	उत्सर्जित अपशिष्ट की मात्रा
1	होटल, रेस्टोरेंट और अन्य भोजनालय	प्रतिदिन 100 किग्रा० से अधिक अपशिष्ट उत्सर्जक होटल या समस्त तीन स्टार और उच्चतर श्रेणी के होटल।
2	मैरिज हॉल, व्यापार मेला, प्रीतिभोज स्थल, सामुदायिक हाल, क्लब	प्रतिदिन 100 किग्रा० से अधिक या समारोहों के दौरान।

3	वधशालाये, चिकन, मछली और मटन की दुकानें	प्रतिदिन 50 किग्रा0 से अधिक (या तो एकल प्रतिष्ठान से या एकल स्वामित्वाधीन बहु प्रतिष्ठानों से)
4	चिकित्सालय और अन्य स्वास्थ्य देखभाल संस्थायें	20 शैय्याओ से अधिक का संचालन या प्रतिदिन 100 कि0ग्रा0 से अधिक आर्द्र अपशिष्ट का उत्सर्जन
5	औद्योगिक क्षेत्र	प्रतिदिन 50 किग्रा0 से अधिक का उत्सर्जन
6	निजी उद्यान/सार्वजनिक पार्क	प्रतिदिन 50 किग्रा0 से अधिक उद्यान अपशिष्ट
7	दुग्धशालायें और पशुशालाये	समस्त दुग्धशालाये और पशुशालाये
8	5000 वर्ग मीटर से अधिक क्षेत्रफल के समस्त द्वार बंद समूह और संस्थायें	परिसर के भीतर उत्सर्जित समस्त अपशिष्ट।

(5) जहाँ ऐसे उत्सर्जक भूमि की कमी के कारण ऐसे सुविधा केन्द्र स्थापित करने की स्थिति में न हो वहाँ वे जैव नाशित अपशिष्ट नगरीय स्थानीय निकाय और/या अभिकरण को परिदत्त कर सकते हैं, उत्सर्जको द्वारा उत्सर्जित एवं परिदत्त अपशिष्ट की मात्रा के आधार पर प्रयोज्य और अतिरिक्त प्रयोक्ता फीस का संदाय किया जाएगा;

(6) नगर आयुक्त/कार्यपालक अधिकारी अपने विवेक से आवश्यक रूप में प्रसंस्करणीय जैव नाशित अपशिष्ट को नगरीय स्थानीय निकाय की अधिकारिता के भीतर के किसी अन्य श्रेणी के उत्सर्जको को दे सकता है;

(7) नगरीय स्थानीय निकाय यह सुनिश्चित करने के लिये समय-समय पर जाँच और निरीक्षण करेगा कि ऐसी स्थलीय प्रसंस्करण सुविधा केन्द्र स्थापित किये जाये, संचालित किये जायें और वे इस निमित्त निर्धारित किन्हीं मानकों के अनुसार उत्सर्जक द्वारा जनित सम्पूर्ण आर्द्ध (गीले) अपशिष्ट को प्रसंस्कृत करें। मानको को स्थापित करने, समुचित रूप से संचालित करने या अनुपालन करने में विफल रहने की स्थिति में आर्द्ध (गीले) अपशिष्ट प्रसंस्करण से सम्बन्धित किन्ही प्रोत्साहनो को विखण्डित और प्रत्युद्धृत कर दिया जायेगा और नगरीय स्थानीय निकाय यथा विहित प्रशासनिक शुल्क और प्रशमन शुल्क ऐसे समय तक के लिये अधिरोपित करेगा जब तक कि आर्द्ध (गीले)-अपशिष्ट प्रसंस्करण सुविधा केन्द्र संचालित नहीं हो जाते हैं और उक्त का अनुपालन सुनिश्चित नहीं होता है;

(8) नगरीय स्थानीय निकाय निम्नानुसार अधिसूचित करेगा और उन्हें नियमित रूप से अद्यतनकृत करेगा:—

(क) समस्त उत्सर्जको के लिये बाध्यकारी स्वस्थाने (आनसाइट)/स्थलीय अपशिष्ट प्रसंस्करण (निर्माण, संचालन, प्रबन्धन, अवशेष एवं उत्पाद सहित) की गुणवत्ता के मानक, और भवन योजनायें तथा अनुज्ञा ऐसे मानकों का अनुपालन करने के अध्यधीन होंगे;

(ख) इस नियमावली के सरलीकरण और क्रियान्वयन के लिये, बाजार में उपलब्ध विभिन्न पर्यावरण, परिचालन, और आर्थिक रूप से व्यवहार्य तकनीकों और प्रौद्योगिकियों को ध्यान में रखते हुये स्वस्थाने (आनसाइट) आर्द्र (गीले) अपशिष्ट प्रसंस्करण के लिये अनुमोदित प्रौद्योगिकियां और विस्तृत अभिकल्प से भिन्न कराया जाएगा, परन्तु यह कि नगरीय स्थानीय निकाय द्वारा अधिसूचित ऐसी किसी भी प्रौद्योगिकी या विक्रेता को अपनाया जाना, उत्सर्जको के लिये अनिवार्य नहीं होगा;

(9) अपशिष्ट प्रबन्धन सुविधा केन्द्र या थोक कम्पोस्ट अपशिष्ट उत्सर्जनकर्ताओं को केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा समय-समय पर जारी किये गये दिशा-निर्देशों का सख्ती पालन करना होगा;

(10) नगरीय स्थानीय निकाय को दो वर्ष में रासायनिक उर्वरक के उपयोग को चरणबद्ध तरीके से हटाना होगा और स्थानीय निकाय द्वारा अनुरक्षित समस्त पार्को, उद्यानो, में और उसकी अधिकारिता के अधीन जहाँ कहीं सम्भव हो, अन्य स्थानों पर कम्पोस्ट खाद का उपयोग किया जाएगा।

(11) नगरीय स्थानीय निकाय प्रौद्योगिकी से सम्बन्धित सूचना का प्रसार करने, अपशिष्ट उत्पादकों को लगाये जाने तथा उन्हें संयोजित किये जाने, जागरूक किये जाने, अभियान चलाये जाने, उत्सर्जको को शिक्षित किये जाने या कार्यशालाओं आदि के माध्यम से आर्द्ध (गीले) अपशिष्ट प्रसंस्करण को सरलीकृत करेगा

(12) नगरीय स्थानीय निकाय को अपशिष्ट प्रबंधन में जन समुदायों को सम्मिलित करना होगा और सुविधा केन्द्र के चारों ओर बदबू को नियंत्रित करने और स्वास्थ्यप्रद स्थितियाँ बनाये रखने के अध्यक्षीन धरेलू कम्पोस्टीकरण, जैव गैस उत्सर्जन और विकेन्द्रीयकृत सामुदायिक अपशिष्ट प्रसंस्करण को प्रोत्साहित करना होगा;

(13) संस्थागत कम्पोस्ट वितरण प्रबंध;

(क) नगरीय स्थानीय निकाय और/या नगर विकास विभाग को उत्सर्जित कमेस्ट और उसका कृषको और कम्पनियों आदि को वितरण के लिये विभिन्न दर अनुसूची के लिये तंत्र स्थापित करने हेतु उर्दरको के वितरण करने वाले सम्बन्धित विभाग के साथ समन्वय करना होगा;

(ख) कम्पोस्ट विनिर्माणकर्ता अपशिष्ट प्रसंस्करण सुविधा केन्द्र, समुचित गुणवत्ता परक जॉच सुनिश्चित करने के पश्चात् नगरीय स्थानीय निकाय और/या अभिकर्ता यथा विनिश्चित ऐसा भिन्न कम्पोस्ट, उर्दरक का वितरण करने वाले सम्बन्धित विभागो से समय-समय पर परामर्श करने के पश्चात् नगरीय स्थानीय निकाय और/या नगर विकास विभाग द्वारा यथा निर्धारित रियायती दरों पर समीपवर्ती क्षेत्रों के कृषको को प्रदान करेगा। नगरीय स्थानीय निकाय और/या अभिकर्ता को यह सुनिश्चित करना होगा कि रियायती दरों पर कम्पोस्ट उपलब्ध कराये जाने की जानकारी क्षेत्र के कृषको तक सहज रूप में उपलब्ध करायी जाय।

(14) स्वस्थानों (आनसाइट)/स्थलीय आर्द्र (गीले) अपशिष्ट प्रसंस्करण सुविधाकेन्द्रों का विनिर्दिष्टीकरण—

(क) सुविधाकेन्द्र केवल पृथक्कृत आर्द्र (गीले) अपशिष्ट को ग्रहण करेंगे, भण्डारित करेंगे और उपचारित करेंगे;

(ख) सुविधाकेन्द्रों के उत्सर्जकों से संग्रहीत किये जाने वाले मिश्रित ठोस अपशिष्ट के अस्थायी भण्डारण स्थल पर एक पृथक् रिक्त स्थान रखना होगा;

(ग) समस्त अवशिष्ट आर्द्र (गीले) अपशिष्ट कूड़ा कचरा करने, छितराने, बिखेरने, जनसामान्य को उपतापित करने, दुर्गन्धयुक्त होने आदि से सुरक्षित तथा रक्षोपायकृत बंद पात्रों में अधिसूचित संग्रहण परिदान (डिलीवरी) प्रणाली के अभिहित स्थान पर अस्थायी रूप से भण्डारित किये जायेंगे;

(घ) सुविधा केन्द्रों पर यह सुनिश्चित करने के पर्याप्त अवसंरचनाएं तथा उपयोगी सेवायें होगी कि कोई अस्वच्छ तथा अस्वास्थ्यकर स्थितियां न हो तथा जनता और सुविधा केन्द्र संचालित करने वाले कर्मचारों को कोई उपताप न हो;

(ङ) समस्त संविधा केन्द्रो को प्राप्त आर्द्र (गीले) अपशिष्ट और कूड़ा-करकट एवं अपशिष्ट को रूपांतरित करने हेतु जनित उत्पाद (कम्पोस्ट/गैस) की गुणवत्ता तथा मात्रा और अप्रसंस्कृत अपशिष्ट के परिमाण का अनुश्रवण करने के समुचित उपाय करने होंगे।

18— जैव अनाशित अपशिष्ट या शुष्क अपशिष्ट का प्रसंस्करण—

(1) जैव अनाशित अपशिष्ट के थोक उत्सर्जकों को अपना-अपना स्वयं का सामग्री पुनर्प्राप्ति सुविधा केन्द्र (अर्थात् छंटाई शेड) स्थापित करना होगा और अनुरक्षित करना होगा या अवशिष्ट अपशिष्ट को नगरीय स्थानीय निकाय द्वारा निर्धारित किन्ही शर्तों के अनुसार अपशिष्ट संग्राहकों या अभिकरण को देना होगा;

(2) विद्यमान सुविधाकेन्द्रों का एकीकरण—

(क) नगरीय स्थानीय निकाय रजिस्ट्रीकृत अनौपचारिक अपशिष्ट व्यापारियों द्वारा संचालित विद्यमान अनौपचारिक अपशिष्ट संग्रहण/एकत्रीकरण/व्यापारिक सुविधा केन्द्रों को एतद्धीन ऐसे सुविधा केन्द्रों से संबंधित उपबंधो, मानकों तथा विनिर्देशों का अनुपालन करने के अध्यक्षीन सामग्री पुनर्प्राप्ति सुविधा केन्द्रों के रूप में रजिस्ट्रीकृत या प्राधिकृत करने का प्रयास करेगा;

(ख) सामग्री पुनर्प्राप्ति सुविधा केन्द्रों के घरेलू वाणिज्यिक परिसंकटमय अपशिष्ट निक्षेप केन्द्रों के रूप में अभिहित करने का प्रयास करेगा, परन्तु यह कि ऐसी सामग्री पुनर्प्राप्ति सुविधा केन्द्रों के भीतर एक पृथक्कृत सुरक्षित भण्डारण क्षेत्र उपबंधित किया जाय और ऐसे सामग्री पुनर्प्राप्ति सुविधा केन्द्रों में प्रबंधरत/संचालन रत/कार्यरत

अपशिष्ट उत्थापकों/संग्रहण अभिकरणों को ऐसे अपशिष्ट को सुरक्षापूर्वक संभालने हेतु नगरीय स्थानीय निकाय द्वारा संभालने के लिये पर्याप्त प्रशिक्षण और उपकरण दिये जाय;

(3) समस्त सामग्री प्राप्ति सुविधा केन्द्रों के प्राधिकृत आपरेंटर्स को निम्नलिखित का अनुपालन करना होगा;

(क) सामग्री प्राप्ति सुविधा केन्द्रों को पृथक्कृत जैव अनाशित अपशिष्ट/शुष्क अपशिष्ट को ही ग्रहण करना होगा;

(ख) सामग्री प्राप्ति सुविधा केन्द्र कोई मिश्रित अपशिष्ट, जैव नाशित, तरल अपशिष्ट, ई-अपशिष्ट, निर्माण एवं विध्वंस अपशिष्ट, घरेलू/वाणिज्यिक परिसंकटमय अपशिष्ट आदि को तब तक ग्रहण नहीं करेंगे जब तक इस नियमावली और अन्य लागू नियमावली के अधीन उपबंधों, मानकों और विनिर्दिष्टीकरणों के अनुसार ऐसी श्रेणियों के अपशिष्ट के लिये, प्रथक-प्रथक पर्याप्त सुविधा केन्द्रों का उपबंध करने के पश्चात् नगरीय स्थानीय निकाय द्वारा विनिर्दिष्ट रूप से अधिसूचित न किया जाये,

(ग) सामग्री प्राप्ति सुविधा केन्द्रों के पास तदनिमित्त पर्याप्त स्थल और सुविधायें होंगी: —

(एक) संग्रहण वाहनों/अपशिष्ट संग्राहकों/अभिकर्ताओं से शुष्क अपशिष्ट ग्रहण किया जाना,

(दो) शुष्क अपशिष्ट की छंटाई, गट्ठरकरण और अस्थाई भंडारण किया जाना;

(तीन) अक्रिय अपशिष्ट, गैर पुनर्चक्रणीय अपशिष्ट, गैर-पुनर्प्रयोज्य अपशिष्ट का अस्थायी भंडारण करने के लिये और अन्य श्रेणी के अपशिष्टों, जिनके लिये सुविधायें उपबंधित की गयी हो, के लिये समुचित और पृथक-पृथक पात्रों का उपबंध किया जाना;

(चार) अक्रिय, गैर पुनर्चक्रणीय, गैर पुनर्प्रयोज्य शुष्क अपशिष्ट और अन्य श्रेणियों के अपशिष्ट जिनके लिये सुविधाएं उपबंधित की गई हो, के द्वितीयक संग्रहण के लिये अंतरण किया जाना,

(घ) सामग्री प्राप्ति सुविधा के पास सुगम कार्य प्रणाली को सुनिश्चित करने और अस्वास्थ्यकर स्थितियों से बचने की पर्याप्त सुविधाएँ होंगी;

(ङ) सामग्री प्राप्ति सुविधा केन्द्रों, विशिष्ट रूप से ऐसे खंडों, जहां घरेलू/वाणिज्यिक परिसंकटमय अपशिष्ट अस्थायी रूप से भंडारित किया जाता हो, की सफाई/विसंक्रमण और स्वच्छता सहित सुविधा के अन्तर्गत जनसामान्य या अपशिष्ट उत्थापकों/कर्मकारों के प्रति उपताप किया जाना;

(च) सामग्री प्राप्ति सुविधा केन्द्र समुचित रूप में संलग्न रिक्त स्थान का उपबंध इस रीति से करते हुए चिन्हित परिसरों के भीतर निर्मित किये जायेंगे जिससे कि आवारा पशुओं या पक्षियों द्वारा अपशिष्ट को बिखरे जाने से रोका जा सके और वहां पर रजिस्ट्रीकृत अपशिष्ट उत्थापकों/प्राधिकृत व्यक्तियों के प्रवेश को नियंत्रित रूप से किया जाए,

(छ) अपशिष्ट उत्थापकों, अनौपचारिक अपशिष्ट व्यापारियों या किसी सामग्री प्राप्त सुविधा केन्द्र के आपरेंटर्स को यह सुनिश्चित करना होगा कि समस्त पुनर्चक्रणीय अपशिष्ट पुनर्चक्रण धारा में डाल दिये जाय और यह कि केवल अक्रिय गैर पुनर्चक्रणीय, घरेलू/वाणिज्यिक परिसंकटमय तथा गैर पुनर्प्रयोज्य अपशिष्ट उक्त सुविधा से अस्वीकृत किये जाये और अग्रतर प्रसंस्करण या निपटान हेतु द्वितीयक संग्रहण प्रणाली को अंतरित कर दिये जाय;

19— जैव-अनाशित पुनर्चक्रणीय अपशिष्ट का प्रसंस्करण :

जैव-अनाशित पुनर्चक्रणीय अपशिष्ट, शुष्क अपशिष्ट, छंटाई केन्द्रों/सामग्री प्राप्ति सुविधा केन्द्रों पर और तत्पश्चात् प्राधिकृत पुनर्चक्रण इकाइयों तक प्रेषित किये जायेंगे। यथा संभाव्य रूप में नगरीय स्थानीय निकाय को अपशिष्ट उत्सर्जनकर्ताओं या नगरीय स्थानीय निकायों और/या अभिकर्ताओं द्वारा सीधे प्राधिकृत पुनर्चक्रण इकाइयों तक प्रेषित किये जाने हेतु पृथक्कृत जैव अनाशित पुनर्चक्रणीय अपशिष्टों के लिये संस्थागत तंत्र सृजित करना होगा।

20— जैव-अनाशित गैर-पुनर्चक्रणीय अपशिष्ट का प्रसंस्करण :

(1) इस नियमावली के अनुसार गैर पुनर्चक्रणीय जैव अनाशित अपशिष्ट, जिनका कैलोरिक मूल्य 1500 किलो कैलोरी/किलो ग्राम से अधिक हो, ऐसे अपशिष्ट होंगे, जो ऊर्जा प्रसंस्करण, जिसमें दाह्य अपशिष्ट अंश हेतु अग्रहीत

व्युत्पन्न ईधन सम्मिलित है, हेतु अथवा ठोस अपशिष्ट आधारित ऊर्जा संयंत्रों या सीमेन्ट भट्टों के लिये पोषक स्टॉक के रूप में आपूर्ति हेतु प्रयुक्त किये जायेंगे,

(2) प्रत्येक नगरीय स्थानीय निकाय को इस नियमावली को अधिसूचित किये जाने के एक वर्ष के भीतर यह सुनिश्चित करना होगा कि अपनी अधिकारिता की क्षेत्रीय सीमाओं के अन्तर्गत मासिक और अन्य सेनेटरी अपशिष्टों का निस्तारण और प्रसंस्करण भस्मीकरण के माध्यम से किया जाय।

21— परिसंकटमय (घरेलू और वाणिज्यिक) अपशिष्टों का प्रसंस्करण :—

परिवारों, थोक अपशिष्ट उत्सर्जनकर्तों, वाणिज्यिक अधिष्ठानों और/या उद्योगों से संग्रहीत किये गये परिसंकटमय अपशिष्ट, टी0एस0डी0एफ0 (उपचार अपशिष्ट भंडारण निपटान सुविधा केन्द्र), भस्मीकरण के माध्यम से और/या नगरीय स्थानीय निकाय अथवा नगर विकास विभाग द्वारा यथा प्राधिकृत किसी अन्य उपयुक्त रीति से प्रसंस्कृत किये जायेंगे।

22—निर्माण एवं विध्वंस अपशिष्ट का प्रसंस्करण :—

निर्माण एवं विध्वंस अपशिष्ट, निर्माण एवं विध्वंस अपशिष्ट प्रबन्धन नियम, 2016 प्रबंधन नियम, 2016 के अनुसार प्रसंस्कृत किये जायेंगे और वे समुचित प्रसंस्करण संयंत्रों, सेनेटरी लैंडफिल और/या अन्य अभिहित अवस्थानों तक परिवहनकृत किये जायेंगे।

23— वधशाला अपशिष्टों का प्रसंस्करण :—

वधशालाओं, कुक्कुट पालन स्थलों और मत्स्य बाजारों से उत्सर्जित अपशिष्ट विरूपण, कम्पोस्टीकरण, जैव मीथेनीकरण, नियंत्रित भस्मीकरण और दाह-संस्कार स्थल, जहां निर्धारित वैज्ञानिक मानकों का अनुश्रवण किया जाता हो, के माध्यम से प्रसंस्कृत या निस्तारित किये जायेंगे।

24— ठोस अपशिष्ट प्रसंस्करण तथा उपचार और अपशिष्ट भराई स्थलों के मानक :—

यह सुनिश्चित करना नगरीय स्थानीय निकाय का कर्तव्य होगा कि समस्त अपशिष्ट प्रसंस्करण सुविधा केन्द्र और अपशिष्ट भराई स्थल ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 के अधीन विहित उपबंधों और मानकों और इस संबंध में केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड या राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा जारी मार्गदर्शी सिद्धान्तों के अनुसार अभिकल्पित और अनुरक्षित किये जाय, यदि वैज्ञानिक प्रसंस्करण और निस्तारण किया जाना, प्रत्येक नगरीय स्थानीय निकाय के स्तर पर संभव न हो तो उस दशा में वैज्ञानिक प्रसंस्करण और निस्तारण की व्यवस्थाएं परिक्षेत्रीय या राज्य स्तर पर की जा सकती हैं। इस नियमावली के अधीन संग्रहीत प्रयोक्ता शुल्कों का प्रयोग ऐसी राज्य स्तरीय परियोजनाओं के निधिकरण और उनकी जनसंख्या के अनुपात में उनके संचालन और अनुरक्षण लागत के लिये भी किया जा सकेगा।

अध्याय—छः

नगरीय स्थानीय निकायों के अन्य बाध्यकारी कर्तव्य

25— बाध्यकारी कर्तव्यों के अतिरिक्त, प्रत्येक नगरीय स्थानीय निकायः—

(क) नागरिकों को समर्थ बनाने हेतु पर्याप्त अवसरचनात्मक सुविधायें उपलब्ध करायेगा जिससे कि ये इस नियमावली के उपबंधों का अनुपालन कर सकें। अपशिष्ट संग्रहण सेवाओं के अतिरिक्त स्थानीय नागरिकों के परामर्श से कूड़ा-कचरा के डिब्बे, शुष्क अपशिष्ट छंटाई केन्द्र और कम्पोस्टीकरण केन्द्र, जहाँ कहीं संभव और आवश्यक होंगे, स्थापित किये जायेंगे;

(ख) नगरीय स्थानीय निकाय द्वारा बहुधा अपेक्षित रूप में स्रोत पर संग्रहण या स्थल संग्रहण किये जाने का उपबंध किये जाने तक नगरीय स्थानीय निकाय द्वारा स्वयं या किसी अभिकर्ता के माध्यम से अन्तरिम व्यवस्था के रूप में यथा अवधारित सार्वजनिक मार्गों अथवा अन्य सार्वजनिक स्थानों पर समुचित सामूहिक डिब्बे उपलब्ध कराये जायेंगे और अनुरक्षित किये जायेंगे। पृथक्कृत अपशिष्ट संबंधित उत्सर्जकों द्वारा ऐसे सामुदायिक डिब्बों से परिदत्त किये जायेंगे और तत्पश्चात् नगरीय स्थानीय निकाय द्वारा संग्रहीत किये जायेंगे। नगरीय स्थानीय निकाय और/या अभिकर्ता को इन सामुदायिक डिब्बों से लोक उपताप या स्वास्थ्यगत संकटों

से बचाव और पृथक्करण का अनुपालन सुनिश्चित करना होगा। प्रत्येक सामुदायिक डिब्बा जैव नाशित और जैव अनाशित अपशिष्ट के लिये पृथक्कृत रखा जायेगा। समस्त ऐसे स्थानों के विवरण, जिनमें ऐसे स्थानों से अपशिष्ट संग्रहण की व्यवस्थाएँ और अपशिष्ट संग्रहण अनुसूचियाँ सम्मिलित हैं, नगरीय स्थानीय निकाय के कार्यालय के सूचना पट्ट और जिला एन0आई0सी0 के वेबसाइट पर उपलब्ध रहेंगे। नगरीय स्थानीय निकाय और/या अभिकर्ता को यह सुनिश्चित करना होगा कि किसी भी समय सामुदायिक डिब्बे अधिप्रवाहित (ओवर फ्लो) न हों या खुले वातावरण में उपदर्शित न हों जिससे कि कूड़ा बिनने वालों द्वारा उसके अपशिष्ट के बिखरे जाने को रोका जा सके;

(ग) कम्पोस्टीकरण केन्द्रों और शुष्क अपशिष्ट छंटाई केन्द्रों के माध्यम से शुष्क अपशिष्ट के कम्पोस्टीकरण और पुनर्चक्रण के सम्बंध में सूचना की सुविधा उन्हें जिला एन0आई0सी0 के वेबसाइट पर सूचीबद्ध करके प्रदान करेगा;

(घ) अपशिष्ट उत्पादक/अनौपचारिक अपशिष्ट संग्राहक संगठनों के मान्यता प्रदान करने की प्रणाली स्थापित करेगा और द्वार-द्वार अपशिष्ट संग्रहण सहित ठोस अपशिष्ट प्रबंधन में सहभागिता को सुगम बनाने हेतु इन प्राधिकृत अपशिष्ट उत्पादकों और अपशिष्ट संग्राहकों की एकीकरण प्रणाली संप्रवर्तित करेगा। उक्त प्रणाली स्थापित करने हेतु नगरीय स्थानीय निकाय अभीपचारिक अपशिष्ट संग्राहक और अपशिष्ट उत्पादक स्वयं सहायता समूह बनाने पर विचार कर सकते हैं और उन्हें ठोस अपशिष्ट प्रबंधन में एकीकृत करने का पहचान-पत्र जारी कर सकते हैं। नगरीय स्थानीय निकाय को ऐसे लोगों/समूहों को प्रोत्साहित करने के लिये भी प्रयास करना होगा जो स्थानीय स्तर पर स्वच्छता और सफाई अभियान में संलग्न हों और ऐसे व्यक्तियों/समूहों के एकीकृत किया जाना चाहिए जब वे पर्यावरण को स्वच्छ करने हेतु प्रयासरत हों;

(ङ) नगरीय स्थानीय निकाय के परिवहन ठेकेदार और/या अभिकर्ताओं/कर्मचारियों के विरुद्ध कार्यवाही करेगा यदि ठेकेदार का या नगरीय स्थानीय निकाय का कोई कर्मचारी किसी संग्रहण स्थल पर पृथक्कृत अपशिष्ट को मिश्रित करता है या विनिर्दिष्ट समय अनुसूची के अनुसार अपशिष्ट को उठाने में विफल रहता है;

(च) भिन्न-भिन्न भरण-स्थलों और अपशिष्ट प्रसंस्करण स्थलों पर डाले जाने वाले अपशिष्ट की मात्रा के सम्बंध में मासिक आंकड़ा सार्वजनिक रूप से निर्मुक्त करेगा। ऐसी सूचना कार्यालय में या नगरीय स्थानीय निकाय के वेबसाइट/जिला एन0आई0सी0 वेबसाइट पर उपलब्ध करायी जायेगी।

(छ) जैव चिकित्सा अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 की अनुसूची तीन के पैरा-7 के अनुसार समुचित कदम उठायेगा और अपने सांविधिक उत्तादायित्व का निर्वहन करेगा;

(ज) नगरीय स्थानीय निकाय द्वारा उसे सौंपे गये किसी कृत्य का निष्पादन करने के प्रयोजनार्थ किसी स्थान पर ऐसी सहायता जैसा कि यह आवश्यक समझे के साथ समस्त युक्तियुक्त समयों में प्रवेश करने का अधिकार होगा अथवा (ii) यह अवधारित करेगा कि क्या और यदि ऐसा है, किस रीति से ऐसे किन्हीं कृत्यों का निष्पादन किया जाना है अथवा क्या इस नियमावली या अधिसूचित की गयी अन्य अपशिष्ट प्रबंधन नियमावली के उपबंधों का अनुपालन किया गया है;

(झ) समुचित तकनीकी सहायता प्रदान करके उपताप संसूचक प्रणाली उपबंधित करेगा और उसे सशक्त बनायेगा,

(ञ) अपने नियंत्रणाधीन ऐसे अधिकारियों को अमिहित करेगा जो क्रियान्वयन हेतु योजनाओं और समय अनुसूचियों के अनुसार इस नियमावली के अधीन विनिर्दिष्ट नगरीय स्थानीय निकाय के बाध्यकारी उत्तरदायित्वों के क्रियान्वयन के लिये उत्तरदायी होंगे। कमियाँ यदि कोई हों, के कारणों सहित उक्त के सापेक्ष विनिर्दिष्ट योजनायें, समय अनुसूचियाँ और उपलब्धियाँ भी नगरीय स्थानीय निकायों के पदाधिकारी/प्राधिकारी द्वारा सार्वजनिक रूप से साझा की जायेंगी। पर्यवेक्षकों और सफाई निरीक्षकों के पास कार्य हेतु सम्पर्क करने और उसका समन्वय करने हेतु वर्दी और वाकी-टाकी अथवा मोबाइल आधारित यंत्र होना चाहिए।

(ट) नगरीय स्थानीय निकायों या उसके प्राधिकृत अभिकरण द्वारा द्वार-द्वार संग्रहण हेतु अमिनियोजित सफाई कर्मियों/अपशिष्ट उत्थापकों को कूड़ा-कचरा संहतकर्ता या द्वितीयक संग्रहण स्थल तक ले जाने के लिये समुचित प्रकार के यथा आवश्यक वाहन/हैडकार्ट गाडी/ट्राइसाइकिल से उपलब्ध कराया जायेगा, जो प्राथमिक संग्रहण स्थल से 2 से 3 किलोमीटर के भीतर होने चाहिए,

(ठ) अधिकाधिक पारदर्शिता और सार्वजनिक पहुँच के सुनिश्चित करते हुए, नगरीय स्थानीय निकायों द्वारा ऐसी समस्त आवश्यक सूचनाये उपलब्ध करानी होगी जो जिला एन0आई0सी0 के माध्यम से प्रचारित की जानी आपेक्षित हैं। प्रत्येक परिवार या अधिष्ठान को उस क्षेत्र के सफाई कर्मी और पर्ववेक्षक का नाम और नम्बर उपलब्ध कराया जायेगा;

(ड) चिन्हो, पर्चियो, वाहनों द्वारा घोषणा के माध्यम से/या किसी अन्य समुचित माध्यम से नियमावली के उपबंधो को प्रचारित करेगा ताकि समस्त नागरिक इस नियमावली के विभिन्न उपबंधो यथा प्रयोक्ता प्रभारों सांविधिक कर्तव्यो (अर्थात् अपशिष्ट पृथक्करण और पुनर्चक्रण) कूड़ा-कचरा रोधी तथा उपताप रोधी, शास्तियो तथा जुर्माना ओर अन्य प्रतिषेधो से अवगत हो सकें;

(ढ) इस नियमावली का अनुपालन सुनिश्चित करने हेतु अन्य सरकारी अभिकरणों तथा प्राधिकरणों के साथ समन्वय स्थापित करेगा;

(ण) नगरीय स्थानीय निकाय के समस्त सार्वजनिक मार्गो, स्थानो, कॉलोनियो, झोपड़ियो, बाजारो और पर्यटन स्थलो तथा पार्को और श्मशान स्थलों (घाटों) आदि की नियमित सफाई की व्यवस्था सुनिश्चित करेगा और नगरीय स्थानीय निकाय, कुड़ा-कचरा को इन स्थानो से द्वार-द्वार से या निकटतम कुड़ा-कचरा डिब्बा/पात्र/सुविधा स्थल से सग्रहीत करने तथा ले जाने के लिये और वहाँ से बंद यानों में अन्तिम निस्तारण स्थल तक परिवहन कृत करने के लिये प्रतिबद्ध होगा;

(त) पूर्ण या आंशिक दैनिक सफाई कार्य हेतु स्वच्छता और ठोस अपशिष्ट प्रबंधन कार्यो को करने में अपने स्वयं के/बाह्य स्रोतित/ ठेका सफाई कर्मकारो तथा वाहनो का उपयोग करेगा ताकि नगरीय निकाय लोकहित में अपने क्षेत्र को साफ और स्वच्छ रख सकें;

(थ) इस नियमावली के अधिसूचित किये जाने के दिनांक से एक वर्ष की अवधि के भीतर वैज्ञानिक रूप से सृजित पशु शव संचालन संयंत्र भस्मन सुविधा/संयंत्र में उस जिले में उक्त प्रयोजनार्थ मृत पशु निपटान प्रणाली स्वयं सृजित करने या समन्वय के माध्यम से सृजित करने का प्रयास करेगा;

(द) संदूषित माध्यमों, जिनमे नालों तालाबो झीलो का जल, मृदा तथा भू-पृष्ठ सामग्री सम्मिलित है, को उपचारित करने हेतु जैव उपचार/वानस्पतिक उपचार प्रक्रिया/किसी अन्य प्रौद्योगिकी, जहाँ कही आवश्यक हो, का उपयोग करेगा;

(ध) राज्य की बढ़ती हुई नगरीय जनसंख्या विकास दर को दृष्टिगत रखते हुए अपनी क्षेत्रीय सीमाओं के अन्तर्गत उपाप्तिया करेगा, प्राथमिक/द्वितीयक भण्डारण सुविधये स्थापित करेगा, अपेक्षित अवसंरचना सृजित करेगा और ठोस अपशिष्ट प्रबंधन हेतु कार्यबल नियोजित करेगा;

(न) वार्षिक बजट मे ठोस अपशिष्ट प्रबंधन सेवाओं हेतु आवश्यक पूंजीगत निवेश के साथ ही साथ इनके संचालन और अनुरक्षण हेतु धन की पर्याप्त व्यवस्था करने संबंधी प्रावधान का कड़ाई से पालन करते हुए यह भी सुनिश्चित किया जाएगा कि वार्षिक बजट अन्तर्गत स्थानीय निकाय के विवेकाधीन कार्यकलापों हेतु वित्तीय आवंटन इन नियमों के अधीन ठोस अपशिष्ट प्रबंधन और अन्य अनिवार्य कार्यो के लिए आवश्यक धन की आवश्यकता पूरी होने के बाद ही किया जाएगा। इस उपबन्ध के अनुपालन मे असफल होने के परिणाम स्वरूप असंतोषजनक ठोस अपशिष्ट प्रबंधन और निम्न स्तरीय स्वच्छता की आवांछनीय स्थिति में को सम्बन्धित नगरीय स्थानीय निकाय के पदाधिकारियों/प्राधिकारियों द्वारा कर्तव्यों के निर्वहन में गम्भीर कदाचार/अवचार की श्रेणी में माना जाएगा उनके विरुद्ध सुसंगत नियमो के अधीन सक्षम प्राधिकारी द्वारा दाण्डिक कार्यवाही प्रारम्भ की जाएगी;

(प) नगर के सम्पूर्ण दैनिक सफाई प्रणाली का प्रबंध करने के उद्देश्य से अपना स्वयं का शिकायत निवारण तंत्र स्थापित करेगा और जनसामान्य में इसका व्यापक प्रचार-प्रसार करेगा;

(फ) प्रोत्साहनो तथा सर्वोत्तम प्रथाओं का बढ़ावा देने के उद्देश्य से एक उपयुक्त मान्यता तंत्र स्थापित करेगा और सफाई तथा उत्तम अपशिष्ट प्रबंधन प्रथाओं को प्रोत्साहित करने वाले पणधारियों सहित इन कर्मचारियों/कर्मकारों/व्यक्तियों/समुहों को पुरस्कृत करेगा;

(ब) कर्मचारियों के मध्य स्वस्थ प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देने हेतु प्रदर्शन-आधारित गतिविधि के संकेतक को अपनाये जाने की प्रक्रिया अपनाई जाएगी, और एक अंतर-वार्ड प्रतियोगिता के माध्यम से एक सर्वश्रेष्ठ और वार्ड के सबसे अच्छे कर्मचारी/कर्मकार को पुरस्कृत कर उनके कार्य को समुचित रूप से सम्मानित किया जा सकेगा;

(भ) प्रत्येक माह सर्वोत्तम वार्ड और माह के सर्वोत्तम वार्ड कर्मचारी/कर्मकार हेतु अन्तरवार्ड स्पर्धा अपनाकर अपने कर्मचारियों के मध्य स्वस्थ स्पर्धा के लिये सुचारु रूप से मान्यता प्रदान करेंगे।

अध्याय-सात

मार्ग सफाई और सार्वजनिक कचरा पात्र

26- पथ सफाई-

नगरीय स्थानीय निकाय यह सुनिश्चित करेंगे कि-

(क) मार्ग पर प्रतिदिन एक बार सफाई और वाणिज्यिक क्षेत्रों में दो बार सफाई उस व्यक्ति द्वारा की जाएगी जिसे मार्ग पर सफाई करने, गली की सफाई, कुड़ा-करकट, नालियों से निकाली गई धूल तथा गाद से संबंधित सफाई कार्य दिया गया;

(ख) ठोस अपशिष्ट संचालित करने वाले समस्त कर्मकारों/सफाई कर्मियों को इस नियमावली की अधिसूचना के प्रारम्भ होने के दिनांक से 90 दिवसों के भीतर हेल्मेट, वर्दी, फ्लोरेसेन्ट जैकेटों, दस्तानों, रेनकोटों, समुचित जूतों, और मास्कसेट सहित व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण उपलब्ध कराये जायेंगे;

(ग) अपने द्वारा नियोजित किये गये समस्त सफाई कर्मियों को स्वयं निकाय द्वारा और संविदा तथा सेवा प्रदाताओं के माध्यम से अभिनियोजित किये गये कर्मधारियों को संविदा अभिकरणों द्वारा वर्ष में दो सेट वर्दिया उपलब्ध करायी जायेगी। नगरीय स्थानीय निकायों को अपने वार्षिक आय-व्ययक में ऐसे प्रति कर्मचारी के लिये कम से कम रुपये 2,000/- (दो हजार रुपये) का उपबंध करना होगा और वह अपशिष्ट सफाई/संचालन हेतु सविदात्मक/वाहन स्रोतित जनशक्ति कर्मकारों को उपलब्ध कराने हेतु संलग्न अपने अभिकर्ता के साथ ऐसा उपबंध भी करेगा;

(घ) जैव नाशित जैव अनाशित और अक्रिय अपशिष्ट के रूप में मार्ग सफाई के अपशिष्ट पृथक्कृत किये जाय और ऐसे पृथक्कृत अपशिष्टों का भण्डारण नियमावली के अनुसार के अनुसार मार्ग सफाई में संलग्न व्यक्तियों द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा;

(ङ) सफाईकर्मी मार्ग सफाई से संग्रहीत हुए ठोस अपशिष्टों तथा वृक्ष की पत्तियों को नहीं जलायेंगे और उन्हें पृथक-पृथक भण्डारित करेंगे तथा प्राधिकृत व्यक्ति/अभिकरण को सौंप देंगे।

27- कुड़ा-कचरा के डिब्बे/पात्र-

नगरीय स्थानीय निकाय-

(क) सभी सार्वजनिक मार्गों पर और सार्वजनिक स्थानों पर अस्थायी रूप से कूड़ा-कचरा निक्षेपित करने हेतु समुचित व सुविधाजनक अवस्थानों पर कुड़ा-कचरा डिब्बों को लगाया जायेगा;

(ख) उत्प्रेषण को रोकने हेतु किसी सार्वजनिक पथ या सार्वजनिक स्थान की स्थानीय स्थिति तथा आवासीय जनसंख्या घनत्व एवं वाणिज्यिक क्रिया/कलापों की सीमा को दृष्टिगत रखते हुए कूड़ा-कचरा डिब्बों का रखा जाना अवधारित करेगा;

(ग) यह सुनिश्चित करेगा कि कूड़ा-कचरा के डिब्बे प्रयोज्य दशा में समुचित रूप में अनुरक्षित किये जायें और उत्प्रवाहित न हो या खुले पर्यावरण उपदर्शित न हो जिससे जनता के लिये उपताप कारित करना या होना सम्भाव्य हो और उन्हें पशुओं या पक्षियों द्वारा बिखरे जाने से रोका जा सके;

(घ) यह सुनिश्चित करते हुए कि कूड़ा-कचरा अपशिष्ट प्राथमिक संग्रहण प्रणाली के माध्यम से संग्रहीत अपशिष्ट के साथ अपमिश्रित न हो, अपने द्वार-द्वार संग्रहण प्रणाली या स्थल-स्थल संग्रहण प्रणाली या अन्यथा के माध्यम से कूड़ा-कचरा के डिब्बों में संग्रहीत किये गये ठोस अपशिष्ट की नियमित सफाई करने और उसे हटाये जाने के लिए दैनिक आधार पर उपयुक्त तंत्र की व्यवस्था करेगा;

(ङ) कूड़ा-कचरा के डिब्बों या पथ सफाई पात्रों में संग्रहीत किये गये अपशिष्ट का परिवहन किया जाना सुनिश्चित करेगा और निम्नलिखित का परिवहन करने का उपबंध करेगा,

(एक) सुविधाजनक आर्द्ध अपशिष्ट प्रसंस्करण सुविधा स्थल तक जैव नाशित अपशिष्ट;

(दो) सुविधाजनक सामग्री प्राप्ति सुविधास्थल तक जैव अनाशित अपशिष्ट,

(तीन) परिवहन, निपटान या प्रसंस्करण हेतु निकटतम अपशिष्ट प्रबंधन सुविधा स्थल अंतरण स्थल या सन्निर्माण तथा विद्वंस अपशिष्ट निपटान या प्रसंस्करण सुविधा स्थल तक गाद, धूल, बालू और अन्य अक्रिय अपशिष्ट;

(च) अतिरिक्त कूड़ा-कचरा के डिब्बों जागरूकता अभियानों, प्रवर्तन अभियानों और गैर सरकारी संगठनों आदि की संलग्नता का उपबंध करने सहित कूड़ा-कचराकरण की घटनाओं को कम करने के लिये इस नियमावली या प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अधीन समस्त आवश्यक और समुचित उपाय करेगा—

अध्याय-आठ

अपशिष्ट उत्थापकगण—मान्यता और अधिकार

28— नगर विकास विभाग, श्रम विभाग और राज्य सरकार के चिकित्सा स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग की सहायता से संबंधित नगरीय स्थानीय निकाय को इस नियमावली को अधिसूचित किये जाने के छः माह के भीतर यह सुनिश्चित करना होगा कि—

(क) ठोस अपशिष्ट प्रबंधन क्रिया-कलापों में औपचारिक या अनौपचारिक रूप से संलग्न अपशिष्ट उत्थापकों के लिए पहचान-पत्र जारी किये जायें;

(ख) समस्त अपशिष्ट उत्थापकों को विभिन्न सामाजिक सुरक्षा योजनाओं और निजी ऑपरेटरो के माध्यम से उन्हें शिक्षित किये जाने और सुविधा प्रदान किये जाने के दौरान ऐसे उपयुक्त व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण उपलब्ध कराये जायें जिनमें हेलमेट, वर्दी फ्लोरेसेट जैकेट, दस्ताने, रेनकोट समुचित प्रकार के जूते और मास्क सम्मिलित हैं;

(ग) औपचारिक तंत्र सृजित करने के उद्देश्य से कमजोर वर्ग के संबंध में विभिन्न योजनायें क्रियान्वित करने के उद्देश्य से अन्य सरकारी विभागों के साथ समन्वय करके विभिन्न सरकारी योजनाओं की ऐसी प्रसुविधा उपबंधित की जाय जिसमें अपशिष्ट उत्थापक सम्मिलित हो सकते हैं किन्तु वह उन्हीं तक सीमित नहीं होगी;

(घ) कमजोर वर्ग के संबंध में विभिन्न योजनाएं क्रियान्वित की जायें जिनमें अपशिष्ट उत्थापकों की सुविधा और कल्याण सम्मिलित हो किन्तु वे उन्हीं तक सीमित न हों;

(एक) नियमित अंतरालों पर और प्रत्येक छः माह में आवश्यक रूप से एक बार निःशुल्क चिकित्सीय जांचें की जायें और टीके लगाये जायें और अपशिष्ट उत्थापकों तथा उनके बच्चों के स्वास्थ्यगत परिसंकटों को कम करने तथा उन्हें दूर करने के लिये कोई अन्य उपाय किया जाय;

(दो) अपशिष्ट उत्थापकों और उनके बच्चों को मूलभूत स्वास्थ्य बीमा से आच्छादित किया जाय;

(तीन) अपशिष्ट उत्पादकों के कार्य—स्थल पर उच्च स्तरीय स्वास्थ्य व्यवस्था अनुरक्षित की जाय;

(चार) कूड़ा निक्षेप स्थलों पर कार्यरत युवा लोगों को लक्ष्य करके सामाजिक सुरक्षा और शैक्षिक योजनाएं उपबंधित की जाय;

(पांच) नियमानुसार ऋण सुविधा की प्रसुविधा कर वित्तीय समावेशन से आच्छादित करने हेतु प्रयास;

(ड़) अपशिष्ट उत्त्पकों के प्रति अधिकाधिक समारात्मक लोक भावना को प्रोत्साहित करने और पूनर्चक्रण योग्य अपशिष्टों के पृथक्करण को प्रोत्साहित करने के लिये जागरूकता अभियान संचालन किये जाये;

(च) अपशिष्ट उत्त्पाकों के कार्य की पर्यावरणीय और आर्थिक गुणवत्ता को दृष्टिगत रखते हुए उनकी सामाजिक—आर्थिक प्रास्थिति तथा शारीरिक एवं मानसिक भलाई के समुत्थान के लिये कोई क्रिया—कलाप या योजना उपक्रमित की जायेगी, अपनायी जायेगी और क्रियान्वित की जायेगी।

अध्याय— नौ

प्रयोक्ता शुल्क

29— प्रयोक्ता शुल्क

(1) नगरीय स्थानीय निकाय समय—समय पर अवधारित अनुसूची दो में उल्लिखित उपबंधों के अनुसार की गयी अपशिष्ट प्रबंधन सेवाओं के लिये परिवारों/अधिष्ठानों/परिसरों से प्रयोक्ता से प्रयोक्ता शुल्क उदग्रहित करेंगे। उपरोक्त दरों में प्रतिवर्ष कम से कम 5 प्रतिशत की वृद्धि की जायेगी और ऐसी प्रथम वृद्धि दिनांक 01 अप्रैल, 2025 से प्रभावी होगी। अनुसूची दो के उपबंधों के अतिरिक्त नगरीय स्थानीय निकाय विभिन्न अपशिष्ट प्रबंधन नियम यथा एस. डब्लू.एम. नियम, 2016, निर्माण एवं विध्वंस अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016, जैव चिकित्सीय अपशिष्ट प्रबंधन नियम 2016, प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016, और केन्द्र/राज्य सरकार द्वारा विभिन्न प्रकार के अपशिष्ट प्रबंधनों के संबंध में अधिसूचित ऐसी अन्य नियमावली के प्रभावी और समुचित क्रियान्वयन के लिये किन्हीं अन्य श्रेणी के प्रयोक्ता शुल्कों को जोड़ सकते हैं;

(2) उपर्युक्त द्वार—द्वार या स्थलीय अपशिष्ट संग्रहण शुल्क, नगरीय स्थानीय निकाय के प्राधिकृत अभिकर्ताओं/व्यक्तियों द्वारा ही संग्रहीत किये जायेंगे। उपर्युक्त दर, नगरीय स्थानीय निकाय/संस्था/व्यक्ति द्वारा समुचित रूप में विज्ञापित किये जायेंगे और उक्त दरें अपशिष्ट प्रबंधन वाहनों पर भी प्रदर्शित की जायेंगी। पारदर्शिता सुनिश्चित करने हेतु नगरीय स्थानीय निकाय या उसके प्राधिकृत अभिकर्ता को प्रयोक्ता शुल्क और शास्ति संग्रहीत करने हेतु हैंडहेल्ड डिवाइस का प्रयोग करने का तंत्र स्थापित करने का प्रयास करना होगा;

(3) यदि इस नियमावली के अधीन यथा विहित रीति से किसी व्यक्ति/दल द्वारा अपशिष्ट सामग्री का निपटान नहीं किया जाता है और उसका निपटान अभिहित स्थलों, अपशिष्ट डिब्बों, कूड़ा—कचरा डिब्बों, मार्गों में रखे गये पात्रों, पाकों या ऐसे अन्य अभिहित स्थलों पर नहीं किया जाता है और उसका निपटान अन्य जगह किया जाता है, जहां अपशिष्ट निपटान किया जाना प्रतिषिद्ध हो, ऐसी परिस्थितियों में इस नियमावली के अधीन विहित नियमित प्रयोक्ता शुल्को के अतिरिक्त सम्बन्धित व्यक्ति/पक्षकार से जुर्माना/प्रशमन शुल्क उदग्रहीत किया जायेगा;

(4) इस नियमावली में यथा आदेश कृत सेवाओं हेतु नगरीय स्थानीय निकाय द्वारा पूर्व से प्रयोक्ता शुल्क विहित किये जाने की स्थिति में नगरीय स्थानीय निकाय को इस नियमावली की अनुसूची—दो के अधीन विहित प्रयोक्ता शुल्कों/फीसों के अनुसार अपनी प्रयोक्ता शुल्क फीस संरचना में संशोधन करके वृद्धि करनी होगी। इस नियमावली की अनुसूची—दो में विहित प्रयोक्ता शुल्कों के दरों से किसी नगरीय स्थानीय निकाय की दरें कम नहीं होंगी, तथापि कोई नगरीय स्थानीय निकाय इस नियमावली अथवा केन्द्र/राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित अन्य विभिन्न अपशिष्ट प्रबंधन नियमावली के उपबंधों के अनुसार ठोस अपशिष्ट प्रबंधन की वित्तीय क्षमता हेतु ऐसे उच्चतर प्रयोक्ता शुल्कों को अधिसूचित करने के लिये यदि उपयुक्त पाता है तो वह समस्त क्षणियों की सेवाओं/प्रयोक्ताओं के लिये अथवा किसी विनिर्दिष्ट श्रेणी की सेवाओं/प्रयोक्ताओं के लिये प्रयोक्ता शुल्क के रूप में अनुसूची—दो में विहित दरों से उच्चतर दर संरचना को अधिसूचित कर सकता है;

(5) शास्ति या प्रयोक्ता शुल्क/फीस, यदि इस नियमावली के अधीन यथा उपबंधित रूप में स्थल पर या मासिक आधार पर संग्रहीत न की गई हो, परिवार/अधिष्ठान के सम्पत्ति कर देयक में जोड़ी जायेगी;

(6) थोक अपशिष्ट उत्सर्जकों द्वारा स्वस्थाने (आन साइट)/स्थलीय अपशिष्ट प्रबंधन को प्रोत्साहित करने हेतु नगरीय स्थानीय निकाय प्रयोक्ता शुल्कों में प्रोत्साहन प्रदान करने पर विचार कर सकता है, यथापि ऐसे थोक अपशिष्ट उत्सर्जकों द्वारा अपनायी गयी स्थलीय अपशिष्ट प्रबंधन प्रथा का सत्यापन समुचित रूप में प्रतिपादित पारदर्शी रीति से किया जायेगा। थोक अपशिष्ट उत्सर्जकों के प्रोत्साहनों से संबंधित ऐसे किसी प्रस्ताव को राज्य सरकार को संसूचित किया जायेगा और ऐसे प्रोत्साहनों की प्रसुविधा का राज्य सरकार द्वारा अनुमोदन किये जाने के पश्चात् ही उन्हें बढ़ाया जायेगा;

(7) सीधे प्रयोक्ता से अथवा सम्पत्ति कर के माध्यम से प्रयोक्ता शुल्क के रूप में संग्रहीत धनराशि, किसी पृथक बैंक खाता में रखी जायेगी और उसका अनन्य रूप में उपयोग अपशिष्ट प्रबंधन के लिये किया जायेगा। राज्य सरकार इस धनराशि के समुचित उपयोग को सुनिश्चित करने के लिये निर्देश जारी कर सकती है।

अध्याय – दस

प्रतिषेध और अपराध

30—सार्वजनिक स्थान पर कूड़ा-कचरा,—

इस नियमावली में अथवा पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के अधीन बनायी गयी किसी अन्य नियमावली में अथवा किसी अन्य विधि, जो प्रवर्तित हो, के अधीन उपबंधित रीति के सिवाय कोई व्यक्ति, किसी सार्वजनिक स्थान, पथ, खुले स्थानों, नाली या जलाशयों में या पर मल सहित कोई ठोस, अर्द्धठोस, तरल या ठोस अपशिष्ट न तो फेकेगा, न निक्षेपित करेगा अथवा न फेकवायेगा या न निक्षेपित करवायेगा।

स्पष्टीकरण : प्रत्येक व्यक्ति को यह सुनिश्चित करना होगा कि पगडंडी और खुली नाली/नाबदान सहित उसके स्वामित्वाधीन या उसके द्वारा अधिभुक्त किसी परिसर के समक्ष स्थित या उससे संलग्न कोई सार्वजनिक स्थान, मल और अपशिष्ट जल सहित किसी तरल/अर्द्ध ठोस या ठोस अपशिष्ट से मुक्त हो और ऐसे प्रत्येक व्यक्ति को ऐसे परिसर के भीतर पर्याप्त संख्या में कूड़ा-कचरा डिब्बा उपलब्ध कराना होगा और यह सुनिश्चित करना होगा कि सार्वजनिक मल/जल निकास प्रणाली में अपशिष्ट जल निकास के पर्याप्त संयोजन हों।

31—रिक्त भू-खण्डों पर कूड़ा-कचरा,—

काई अपशिष्ट उत्सर्जक या नगरीय स्थानीय निकाय या अभिकरण किसी रिक्त भू-खण्ड पर ठोस अपशिष्ट नहीं फेकेगा या नहीं निक्षेपित करेगा। सरकारी या निजी स्वामित्व वाले ऐसे रिक्त भू-खण्ड के स्वामी या अधिभोगी का यह कर्तव्य होगा कि वह यह सुनिश्चित करे कि उक्त भूमि अपशिष्ट मुक्त हो।

32—जलाशयों में वस्तुएँ फेंक कर प्रदूषण,—

काई व्यक्ति किसी प्रकार का अपशिष्ट किसी प्रकार के जलाशय (जब तक उक्त प्रयोजनार्थ विनिर्दिष्ट न किया जाय प्राकृतिक या मानव निर्मित) में नहीं फेकेगा। मूर्ति विसर्जन हेतु जहां आवश्यक हो, सिंचाई विभाग या स्थानीय निकाय, मिट्टी के बंधो से अस्थायी कुंड निर्मित कर सकता है। अपशरणीय सश्लिष्ट रजुएँ कुंड के तल में डाली जा सकती है जिन्हें केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के मार्गदर्शी सिद्धान्तों के अनुसार नियमित रूप से अपसारित किया जाना चाहिए। किसी वैकल्पिक उपाय स्वरूप काम चलाऊ बांस के ढाचे, नगरीय स्थानीय निकाय द्वारा जलाशयों या उसके द्वारा समय-समय पर यथा विनिश्चित किये गये किसी अन्य स्थान पर परिनिर्मित किये जा सकते हैं, जहाँ जनता पुष्प, पत्तियाँ, कपड़े, मूर्तियाँ, सजावटी वस्तुएँ और अन्य पूजा सामग्रियाँ, प्रक्षेपित कर सकती है, जिन्हे तत्पश्चात् प्रसंस्करा सुविधा स्थलों या पुनर्चक्रण केन्द्रों तक ले जाया जा सकता है। सामूहिक जागरूकता हेतु विनिर्दिष्ट पर्चियों/पोस्टर तैयार किये जाय और वितरित किये जाय।

33—वाहनों से कूड़ा-कचरा,—

कोई व्यक्ति किसी चलते हुए या पार्क किये गये वाहन से किसी पथ, मार्ग पार्श्व पगडंडी, क्रीडा-स्थल, उद्यान, यातायात-स्थल या अन्य सार्वजनिक या निजी स्थान पर नहीं थूकेगा, वहाँ से कूड़ा-कचरा नहीं फेंकेगा या नहीं प्रक्षेपित करेगा। कोई वाहन चालक ऐसे वाहन के किसी यात्री को उक्त रीति से थूकने या उक्त अपशिष्ट को फेंकने की अनुमति या अनुज्ञा नहीं देगा।

स्पष्टीकरण : कोई व्यक्ति कूड़ा-कचरा से भरे हुए किसी ट्रक या अन्य वाहन को तब तक नहीं चलायेगा या संचालित करेगा, जब तक ऐसे वाहन कूड़ा-कचरा को ढकने हेतु न अभिकल्पित किये गये हों और उनमें अपशिष्ट इस प्रकार भरा जाय जिससे की किसी कूड़ा-कचरा को किसी मार्ग, पार्श्व मार्ग, यातायात-स्थल, क्रीडा-स्थल, उद्यान या अन्य सार्वजनिक स्थान पर उड़ने या निक्षेपित किये जाने से रोका जा सके।

34—नाला अपशिष्ट निपटान,—

कोई व्यक्ति किसी मल नाली/नाला/नदी/कुण्ड/जलाशयों/झंझा-जल नालों में कोई अपशिष्ट नहीं फेंकेगा।

35—पालतू जानवरों के अपशिष्ट का निपटान,—

पालतू जानवरों द्वारा सड़कों को पूर्णतयः अपशिष्ट के बिखराव से मुक्त रखने का सम्पूर्ण दायित्व पालतू जानवर पालने वालों का होगा। पालतू जानवरों के स्वामी अपने जानवरों को सड़क पर घुमाते समय उसे पट्टों से बाँध कर रखना सुनिश्चित करेंगे, पालतू जानवर के मल करने की स्थिति में उसे उठाने के लिए पालतू जानवर के स्वामी थैला लेकर चलेंगे और उसे उठाकर निस्तारण हेतु अपने घर लेकर जायेंगे;

36—प्रतिबंधित वस्तुओं का विक्रय, विनिर्माण और वितरण :

(1) कोई व्यक्ति किसी भी रूप में समय-समय पर यथा संशोधित उत्तर प्रदेश प्लास्टिक अन्य जीव अनाशित कूड़ा-कचरा (विनियमन) अधिनियम, 2000 के अधीन अधिसूचना संख्या-1056/11-7-18-29 (लखनऊ)/18, दिनांक 15 जुलाई, 2018 में प्रतिबंधित किये गये/निषिद्ध किये गये ऐसे जैव-नाशित प्लास्टिक कैरीबैग और ऐसी किन्हीं वस्तुओं (कप, ग्लास, प्लेट, चम्मच, गिलास आदि जो एक बार प्रयोग के पश्चात् नाशित प्लास्टिक या थर्मोकोल वस्तुओं से निर्मित हैं) के विनिर्माण, विक्रय, वितरण, भण्डारण, परिवहन, आयात या निर्यात में लिप्त नहीं होगा;

(2) कोई व्यक्ति झंझा-जल नालियों, मार्ग-खड्गों, सरकारी या नगरीय स्थानीय निकाय से सम्बन्धित खुले स्थानों और/या सार्वजनिक मार्गों के दोनों ओर सन्निर्माण एवं विध्वंस अपशिष्ट या कोई अन्य प्रकार का अपशिष्ट निक्षेपित नहीं करेगा या नहीं बिखेरेगा;

(3) कोई नगरीय स्थानीय निकाय या अपशिष्ट प्रबंधन सुविधा-तंत्र, किसी खुले वाहन में नगर पालिका ठोस अपशिष्ट को संग्रहीत या अंतरित नहीं करेगा।

37— सफाई : कोई व्यक्ति,—

(क) किसी प्रयोजन से विनिर्दिष्ट रूप से उपबंधित सार्वजनिक संविधा/प्रसुविधा स्थलों से भिन्न किसी सार्वजनिक स्थल, पर स्नान नहीं करेगा, नही थूकेगा, पेशाब नही करेगा मल त्याग नहीं करेगा, वाहनों/बर्तनों की धुलाई नही करेगा, पशुओं/चिड़िया के समूह को चारा नही देगा अथवा उनके बीट/मल गिरने नहीं देगा अथवा किसी प्रकार का या किसी वस्तु का भंडारण नही करेगा,

(ख) अपने स्वयं के भवन, संगठन, वाणिज्यिक अधिष्ठानों से गंदा जल, कीचड़, विष्टा, गोबर, पेशाब प्रदूषित जल अपने स्वयं के अहाते में संग्रहीत नही होने देगा और न ही उसे इस रूप में सामान्य पथों पर प्रवाहित होने देगा कि वातावरण बदबू से प्रदूषित हो जाय या लोक स्वास्थ्य के लिये खतरा उत्पन्न हो जाये।

38—जनसमूह एकत्र करना,—

कोई व्यक्ति स्थानीय निकाय को कम से कम तीन कार्य दिवस से पूर्व सूचित किये बिना किसी स्थान पर एक सौ से अधिक व्यक्तियों का समारोह या जनसमूह आयोजित नहीं करेगा। ऐसे व्यक्ति या आयोजनकर्ता का यह कर्तव्य होगा कि वह स्रोत पर अपशिष्ट पृथक्करण करने तथा अपशिष्ट संग्राहक या अभिकर्ता, जैसा की स्थानीय निकाय द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाय, को प्रथक्कृत अपशिष्ट का सौपा जाना सुनिश्चित करे। ऐसे व्यक्ति या आयोजनकर्ता और साथ ही साथ समस्त सम्बद्ध स्थानीय निकायों को समारोह आयोजित किये जाने के तत्काल पश्चात् उस क्षेत्र के सफाई को सुनिश्चित करना होगा।

39— प्रतिसंदेय सफाई जमा,—

किसी समारोह के आयोजनकर्ता को समारोह की अवधि के लिये सम्बन्धित कार्यालय में अपेक्षित जमा का संदाय करना होगा, जो यह अधिसूचित किये जाने पर कि सम्बन्धित पदाधिकारी प्राधिकारी के समाधान के अनुसार उक्त सार्वजनिक स्थल को साफ स्थित में बहाल कर दिया गया है और समारोह के फलस्वरूप उत्सर्जित अपशिष्ट को संग्रहीत कर लिया गया है और अभिहित स्थलों तक परिवहन कृत कर दिया गया है, समारोह सम्पन्न होने पर प्रतिसंदेय होगा।

40— अपशिष्ट का जलाया जाना,—

मार्गों के पार्श्व भागों में या किसी निजी या सार्वजनिक सम्पत्ति में किसी प्रकार के ठोस अपशिष्ट का जलाया जाना प्रतिबिद्ध है। उक्त प्रतिषेध नगरीय स्थानीय निकाय के सफाई कर्मचारियों या अन्य कर्मचारियों सहित समस्त व्यक्तियों, संविदा कर्मकारों, अपशिष्ट उत्थापकों या मार्गों और पथों तथा अन्य सार्वजनिक स्थानों की सफाई और स्वच्छताकरण के कार्यों में संलग्न किन्हीं अन्य व्यक्तियों के लिये लागू होगा।

41— अपशिष्ट संग्रहण और प्रक्षेपण प्रतिशोध,—

(1) कोई व्यक्ति, वातावरण और मैदान को उसकी बदबू से प्रदूषित करने और स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचाने या यातायात को बाधित करने के लिये अपने भवन, संस्था या वाणिज्यिक अधिष्ठान से अपशिष्ट जल, कीचड़ जल, मल, गोबर, विष्ठा आदि के संग्रहीत या प्रक्षेपित नहीं करेगा;

(2) यदि कोई व्यक्ति मृत-पशु/जानवर या उसके आंशिक भागों को फेंककर सार्वजनिक खुले स्थलों आदि में प्रदूषण व गंदगी फैलाते हुए पाया जाता है तो वह नगरीय स्थानीय निकाय द्वारा उदग्रहीत किये जाने वाले अन्य वहन शुल्कों का संदाय करने का उत्तरदायी होगा।

42— कतिपय विनिर्दिष्ट उल्लंघन की स्थिति में नगरीय स्थानीय निकाय और/या अपशिष्ट उत्सर्जन कर्ताओं के कर्तव्य :

(1) नगरीय स्थानीय निकाय किसी परिसर के स्वामी या अधिभोगी को एक नोटिस, उक्त नोटिस में यथा विनिर्दिष्ट रीति से और समय में परिसर में किसी अपशिष्ट की सफाई करने की अपेक्षा करते हुए, तामील करेगा;

(2) यदि स्वामी या अधिभोगी, जिस पर नोटिस तामील की गई है, निर्धारित अवधि के भीतर अनुपालन करने में विफल हो जाता है तो ऐसा व्यक्ति नगरीय स्थानीय निकाय द्वारा यथा अवधारित शक्ति का संदाय करने का दायी होगा;

(3) यदि स्वामी या अधिभोगी, जिस पर शक्ति तामील की गई हो पन्द्रह दिन के भीतर अनुपालन करने में विफल हो जाता है, तो सम्बन्धित नगरीय स्थानीय निकाय उक्त परिसर में प्रवेश कर सकता है और नियमावली के अनुसार उक्त अपशिष्ट की सफाई कर सकता है तथा स्वामी या अधिभोगी से अपशिष्ट क्षेपण करने के कारण अधिरोपित शक्ति के साथ-साथ अतिरिक्त रूप से उपगत व्ययों की वसूली कर सकता है।

43— अपशिष्ट पृथक्करण, परिदान और संग्रहण उल्लंघनों के उपबंध,—

कोई व्यक्ति—

(क) पृथक्-पृथक् डिब्बों में बिना यथाविहित रीति से पृथक् किये गये और भण्डारित किये गये शुष्क, आर्द्र या घरेलू परिसंकटमय अपशिष्ट प्रदत्त नहीं करेगा;

(ख) नगरीय स्थानीय निकाय से समुचित रजिस्ट्रीकरण या प्राधिकार करण कराये बिना ठोस अपशिष्ट संग्रहीत नहीं करेगा। गैर पंजीकृत तथा अप्राधिकृत किसी विक्रेता/फेरीवाला द्वारा अपशिष्ट संग्रहण किया जाना प्रतिषिद्ध है और कोई व्यक्ति, नगरीय स्थानीय निकाय या उसके प्राधिकृत अभिकरण द्वारा नियमित द्वार-द्वार ठोस अपशिष्ट संग्रहण के लिये अभिनियोजित अपशिष्ट उत्पादकों की कार्य प्रणाली में व्यवधान उत्पन्न नहीं करेगा;

(ग) यथा विनिर्दिष्ट रूप से पृथक्कृत न किये गये सन्निर्माण और विध्वंस अपशिष्ट को प्रदत्त नहीं करेगा;

(घ) यथा विनिर्दिष्ट रीति से पृथक्कृत न किये गये उद्यान अपशिष्ट और वृक्ष कांट-छांट समकर्तनों को प्रदत्त नहीं करेगा;

(ङ) यथाविहितरूप में पृथक्कृत न किये गये मत्स्य, कुक्कुट और मांस अपशिष्ट को प्रदत्त नहीं करेगा;

(च) कोई थोक अपशिष्ट उत्सर्जनकर्ता इस नियमावली या ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम 2016, जैव चिकित्सीय अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016, प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016, सन्निर्माण और ध्वस्तीकरण अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016, परिसंकटमय और अन्य अपशिष्ट (प्रबंधन और अंतर सीमा संचालन) नियम, 2016 और ई-अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 में विनिर्दिष्ट रीति से भिन्न रीति से अपृथक्कृत अपशिष्ट का भण्डारण और परिदान नहीं करेगा;

(छ) यदि कोई भंडारा या लंगर आयोजित करने वाला कोई व्यक्ति या व्यक्ति समूह कार्यस्थल पर पृथक्कृत अपशिष्ट डिब्बों को उपलब्ध नहीं कराता है तो ऐसा व्यक्ति या व्यक्ति समूह विहित शुल्कों के अनुसार जुर्माना दिये जाने हेतु उत्तरदायी होगा।

44—नालियों/मल नालियों/सोखने वाले गड्ढों से सम्बन्धित उपबंध,—

कोई व्यक्ति—

(क) निजी नालियों/मल नाली प्रणालियों से झंझा जल नालियों, मार्ग, खुली भूमियों, जलाशयों, जल मार्गों, कृषि भूमि या किसी अन्य गैर अभिकल्पित अवस्थानों में घरेलू मल/मल जल/बहिःस्रावों को उन्मोचित नहीं करेगा या उन्मोचित नहीं करने देगा;

(ख) संभावित रूप में नाली को क्षतिग्रस्त करने या सार्वजनिक मल-नाली प्रणाली के प्रवाह में व्यवधान डालने के लिये किसी द्रव्य को अन्तर्प्रवाहित नहीं होने देगा;

(ग) खुली नालियों और/या प्रवेश विवरों में कोई द्रव्य जमा नहीं करेगा या जमा नहीं करने देगा जिससे कि मल-नाली प्रणाली में अवरोध/गतिरोध उत्पन्न हो सके। यह उपबंध भू-तल टैंकों से निकाले गये गाढ़ा कीचड़ और उत्सर्जनकर्ताओं द्वारा उत्सर्जित सन्निर्माण और विध्वंस अपशिष्ट आदि को निक्षेपित करने हेतु खुली नालियों में पथ सफाई को निक्षेपित करने वाले नगरीय स्थानीय निकाय के कर्मचारी वर्ग पर भी यह लागू होगा।

(घ) आवश्यक विहित उपचार करने के पूर्व औद्योगिक बहिःस्राव विशेष रूप से किसी उद्योग, घरेलू उद्योग, वधशाला और मांस बाजार, दुग्धशाला, पशुबाड़ा, कार्यशाला या गैरेज के क्रिया-कलापों से सम्बन्धित किन्ही अन्य बहिःस्रावों को सार्वजनिक मल-नाली/नालों में उन्मोचित नहीं करेगा या उन्मोचित नहीं करने देगा;

(ङ) समुचित सुरक्षात्मक उपकरण तथा सुरक्षा उपायों के बिना किसी कर्मचारी/ठेकेदार/अभिकर्ता को मल, मलवहन या गाढ़ा कीचड़ से सम्बन्धित कार्य हाथ से करने की अनुज्ञा नहीं देगा;

(च) जल मार्गों, नालों, खुली भूमि, कृषि क्षेत्र या किसी अन्य गैर अभिहित स्थल पर भू-तल टैंकों से गाढ़े कीचड़ से बहने वाले बहिःस्रावों को उन्मोचित नहीं करेगा किन्तु अभिहित मल कीचड़/मल वहन संयंत्रों या नगरीय स्थानीय निकाय द्वारा विहित स्थल पर निर्मोचित करेगा;

(छ) किसी कर्मकार को इस नियमावली या किसी विहित नियमावली/नगरीय स्थानीय निकाय द्वारा जारी अनुदेशों के अधीन यथाविहित रूप में उसे उसकी सुरक्षा एवं संरक्षा हेतु आवश्यक उपकरण उपलब्ध कराये बिना किसी मल वहन प्रवेश विवर में नहीं नियोजित करेगा या नहीं लगायेगा;

(ज) अपने स्वामित्वाधीन या नियंत्रणाधीन परिसरों के अन्तर्गत कोई जलावरोध, प्रवाहहीनता/अपशिष्ट क्षेपण/अस्वास्थ्यकर स्थितियों/अस्वच्छ स्थितियों/भंजन आदि को नहीं करने देगा, जो विषाणुजनन के वाहक या कारण हो सकते हैं;

नगरीय स्थानीय निकाय को, अपने क्षेत्र में जनित मल वहन का उपचार स्थायी आधार पर करना चाहिए। जब तक उपरोक्त की प्राप्ति नहीं हो जाती है तब तक नगरीय स्थानीय निकाय को जैव-उपचार/वनस्पति उपचार/निर्मित आर्द्र भू-प्रौद्योगिकी/ऐसी अन्य प्रौद्योगिकीय को अपनाना चाहिए और यह सुनिश्चित करना चाहिए कि किसी नाला का कोई गैर उपचारित मल वहन अपशिष्ट किसी नही या जलाशय में न पहुंचे;

ठोस अपशिष्ट प्रबंधन और तरल अपशिष्ट प्रबंधन पर व्यय की प्रथम वरीयता नगरीय स्थानीय निधि के पास विभिन्न स्रोतों यथा केन्द्रीय वित्त आयोग/राज्य वित्त आयोग/किसी अन्य निधि से उपलब्ध निधियों पर होगी।

45-अन्य प्रतिशिद्ध क्रिया-कलाप,—

निम्नलिखित क्रिया-कलाप नहीं किये जायेंगे।

(क) किसी विक्रेता/फेरी वाले के द्वारा विक्रय-स्थल पर अपृथक्कृत जैव नाशित तथा अन्य अपशिष्ट नहीं रखे जायेंगे;

(ख) यदि कोई व्यक्ति या थोक अपशिष्ट उत्सर्जनकर्ता, एक सौ से अधिक व्यक्तियों को कोई समारोह या जनसमूह आयोजित करता है, उस समारोह के समाप्त होने के चार घंटे से अधिक समय के पश्चात् उस स्थल को गंदा या अस्वच्छ छोड़ देता है;

(ग) यदि नगरीय स्थानीय निकाय की सीमा के बाहर निवास करने वाले व्यक्ति, परिवार, समिति और थोक अपशिष्ट उत्सर्जनकर्तागण निकाय क्षेत्र के भीतर अपशिष्ट क्षेपित करते हैं तो नगरीय स्थानीय निकाय क्षेत्र के अन्तर्गत अपशिष्ट क्षेपित करते हुए या जमा करते हुए पाये गये ऐसे व्यक्ति, परिवार, समितियां और थोक, अपशिष्ट उत्सर्जनकर्तागण पर विहित शुल्कों के अनुसार जुर्माना अधिरोपित कर निकाय द्वारा वसूल किया जायेगा;

(घ) यदि नगरीय निकाय क्षेत्र के बाहर के पार्श्ववर्ती और पड़ोसी ग्राम/ग्राम पंचायतें नगरीय स्थानीय निकाय के क्षेत्र के भीतर अपशिष्ट क्षेपित करते हैं तो ऐसे पार्श्ववर्ती और पड़ोसी ग्राम/ग्राम पंचायतें विहित शुल्कों के अनुसार जुर्माना अधिरोपित कर निकाय द्वारा वसूल किया जायेगा;

(ङ) इस नियमावली के अधीन नगरीय स्थानीय निकाय या उसके द्वारा नियुक्त किसी अभिकर्ता द्वारा उपलब्ध कराये गये यानों, पात्रों, टेला-गाड़ियों, सामग्री प्राप्ति सुविधा यंत्रों तथा उपस्करों सहित कोई अवसंरचना बिना अनुज्ञा के हटाता है;

(च) नदियों/जलाशयों/नालों/कैचमेंट क्षेत्रों आदि में अनुपयुक्त तरीके से मानव शव या पशुओं के शवों का निस्तारण।

अध्याय-ग्यारह

शास्ति एवं स्थलीय जुर्माना

46—स्थलीय जुर्माना :

(क) उपताप संसूचक अथवा कोई कर्मचारी/अभिकर्ता/प्रवर्तन कार्यबल के सदस्य और नगरीय स्थानीय निकाय द्वारा प्राधिकृत अन्य व्यक्ति के पास कूड़ा-कचरा करने और लोक उपताप उत्पन्न करने के सम्बन्ध में इस नियमावली के उल्लंघन पर अनुसूची तीन के अनुसार स्थलीय जुर्माना उद्गृहीत करने की शक्ति होगी।

(ख) किसी व्यक्ति द्वारा मौके पर जुर्माना नहीं दिये जाने की दशा में वह पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के उपबंधों के अधीन अभियोजित किये जाने के लिए उत्तरदायी होगा/होगी।

47—इस नियमावली के उल्लंघन पर उद्गृहीत शुल्क—

(क) जो कोई इस नियमावली के किन्हीं उपबंधों का उल्लंघन करता है अथवा इस नियमावली के अधीन किये गये किन्हीं अपेक्षाओं को पूरा करने में विफल रहता है, तो वह अनुसूची-तीन में यथा वर्णित जुर्माना का संदाय करने के लिये उत्तरदायी होगा;

(ख) प्रशमनीय प्रभार-इस नियमावली के उपबंधों को भंग करते रहने की दशा में प्रतिदिन व्यतिक्रम के लिये समान धनराशि का शुल्क अथवा प्रतिदिन 100 रुपये, जो भी अधिक हो, मूल जुर्माने के अतिरिक्त उद्गृहीत किया जायेगा,

(ग) उपरोक्त के अनुपालन हेतु किसी सफाई कर्मी या पर्यवेक्षक को यदि समुचित उपकरण और संसाधन नहीं दिये गये हैं तो उसे दंडित नहीं किया जाएगा। सफाई कर्मी एवं पर्यवेक्षक उपकरण आदि की मांग नगर आयुक्त/अधिशाली अधिकारी के समक्ष इस नियमावली की अधिसूचना के 60 दिनों के भीतर रखेंगे। नगरीय स्थानीय निकाय आवश्यक उपकरण मांग प्राप्त होने के 30 दिन के अन्दर उपलब्ध कराएगा।

(घ) यदि नगरीय स्थानीय निकायों के कोई कर्मचारी, किसी संग्रहण या परिवहन स्थल पर पृथक्कृत ठोस अपशिष्ट को मिश्रित करते हैं या विनिर्दिष्ट समय सीमा के दौरान ठोस अपशिष्ट को उठाने में विफल रहते हैं अथवा अन्यथा इस नियमावली और एस.डब्ल्यू.एम. नियम 2016 के उपबंधों का उल्लंघन करते हैं तो नगरीय स्थानीय निकाय को ऐसे कर्मचारियों के विरुद्ध शास्तियों, अनुशासनिक कार्यवाही की पहल, वेतनों से कटौतियों सहित समुचित कार्यवाही करनी होगी,

(ङ) यदि कोई अभिकर्ता एस.डब्ल्यू.एम. नियम, 2016 और या इस नियम के उपबंधों का उल्लंघन करता है या उनका अनुपालन करने में विफल रहता है तो नगरीय स्थानीय निकाय के पास यह शक्ति होगी कि वह अभिकर्ता के विरुद्ध निम्नलिखित में से एक या अधिक कार्यवाही करें :-

(एक) अभिकर्ता के विरुद्ध उपयुक्त शास्ति अधिरोपित करना;

(दो) ठोस अपशिष्ट प्रबंधन सेवाओं के लिए नगरीय स्थानीय निकाय के साथ संविदा या प्रबंधन को समाप्त करना जिसमें रियायत करार को रद्द किया जाना सम्मिलित है;

(तीन) इस नियमावली, एस.डब्ल्यू.एम. नियम और/या लागू विनियमावली के अधीन कोई ठोस अपशिष्ट संग्रहण, परिवहन या प्रसंस्करण सुविधा केन्द्र संचालित करने हेतु किसी लाइसेंस को निलंबित किया जाना या प्रतिसंहत किया जाना;

(च) नगरीय स्थानीय निकाय, यथा स्थिति पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986, भारतीय दंड संहिता-1860, जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 के अधीन किन्हीं उपबंधों का उल्लंघन करने के लिए इस नियमावली के अधीन किसी कार्रवाई के अतिरिक्त किसी अन्य विधि के अधीन समुचित कार्यवाही प्रारंभ करने के लिए स्वतंत्र होगा;

(छ) इस नियमावली के अधीन नगरीय स्थानीय निकाय द्वारा और उसकी ओर से स्थलीय जुर्मानों और शुल्कों के रूप में संग्रहीत समस्त धनराशियों ठोस और तरल अपशिष्ट प्रबंधन निधियों के लिए अनुरक्षित किसी पृथक् बैंक खाता में अन्तरिम की जायेगी। ये धनराशियाँ इस नियमावली के अधीन ठोस और तरल अपशिष्ट प्रबंधन सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए नगरीय स्थानीय निकाय की लागतों हेतु ही प्रयुक्त की जायेगी,

(ज) शास्ति/स्थलीय जुर्माने मुख्यतः इस नियमावली में किये गये उपबंधों को प्रवर्तित करने हेतु आशयित है और इस प्रकार इसका वाचन राज्य/केन्द्र सरकार द्वारा बनाये गये किन्ही अन्य विद्यमान नियमों/अधिनियमों/उपबंधों के अतिरिक्त किया जायेगा।

अध्याय-बारह

प्रकीर्ण

48— सरकारी विभागों/निकायों के साथ समन्वय,—

(1) नगरीय स्थानीय निकाय को इस नियमावली का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए अन्य सरकारी अभिकरणों विभागों और प्राधिकरणों के साथ समन्वय करना होगा।

(2) एक वर्ष के समय के भीतर समस्त नगरीय स्थानीय निकायों को शत प्रतिशत पृथक्कृत अपशिष्ट संग्रहण करना होगा।

(3) एक वर्ष के समय के भीतर समस्त नगरीय स्थानीय निकायों को कार्बनिक अपशिष्टों का प्रसंस्करण और पुनर्चक्रीय अपशिष्टों का पुनर्चक्रण शत प्रतिशत सुनिश्चित करना होगा।

(4) क्रियान्वयन का पुनरीक्षण—नगरीय स्थानीय निकाय द्वारा मासिक रूप से अनुश्रवण, मूल्यांकन और दक्षता मापन (बेंचमार्किंग) हेतु सत्यापित किये जाने योग्य लक्ष्य का निरूपित किया जायेगा, जिन्हें पारदर्शी प्रशासनिक व्यवस्था के रूप में सुनिश्चित करने के लिए वेब-साइट/जिला- एन0आई0सी0 वेब-साइट पर प्रकाशित किया जाएगा।

(5) नियमों का पुनरीक्षण नगर विकास विभाग द्वारा किसी मामले में, जैसा और जब आवश्यक हो, यदि इस नियमावली के उपबंधों में कोई संशोधन या उनका अद्यतनीकरण किया जाना अपेक्षित हो तो तदनुसार पुनरीक्षण और निर्धारण किया जायेगा। पुनरीक्षण व निर्धारण प्रत्येक 03 वर्ष में कम से कम एक बार अथवा आवश्यकतानुसार उसके पहले भी किया जायेगा।

(6) कठिनाइयां दूर करने की शक्ति—यदि इस नियमावली के उपबंधों को प्रवर्तित करने से कोई कठिनाई उत्पन्न होती है तो नगर विकास विभाग आदेश द्वारा ऐसे उपबंध करेगा या ऐसे निदेश देगा, जो इस नियमावली के उपबंधों से असंगत न हो, जैसा कि उसे कठिनाई को दूर करने के लिए आवश्यक और समीचीन प्रतीत हो।

(7) निरसन और व्यावृत्ति—सुसंगत नियमावली के अधीन कृत किसी कार्य या की गयी किसी कार्रवाई के होते हुए भी उक्त नियमावली से पूर्व में कृत या उपयुक्त किसी बात या पूर्व में अर्जित प्रोदभूत या उपगत किसी अधिकार, हक, बाध्यता या दायित्व या तत्सम्बन्ध में किसी उपाय या कार्यवाही या किसी ऋण शक्ति, बाध्यता, दायित्व, दावा या मांग के किसी निर्मोचन या उससे निर्मुक्ति, या पूर्व में स्वीकृत किसी क्षतिपूर्ति या किसी पूर्व कृत्य या बात के सबूत की विधि मान्यता, अविधिमान्यता, प्रवर्तन या परिणाम प्रभावित नहीं होंगे।

अनूसूची-एक

अपशिष्ट का वर्गीकरण

अपशिष्टों का वर्गीकरण निम्नलिखित रूप में किया जायेगा—

(1) “राख” में काष्ठ, कोयला, काष्ठ कोयला, कोक और गृहों तथा संस्थाओं में खाना पकाने तथा गर्म करने हेतु प्रयुक्त अन्य ज्वलनशील सामग्रियों को जलाने से उत्पन्न होने वाले अवशिष्ट सम्मिलित होते हैं। इसमें बारीक

पाउडरनुमा अवशिष्ट, अंगार और खंगर, भी सम्मिलित होते हैं, जो प्रायः धातु और कांच के छोटे-छोटे टुकड़ों से मिश्रित होते हैं।

- (2) “जैव-नाशित अपशिष्ट/आर्द्र अपशिष्ट” का तात्पर्य ऐसी किन्हीं कार्बनिक सामग्रियों के अपशिष्ट से है जो किसी युक्ति-युक्त समयावधि के भीतर सूक्ष्म-जीवों द्वारा सरलतर स्थायी यौगिकों में नाशित किये जा सकते हैं और जिनमें ऐसे अपशिष्ट सम्मिलित होंगे यथा-चाय पत्तियां अण्डों के छिलके, फल और सब्जियों के छिलके, पका हुआ खाद्य पदार्थ थाली अपशिष्ट, मांस और अस्थियां, उद्यान और पत्तियों का कूड़ा-कचरा फूल, पशु-मल, दूषित कागज, घर की सफाई के बाद धूल, नारियल के छिलके, राख आदि।
- (3) “जैव-चिकित्सीय अपशिष्ट” में ऐसा कोई अपशिष्ट सम्मिलित होगा, जो मानव या पशु रोग-निदान, उपचार या प्रतिरक्षण के दौरान या तत्सम्बन्धी क्रिया-कलापों के शोध में या जैव नाशित सामग्रियों के निर्माण या परीक्षण में या स्वास्थ्य शिविरों में और जैव-चिकित्सीय अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 में या जैसा कि तत्सम्बन्धी किसी संशोधन में अपेक्षाकृत अधिक विशिष्ट रूप में परिभाषित हो, उत्सर्जित हो;
- (4) “उद्यान और उद्यानकृषि थोक अपशिष्ट” में सार्वजनिक या निजी पार्को, उद्यानों, यातायात स्थलों, बंगलों थोक उत्सर्जकों यथा आवासीय और वाणिज्यिक भवनों, समितियों या उद्यान या वृक्ष युक्त परिसर वाले संस्थाओं के थोक जैव नाशित अपशिष्ट सम्मिलित हैं और जिसमें घास कतरन, खरपतवार, काष्ठवत, ब्राउन, कार्बन युक्त सामग्रियाँ यथा छंटाई, शाखायें टहनियाँ, काष्ठ कतरन, पुआल या सूखी पत्तियां और वृक्ष की कतरनें, जिन्हें दैनिक जैव-नाशित अपशिष्ट द्वार-द्वार संग्रहण प्रणाली में समायोजित नहीं किया जा सकता है, सम्मिलित हैं;
- (5) “थोक अपशिष्ट” में वाणिज्यिक/आवासीय अपशिष्ट सम्मिलित हैं जो अपनी मात्रा, रूपरेखा, आकार या परिमाण के आधार पर अपशिष्ट संग्रहण हेतु नगरीय स्थानीय निकाय या अभिकरण की राय में, नगरीय स्थानीय निकाय द्वारा उपलब्ध कराये गये दैनिक द्वार-द्वार संग्रहण प्रणाली में सम्मिलित किये जाने योग्य नहीं हैं अर्थात् फर्नीचर, टी0वी0 तथा फ्रीज आदि;
- (6) “ज्वलनशील अपशिष्ट” का तात्पर्य जैव अनाशित, गैर पुनर्चक्रिय, गैर पुनः उपभोज्य, गैर परिसंकटमय ठोस अपशिष्ट से है, जिसका कैलोरिक मान न्यूनतम 1500 किलो कैलोरी प्रति किलोग्राम से अधिक हो जिसमें क्लोरिनेटेड सामग्रियां यथा प्लास्टिक, काष्ठ लुगदी आदि सम्मिलित न हो;
- (7) “वाणिज्यिक अपशिष्ट” में कार्यालयों, थोक और फुटकर स्टोरों, भोजनालयों, बाजारों, भण्डारों और किन्हीं वाणिज्यिक क्रिया-कलापों में संलग्न अन्य वाणिज्यिक अधिष्ठानों से उत्सर्जित अपशिष्ट सम्मिलित है। इन अपशिष्टों में कूड़ा-कचरा और कूड़ा-करकट सम्मिलित है;
- (8) “वाणिज्यिक या घरेलू परिसंकटमय अपशिष्ट” में परिसंकटमय रसायनों से संदूषित अपशिष्ट और घरेलू तथा वैयक्तिक स्तर पर उत्सर्जित संक्रामक अपशिष्ट सम्मिलित हैं जिनमें निम्नलिखित सम्मिलित होंगे किन्तु जो निम्नलिखित तक सीमित नहीं होंगे:—

(क) घरेलू मार्जक

- अपवृषक चूर्ण
- अमोनिया और अमोनिया-आधारित मार्जक
- क्लोरीन ब्लीच
- नाली खोलने वाले पदार्थ

(ख) मोटरवाहन से सम्बन्धित उत्पाद:—

- ब्रेक और ट्रांसमिशन फ्लूइड्स
- कार की बैटरियां

- ईंधन-जैसे— प्रयुक्त हो चुका डीजल, केरोसीन और गैसोलीन
- व्यर्थ हो चुका इंजन ऑयल और लुब्रीकेटिंग ऑयल
- ऑयल फिल्टर और कार केयर उत्पाद एवं उपभोग्य उत्पाद

(ग) पेंट उत्पाद

- इन्मेल
- तेल आधारित, लेटेक्स या जल आधारित पेंट
- पेंट सॉल्वेंट्स और थिनर्स
- तेल, चिपकने वाले पदार्थ और उनके खाली डिब्बे

(घ) जैव-चिकित्सीय अपशिष्ट : जैव चिकित्सीय अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 के अधीन यथाविनिर्दिष्ट जैव चिकित्सीय अपशिष्ट परिव्यक्त और पुरानी दवाइयां और साइटोटोक्सिक दवाइयां, तरल पदार्थ और गोलियाँ, इंजेक्शन, सूइयाँ, सिरिंज, छुरियाँ, ब्लेड्स और दोनो प्रयुक्त और अप्रयुक्त धारदार उपकरणों सहित पंचर या घाव करने वाले धारदार उपकरण, थर्मामीटर और द्रव्य सहित मर्करी रक्त तथा शारीरिक द्रव्यों से संदूषित वस्तुएं यथा रुई, पट्टियाँ, दूषित प्लास्टर प्रक्षेप, अस्तर, चादर या रक्त से संदूषित अन्य सामग्री, ट्यूब्स, नाल-शलाकाएं आई0वी0 आदि सम्मिलित हैं;

(ङ) विविध उत्पाद :

- सौन्दर्य प्रशाधन सम्बन्धी उत्पाद
- बैटरी और बटन सेल्स
- फोटोग्राफिक ऑडियों/विडियों टेप और उनके रखने वाले डिब्बे और रासायनिक
- ट्वायलेट साफ करने के लिए प्रयुक्त एसिड
- कीटनाशक, शाकनाशक और चींटी, काकरोज और मच्छर मारने वाले रसायन और उनके खाली डिब्बे।
- रासायनिक खाद
- हल्के बल्ब, ट्यूबलाइट और कॉम्पैक्ट फ्लोरोसेन्ट लैम्प्स (सी0एफ0एल0)
- एयरोसोल के डिब्बे
- स्टायरोफोम और साफ्ट फोम पैकेजिंग

(9) “निर्माण एवं विध्वंस अपशिष्ट” का तात्पर्य संरचनाओं के निर्माण, कायाकल्पकरण, मरम्मत, नवीकरण या ध्वस्तीकरण अथवा भू-सफाई क्रियाकलापों, खुदाईकरण या गाद हटाये जाने सम्बन्धी क्रियाकलापों के परिणाम स्वरूप हाने वाले अपशिष्ट से है। इस परिभाषा के प्रयोजनार्थ संरचनाओं का तात्पर्य सभी प्रकार के भवनों (दोनों आवासीय और गैर आवासीय), उपयोगिताओं, अवसंरचनात्मक सुविधाओं और मानव निर्मित किसी अन्य प्रकार की संरचना से है। निर्माण और ध्वस्तीकरण, अपशिष्ट में ईंट, कंक्रीट, मलबा और अन्य चुनाई सम्बन्धी सामग्रियाँ, मिट्टी, वृक्ष, किसी प्रकार की वनस्पति, चट्टान, काष्ठ (जिसमें चित्रित, उपचारित जड़ित काष्ठ और काष्ठ उत्पाद सम्मिलित हैं), भू-सफाई अपशिष्ट, भित्ति आवरण, प्लास्टर, शुष्क भित्ति प्लंबिंग के साज-समान, गैर-परिसंकटमय विद्युत्तरोधन, छतकरण, जलरोधी सामग्रियाँ और अन्य छतावरण, डामर खड्डंजा, प्लास्टिक, कागज, एल्यूमीनियम और अन्य गैर परिसंकटमय धातुओं से अन्तर्विष्ट संघटक सम्मिलित हैं, किन्तु वे वहीं तक सीमित नहीं हैं :

परन्तु तथापि निर्माण एवं विध्वंस अपशिष्ट में परिसंकटमय और अन्य अपशिष्ट (प्रबन्धन और अन्तरसीमा संचलन) नियम-2016 के अधीन यथा परिभाषित कोई परिसंकटमय अपशिष्ट अथवा ई-अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 के अधिन यथा परिभाषित ई-अपशिष्ट सम्मिलित है, भले ही वे संरचनाओं के निर्माण, कायाकल्पकरण, मरम्मत, नवीकरण या ध्वस्तीकरण अथवा भू-सफाई सम्बन्धी क्रियाकलापों के फलस्वरूप हुये हों;

- (10) “मृत पशुओं” में ऐसे पशुओं की काया और अस्थियां सम्मिलित होंगे जो प्राकृतिक रूप में मृत हो जाते हैं या जिनका आकस्मिक रूप में वध कर दिया जाता है। इसमें वधशालाओं, कसाईबाड़ों और मांस बाजारों आदि के शव और पशुअंग सम्मिलित नहीं हैं;
- (11) “वधशाला/मांस/चिकन अपशिष्ट” में वधशालाओं, मांस, मत्स्य और चिकन स्टॉलों तथा बाजारों से जनित अपशिष्ट सम्मिलित हैं;
- (12) “ई-अपशिष्ट” का तात्पर्य उत्सर्जनकर्ता द्वारा अपशिष्ट के रूप में पूर्णतः या आंशिक रूप में उत्सर्जित और साथ ही साथ विनिर्माण, निर्माण और मरम्मत प्रक्रियाओं से कूड़ा-करकट के रूप में उत्सर्जित इलेक्ट्रानिक तथा इलेक्ट्रिकल उपकरण सम्बन्धी अपशिष्ट से है, जो समय-समय पर यथा संशोधित ई-अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 में यथा परिभाषित हैं;
- (13) “उद्यान-अपशिष्ट” में सामान्य घरेलू उद्यानकरण सम्बन्धी क्रिया-कलापों के फलस्वरूप उत्सर्जित अपशिष्ट सम्मिलित है जिनमें घास की कटाई, पत्तियाँ, पौधे, पुष्प और अन्य सामान्य प्रकार के लघु एवं हल्के जैविक चीजें सम्मिलित हैं किन्तु उनमें भी लम्बाई के 40 एम0एम0 घने व्यास वाली वृक्ष शाखाओं वाले अपशिष्ट या उद्यान कृषि सम्बन्धी अपशिष्ट, थोक अपशिष्ट सन्निर्माण एवं विध्वंस अपशिष्ट अथवा उद्यान-सेवा से सम्बन्धित क्रिया-कलापों के फलस्वरूप उत्सर्जित कोई अन्य अपशिष्ट सम्मिलित नहीं हैं;
- (14) “परिसंकटमय अपशिष्टों” में ऐसे कोई अपशिष्ट सम्मिलित हैं जिनसे अकेले या अन्य अपशिष्टों या द्रव्यों के सम्पर्क में आने पर उनकी अपनी भौतिक, रासायनिक, प्रतिकारात्मक विष जनित, ज्वलनशील, विस्फोटक या क्षयकारी विशेषताओं में से किसी विशेषता के कारण स्वास्थ्य या पर्यावरण के लिये खतरा उत्पन्न हो या उत्पन्न होना संभाव्य हो और इनमें परिसंकटमय और अन्य अपशिष्ट (प्रबंधन तथा अन्तरसीमा संचलन) नियम, 2016 या उसके किसी संशोधन में परिभाषित परिसंकटमय अपशिष्ट सम्मिलित होंगे;
- (15) “घरेलू/आवासीय अपशिष्ट” में घरेलू क्रिया-कलापों के फलस्वरूप एकल और बहु-परिवार वाली इकाइयों से उत्सर्जित अपशिष्ट अथवा घरेलू पारिवारिक क्रियाकलापों यथा खाना बनाना, सफाई मरम्मत शिकरा, सजावट, रिक्त पात्र, पैकेजिंग, पहनावा पुस्तक लेख-पत्र, समाचार-पत्र उपस्कर, टेलीविजन, बल्ब, ट्यूब लाईट आदि उत्पादों से सम्बन्धित अपशिष्ट सम्मिलित होंगे;
- (16) “औद्योगिक अपशिष्ट” में उद्योग में लिये अनोखें विशाल श्रेणी के पदार्थों से युक्त विनिर्माण प्रक्रियाओं और औद्योगिक संक्रियाओं से निकली ठोस सामग्रियां सम्मिलित हैं। इसमें लघु औद्योगिक संयंत्रों के ठोस अपशिष्ट और नगर पालिका भू-भराई केन्द्रों पर प्रायः निस्तारित किये जाने वाले संयंत्रों की राख भी सम्मिलित होंगे;
- (17) “अक्रिय अपशिष्ट” में ऐसा कोई ठोस अपशिष्ट अथवा अवशेष सम्मिलित है जिसकी भौतिक, रासायनिक और जैविक विशिष्टताएं उसे स्वच्छ भू-सफाई हेतु उपयुक्त बनाता है;
- (18) “संस्थागत अपशिष्ट” में ऐसी संस्थाओं यथा विद्यालयों, महाविद्यालयों सार्वजनिक पुस्तकालयों, विश्वविद्यालयों, धार्मिक संस्थाओं और शोध संगठनों आदि से उद्भूत होने वाले अपशिष्ट सम्मिलित हैं;
- (19) “तरल अपशिष्ट” में मल वहन तरल अपशिष्ट और गाढ़ा मल अपशिष्ट सम्मिलित होगा;
- (20) “नगर पालिका अपशिष्ट” में नगर पालिका प्राधिकारण के क्रियाकलापों और उसकी सेवाओं के फलस्वरूप होने वाले अपशिष्ट सम्मिलित हैं और इनमें सार्वजनिक स्थानों पर फेंके जाने वाले अपशिष्ट यथा पथ अपशिष्ट, मृत पशु तथा बाजार अपशिष्ट भी सम्मिलित हैं;
- (21) “जैव अनाशित अपशिष्ट/शुष्क अपशिष्ट” का तात्पर्य जैव अनाशित सामग्री से निर्मित और सुक्ष्म जीवों या जैविकीय प्राकृतिक प्रक्रिया द्वारा युक्तियुक्त समयावधि के भीतर या किसी प्रवर्तित विधि द्वारा यथा विहित अवधि

के भीतर सरलतर स्थायी योगिकों के रूप में क्षय न होने योग्य, लम्बी समयवधि तक पर्यावरण में रहने वाले कूड़ा या अपशिष्ट से है;

(22) “प्लास्टिक अपशिष्ट” का तात्पर्य प्लास्टिक से निर्मित ऐसे किसी उत्पाद से है जिसे उपयोग करने के पश्चात् या जिसकी वांछित आयु समाप्त होने के पश्चात् परित्यक्त कर दिया गया हो अथवा जैसा कि प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 और वर्ष 2018 में यथा संशोधित उत्तर प्रदेश प्लास्टिक और अन्य जीव अनाशित कूड़ा-कचरा(विनियमन) अधिनियम, 2000 में विहित किया गया हो;

(23) “पूजा सामग्री” का तात्पर्य किसी जैव नाशित या जैव अनाशित सामग्री, मूर्ति या किसी संस्कृति या धर्म पूजा में प्रयुक्त सामग्रियों से है;

(24) “पुनर्चक्रीय अपशिष्ट” का तात्पर्य ऐसे किसी अपशिष्ट सामग्री से है जो नैसर्गिक रूप में पुनर्चक्रीय हो जिसमें निम्नलिखित अपशिष्ट सम्मिलित हैं किन्तु वे वहीं तक सम्मिलित नहीं हैं;

(क) कागज उत्पाद-समाचार-पत्र कम्प्यूटर प्रिन्ट आउट, लेख-पत्र, लिफाफे, कार पार्क कूपन, विवरणिकायें, पम्पलेट, मैगजीन, पुस्तकें, दफ्ती और कागज पैकेज (यथा धान्य डिब्बे और पेय पेटिया) खाद्य कागज आवरण और अन्य कागज उत्पाद;

(ख) धातु उत्पाद-धातु निर्मित डिब्बे या पात्र यथा मृदु पेय डिब्बे, दुग्ध पाउडर डिब्बे तथा खाद्यान्न डिब्बे;

(ग) प्लास्टिक एवं रबर उत्पाद-प्लास्टिक निर्मित बोतल या पात्र यथा प्रक्षालक पात्र, दुग्ध पात्र, मिनरल वाटर बोतलें, मृदु पेय बोतलें, जूस बोतलें, प्लास्टिक पैकेजिंग और अन्य प्लास्टिक उत्पाद किन्तु जिनमें स्टाइरोफोम, डिस्पोजेबुल कटलरीज, क्राकरी और पोलीथीन कैंरीबैग सम्मिलित नहीं हैं;

(घ) कांच उत्पाद-जार, बोतल, खिड़की कांच, चीनी मिट्टी के बर्तन, सेरामिक तथा मत्स्य टैंक, जिनमें लाइट बल्ब सम्मिलित नहीं हैं;

(ङ) कपड़े, चर्म, रेक्सीन;

(च) काष्ठ उत्पाद;

(25) “अवशिष्ट अपशिष्ट” का तात्पर्य सामग्री प्रति प्राप्ति, ठोस अपशिष्ट पुनर्चक्रण, उपचार या प्रसंस्करण सुविधा स्थलों जो पुनर्चक्रण या अग्रतर प्रसंस्करण हेतु उपयुक्त न हों किन्तु जो भू-भराई हेतु उपयुक्त हों से उत्सर्जित अपशिष्टों तथा कूड़ा-करकटों से है और वे उनमें सम्मिलित हैं;

(26) “मल अपशिष्ट” में मल प्रक्षालन नैफ्किन, तैलिया, फाहा, कन्डोम, डायपर्स तथा मलरोधी पैड/चादर सम्बन्धी अपशिष्ट तथा अन्य समान अपशिष्ट सम्मिलित हैं;

(27) “ठोस अपशिष्ट” का तात्पर्य मल अपशिष्ट, वाणिज्यिक/आवासीय संस्थागत अपशिष्ट, खानपान तथा बाजार अपशिष्ट और अन्य गैर आवासीय अपशिष्ट, पथ सफाई सम्बन्धी अपशिष्ट, भू-प्रष्ठ स्थित नालियों से निकाले गये या संग्रहीत किये गये गाद, उद्यान अपशिष्ट, कृषि और दुग्धशाला अपशिष्ट और औद्योगिक परिसंकटमय अपशिष्ट को अपवर्जित करते हुए उपचारित जैव चिकित्सीय अपशिष्ट, अनुपचारित जैव चिकित्सीय अपशिष्ट, बैटरी अपशिष्ट, रेडियों एक्टिव अपशिष्ट और नगरीय स्थानीय निकाय की सीमाओं के भीतर जनित या लाये गये अपशिष्ट सहित ऐसे या अर्द्ध ठोस अपशिष्ट से है, जिसमें वे सम्मिलित हैं;

(28) “पथ सफाई” में ऐसे अपशिष्ट सम्मिलित होंगे जो पथों पगडण्डियों, वीथिकाओं, पार्कों और रिक्त भू-भागों से संग्रीत हों—

अनुसूची-दो
प्रयोक्ता शुल्क

विभिन्न अपशिष्ट उत्सर्जकों से ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन हेतु प्रयोक्ता शुल्क (प्रति माह)

1	श्रेणी : आवासीय भवन यथास्थिति प्रति एकल परिवार/प्लैट/किरायेदार, हेतु बहुमंजिले भवनों का निर्मित क्षेत्रफल और एकल मंजिला का भू-क्षेत्रफल हेतु लागू	नगर पालिका परिषद्
	टिप्पणी: यदि एक ही परिसर में एक से अधिक परिवार (उद्धारण स्वरूप किराएदार) निवास कर रहें हों तो पृथक् अपशिष्ट उत्सर्जक होते हुए अतिरिक्त परिवार पर नियत धनराशि से अधिक शुल्क प्रभारित किया जायेगा। उसी प्रकार से एक से अधिक प्लैट वाले बहुमंजिले भवन/अपार्टमेन्ट हेतु प्रत्येक प्लैट स्वामी/किरायेदार पर शुल्क प्रभारित किया जायेगा और परिवारों/प्लैटों/किराएदारों की संख्या के आधार पर आगणित कुल धनराशि परिसर से संग्रहीत की जायेगी।	
(i)	500 वर्ग फीट से कम	35 रुपये
(ii)	500 वर्ग फीट से 2000 वर्ग फीट तक	75 रुपये
(iii)	2000 वर्ग फीट से 2500 वर्ग फीट तक	100 रुपये
(iv)	2500 वर्ग फीट से 5000 वर्ग फीट तक	135 रुपये
(v)	5000 हजार वर्ग फीट से अधिक	200 रुपये
2 क	श्रेणी : दुकानें	
	(गैर वातानुकूलित दुकानों हेतु दुकान के आकार पर आधारित प्रयोक्ता शुल्क)	नगर पालिका परिषद्
	टिप्पणी : यदि दुकान पूर्णतया अथवा आंशिक रूप से वातानुकूलित हो तो विहित शुल्क में 1.5 से गुणा किया जायेगा अर्थात् प्रयोक्ता शुल्क नीचे यथा विहित दरों से डेढ़ गुना उद्गृहीत किये जायेंगे।	
(i)	100 वर्ग फीट तक	50 रुपये
(ii)	100 वर्ग फीट से 200 वर्ग फीट तक	60 रुपये
(iii)	200 वर्ग फीट से 300 वर्ग फीट तक	100 रुपये
(iv)	301 वर्ग फीट से 500 वर्ग फीट तक	125 रुपये
(v)	500 वर्ग फीट से अधिक	125 रुपये+ 500 वर्ग फीट से अधिक के लिए 5 रुपये प्रति 10 वर्ग फीट की दर से अतिरिक्त शुल्क
2 ख	श्रेणी : सड़क कि किनारे फेरीवाले/पथ विक्रेता/आदि (जिन्हें स्थायी रूप से निर्मित संरचना पर चलाया/संचालित न किया जा रहा हो)	नगर पालिका परिषद्
(i)	ढेला/गुमटी/खोमचे/खाद्यान्न स्टाल/फेरी वाले/ आदि	50 रुपये
(ii)	सचल खाद्यान्न वैन	150 रुपये

(iii)	साप्ताहिक या समय-समय पर लगाये जाने वाले बाजार में सड़क के किनारे फेरीवाले/पथ विक्रेता/खोमचे वाले/खाद्यान्न स्टाल/आदि (उदाहरण स्वरूप—साप्ताहिक बाजार)	10 रुपये प्रति विक्रेता, उस दिन के लिए जब वह बाजार लगती है
3	श्रेणी : सरकारी विभाग (केन्द्र/राज्य) या सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों/निगमों के स्वामित्वाधीन अतिथि गृह	नगर पालिका परिषद् बिजनौर
(i)	4 कमरों तक	300 रुपये
(ii)	4 कमरों से अधिक	300 रुपये + चार कमरों से अधिक होने पर 20 रुपये प्रति कमरा अतिरिक्त
4	श्रेणी : छात्रावास (किसी संस्थागत शैक्षणिक परिसर के अंदर नहीं) जिन्हें निजी व्यक्तियों द्वारा संचालित किया जा रहा हो उदाहरण स्वरूप कामकाजी महिलाओं के लिए छात्रावास, निजी छात्रावास आदि	नगर पालिका परिषद् बिजनौर
(i)	10 बेड तक	300 रुपये
(ii)	10 बेड से अधिक	300 रुपये + 30 रुपये प्रति बेड की दर से हर अतिरिक्त बेड के लिए
5	श्रेणी : गैर-वातानुकूलित वाणिज्यिक भोजनालय/रोस्टोरेन्ट/ढाबा/जलपान गृह/होटल/मिठाई/की दुकानें आदि (अधिरात्रिविश्राम/लॉजिंग/यात्रियों के ठहरने की व्यवस्था सुविधा के बिना केवल खाने की सुविधा हो) (प्रयोक्ता शुल्क बैठने की क्षमता के आधार पर होंगे) टिप्पणी— यदि परिसर पूर्णतः या आंशिक रूप से वातानुकूलित हो तो विहित प्रयोक्ता शुल्कों में 1.5 से गुणा किया जायेगा। उदाहरणार्थ यह नीचे यथा विहित दर से डेढ गुना अधिक उद्ग्रहीत और संग्रहीत किया जायेगा।	नगर पालिका परिषद् बिजनौर
(i)	10 व्यक्तियों तक बैठने की क्षमता	300 रुपये
(ii)	10 से 20 व्यक्तियों तक बैठने की व्यवस्था	500 रुपये
(iii)	20 से 50 व्यक्तियों तक बैठने की व्यवस्था	750 रुपये
(iv)	50 से अधिक व्यक्तियों के बैठने की क्षमता (ऐसे परिसर जिनका उपयोग सामूहिक आयोजनों/बैंक्वेट बुकिंग के लिए उपयोग किया जाता हो)	1500 रुपये
5 ख	श्रेणी : अतिथियों के अर्धरात्रि विश्राम हेतु कक्ष सुविधा सहित छात्रावास। होटलों में प्रदत्त रेस्टोरेन्ट/भोजन सुविधा द्वारा उत्सर्जित अपशिष्ट और अतिथियों के निवास/वास के कारण उत्सर्जित अपशिष्ट को पृथक्-पृथक् जोड़कर प्रयोक्ता शुल्क उद्ग्रहीत और आगणित किये जायेंगे। मासिक शुल्क के अनुसार दोनों की गणना की जायेगी और उन्हें जोड़ा जायेगा। इस प्रकार उक्त गणना निम्नानुसार की जायेगी।	नगर पालिका परिषद्
(1)	होटल द्वारा अपने परिसर के भीतर 5-क के अनुसार प्रदत्त रेस्टोरेन्ट/भोजन सुविधा हेतु विहित प्रयोक्ता शुल्कों की गणना की जायेगी और इसे नीचे 5 ख के रूप में विहित प्रयोक्ता शुल्कों में जोड़ दिया जायेगा।	

(i)	10 कमरों तक	1500 रुपये
(ii)	10 कमरों से 20 कमरों तक	2500 रुपये
(iii)	20 से अधिक कमरे	2500 रुपये + 20 कमरों से अधिक कमरे के लिए 100 रुपये प्रति कमरे की दर से अतिरिक्त शुल्क
6	श्रेणी : वाणिज्यिक कार्यालय, बैंक, बीमा कार्यालय आदि (निर्मित क्षेत्रफल पर आधारित) टिप्पणी : यह प्रयोक्ता शुल्क भवन में संचालित एकल कार्यालय के लिए है और यदि उसी भवन में कई कार्यालय संचालित हो रहे हों तो प्रत्येक कार्यालय शुल्क कार्यालय द्वारा अधिग्रहीत क्षेत्रफल पर आधारित होगा।	नगर पालिका परिषद्
(i)	1000 वर्ग फीट तक	200 रुपये
(ii)	1000 वर्ग फीट से अधिक और 2500 वर्ग फीट से कम	350 रुपये
(iii)	भवन परिसर के भीतर किसी कैंटीन सुविधा के बिना 2500 वर्ग फीट से अधिक	350 रुपये + 2500 वर्ग फीट से अधिक होने पर 3 रुपये प्रति 10 वर्ग फीट की दर से अतिरिक्त
(iv)	भवन परिसर के भीतर कैंटीन सुविधा सहित 2500 वर्ग फीट से अधिक	350 रुपये + 2500 वर्ग फीट से अधिक होने पर, 5 रुपये प्रति 10 वर्ग फीट की दर से अतिरिक्त
7	श्रेणी : सरकारी विभागों/स्थानीय निकाय/के स्वामित्व वाले कार्यालय (उदाहरण स्वरूप ऐसे विभाग/कार्यालय, जो केन्द्र या राज्य सरकारों द्वारा पूर्णतः अथवा आंशिक रूप से वित्तपोषित हैं) जिनके द्वारा नागरिकों को गैर वाणिज्यिक आधार पर सेवाएं प्रदान की जाती हैं।	नगर पालिका परिषद्
(i)	1000 वर्ग फीट तक	150 रुपये
(ii)	1000 वर्ग फीट से अधिक और 2500 वर्ग फीट से कम	250 रुपये
(iii)	भवन परिसर के भीतर किसी कैंटीन सुविधा के बिना 2500 वर्ग फीट से अधिक	250 रुपये + 2500 वर्ग फीट से अधिक होने पर, 2 रुपये प्रति 10 वर्ग फीट की दर से अतिरिक्त
(iv)	भवन परिसर के भीतर कैंटीन सुविधा सहित 2500 वर्ग फीट से अधिक	350 रुपये + 2500 वर्ग फीट से अधिक होने पर, 3 रुपये प्रति 10 वर्ग फीट की दर से अतिरिक्त

8 क	श्रेणी : गैर-आवासीय शैक्षणिक संस्थायें (प्ले स्कूल/कोचिंग क्लास, स्कूल और कॉलेज) सरकारी या गैर-सरकारी दोनों तरह के टिप्पणी— यदि शैक्षिक संस्था अपने परिसर के भीतर कैंटीन चला रही होती विहित प्रयोक्ता शुल्कों में गुणांक के धनराशि 1.5 से गुणा (डेढ़ गुणा) किया जायेगा। विहित प्रयोक्ता शुल्क उन संस्थानों के लिए है जहां विद्यार्थी कक्षाओं में उपस्थित होते हों और यदि स्कूल/संस्थान अपने परिसर में छात्रावास संचालित करते हों तो छात्रावास के कारण उत्सर्जित अपशिष्ट के लिए अतिरिक्त प्रयोक्ता शुल्क उद्ग्रहीत किया जायेगा, जो 8-ख में उल्लिखित है।	नगर पालिका परिषद्
(i)	100 विद्यार्थियों तक	300 रुपये
(ii)	100 से अधिक विद्यार्थी व 500 विद्यार्थियों तक	500 रुपये
(iii)	500 से अधिक विद्यार्थी व 1000 विद्यार्थियों तक	1000 रुपये
(iv)	1000 विद्यार्थियों से अधिक	1000 रुपये + एक हजार विद्यार्थियों से अधिक होने पर, प्रति 100 विद्यार्थियों पर 100 रुपये की दर से अतिरिक्त
8 ख	किन्हीं शैक्षिक संस्थाओं के या किसी शैक्षिक संस्था के स्वामित्वाधीन परिसर के भीतर वहाँ के छात्रों केलिये आवासी छात्रावास (विहित शुल्क 8 क में उद्ग्रहीत प्रयोक्ता शुल्कों के अतिरिक्त है)	नगर पालिका परिषद्
(i)	छात्रावास में 100 छात्रों तक	750 रुपये
(ii)	100 से अधिक और 300 छात्रों तक	1000 रुपये
(iii)	300 से अधिक और 500 छात्रों तक	1500 रुपये
(iv)	500 छात्रों से अधिक	1500 रुपये+ पांच सौ छात्रों से अधिक होने पर, 100 रुपये प्रति 50 छात्रों की दर से अतिरिक्त
9क	श्रेणी : स्वास्थ्य सेवा प्रतिष्ठान (क्लीनिक, डिस्पेंसरी, प्रयोगशालाएं, निदान केंद्र/ पैथोलॉजिकल, सेंटर्स/आदि) टिप्पणी: विहित प्रयोक्ता शुल्क केवल ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के लिए होंगे अर्थात् जैवचिकित्सा अपशिष्ट को छोड़कर, जिसका निस्तारण एच0सी0एफ0 द्वारा जैव चिकित्सा अपशिष्ट प्रबंधन नियम के अनुसार स्वयं के व्यय पर किया जायेगा।	नगर पालिका परिषद्
(i)	500 से कम वर्ग फीट क्षेत्रफल में निर्मित बिना शैय्या वाला (अंतःरोगी सेवा के बिना) सामुदायिक स्वास्थ्य सेवा केन्द्र	350 रुपये
(ii)	500 वर्ग फीट से अधिक किन्तु 2000 वर्ग फीट से कम क्षेत्रफल में निर्मित बिना शैय्या वाला (अंतःरोगी सेवा के बिना) सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र	500 रुपये
(iii)	2000 वर्ग फीट से अधिक क्षेत्रफल में निर्मित बिना शैय्या वाला (अंतः रोगी सेवा के बिना) सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र	1000 रुपये

9ख	सरकार द्वारा अथवा जिला/राज्यसरकार के स्वामित्वाधीन और उसके द्वारा संचालित समितियों द्वारा स्वामित्व प्राप्त और संचालित शैय्या वाले स्वास्थ्य देख-भाल प्रतिष्ठान अर्थात् अतः : रोगी सुविधा वाले राजकीय चिकित्सालय)	नगर पालिका परिषद्
(i)	10 बेड से कम	1000 रुपये
(ii)	10 बेड से अधिक किन्तु 30 बेड से कम	1500 रुपये
(iii)	30 बेड और उससे अधिक	30 बेड तक 1500 रुपये + 30 बेड से अधिक होने पर, प्रत्येक बेड के लिए 75 रुपये की दर से अतिरिक्त
9 ग	निजी व्यक्ति/कम्पनी/या अन्य द्वारा स्वामित्व प्राप्त और संचालित शैय्या वाले स्वास्थ्य देखभाल प्रतिष्ठान, जिनके पास सरकारी स्वामित्व से भिन्न स्वामित्व हो (निजी नर्सिंगहोम/निजी चिकित्सालय)	
(i)	10 बेड से कम	1200 रुपये
(ii)	10 बेड से अधिक किन्तु 30 बेड से कम	2000 रुपये
(iii)	30 बेड और उससे अधिक	30 बेड तक 2000 रुपये + 30 बेड से अधिक होने पर, प्रत्येक बेड के लिए 150 रुपये की दर से अतिरिक्त
10	श्रेणी : सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम (एम.एस.एम.ई) (अधिकृत क्षेत्र)(प्रयोक्ता शुल्क केवल गैर परिसंकटमय ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन हेतु है और किसी परिसंकटमय अपशिष्ट का निस्तारण, इकाई द्वारा अलग से अपने व्यय पर किया जायेगा)	नगर पालिका परिषद्
(i)	1000 वर्ग फीट तक	350 रुपये
(ii)	1000 वर्ग फीट से अधिक	350 रुपये + 1000 वर्ग फीट से अधिक होने पर, 2 रुपये प्रति 10 फीट की दर से अतिरिक्त

11	गोदाम, भांडागार, शीत गृह (क्षेत्र) टिप्पणी : प्रयोक्ता शुल्क केवल गैर नगर पालिका परिषद् परिसंकटमय ठोस अपशिष्ट प्रबंधन हेतु है।	
(i)	1000 वर्ग फीट तक	350 रुपये
(ii)	1000 वर्ग फीट से अधिक	350 रुपये + 1000 वर्ग फीट से अधिक होने पर, 2 रुपये प्रति 10 फिट की दर से अतिरिक्त
12	मैरिज हॉल, उत्सव हॉल, प्रदर्शनी एवं मेला हॉल, खुला स्थान (जिसमें समारोहों/एक बार के समारोह, जिसमें भोजन सहित अतिथि सम्मिलित है, के लिए अस्थायी टेंट/मानक व्यवस्था/सम्मिलित) इन्हीं सुविधाओं वाले होटल इसमें सम्मिलित नहीं है। टिप्पणी : यहां विहित प्रयोक्ता शुल्क प्रतिदिन के लिये है और शुल्क की गणना, समारोह की मेजबानी करने वाले स्वामी के भू-खण्ड के कुल क्षेत्रफल के आधार पर की जायेगी। नगरीय स्थानीय निकाय को समारोह बुकिंग करने के दिनांक/उसकी संख्या के सम्बन्ध में सूचित करना स्वामी का कर्तव्य होगा।	नगर पालिका परिषद्
(i)	300 वर्ग मीटर तक (यह आयोजन के प्रत्येक दिवस के अनुसार नियत होगा और तदनुसार शुल्क ग्रहण किया जायेगा)	750 रुपये प्रतिदिन
(ii)	300 वर्ग मीटर से अधिक	750 रुपये + 300 वर्गमीटर से अधिक होने पर, 5 रुपये प्रति वर्गमीटर (आयोजन के प्रत्येक दिन के लिए अधिकतम 2000)
13	श्रेणी : पेट्रोल पंप	नगर पालिका परिषद्
(i)	पेट्रोल पम्प, जिसके परिसर में किसी अन्य उपयोगिता की दुकान न हो (अर्थात् किराना दुकान/सर्विस स्टेशन)	400 रुपये
(ii)	पेट्रोल पम्प, जिसके परिसर में किसी अन्य उपयोगिता की दुकान हो (अर्थात् किराना दुकान/सर्विस स्टेशन)	500 रुपये
14	श्रेणी : नाई की दुकान/ब्यूटी पार्लर/स्पा/जिम/फिटनेस सेंटर प्रयोक्ता शुल्क, क्षेत्रफल और सुविधा के प्रकार (वातानुकूलित/गैर-वातानुकूलित) के आधार पर उद्ग्रहीत किये जायेंगे।	नगर पालिका परिषद्

(i)	नाई की दुकान/ब्यट्टी पार्लर/स्पा/जिम/फिटनेस सेंटर। सुविधा का प्रकार— वातानुकूलित क्षेत्रफल 500वर्ग फीट से कम	500 रुपये
(ii)	नाई की दुकान/ब्यट्टी पार्लर/स्पा/जिम/फिटनेस सेंटर। सुविधा का प्रकार— वातानुकूलित क्षेत्रफल 500वर्ग फीट से अधिक और 2000 वर्गफीट से कम	750 रुपये
(iii)	नाई की दुकान/ब्यट्टी पार्लर/स्पा/जिम/फिटनेस सेंटर सुविधा का प्रकार— गैर—वातानुकूलित क्षेत्रफल 2000 वर्ग फिट से अधिक	1000 रुपये
(iv)	नाई की दुकान/ब्यट्टी पार्लर/स्पा/जिम/फिटनेस सेंटर सुविधा का प्रकार— गैर—वातानुकूलित क्षेत्रफल 500 वर्ग फीट से कम	150 रुपये
(v)	नाई की दुकान/ब्यट्टी पार्लर/स्पा/जिम/फिटनेस सेंटर सुविधा का प्रकार— वातानुकूलित क्षेत्रफल 500वर्ग फीट से अधिक 2000 वर्ग फीट से कम	250 रुपये
(vi)	नाई की दुकान/ब्यट्टी पार्लर/स्पा/जिम/फिटनेस सेंटर सुविधा का प्रकार—गैर वातानुकूलित क्षेत्रफल 2000 वर्ग फीट से अधिक	300 रुपये
15	श्रेणी : प्रिंटिंग प्रेस (गैर—परिसंकटमय ठोस अपशिष्ट प्रबंधन हेतु प्रयोक्ता शुल्क)	नगर पालिका परिषद्
(i)	500 वर्ग फीट तक	200 रुपये
(ii)	500 वर्ग फीट से अधिक	200 रुपये + 500 वर्ग फीट से अधिक होने पर, 3 रुपये प्रति 10 वर्ग फिट की दर से अतिरिक्त
16	मोटर यान धुलाई/सर्विस सेंटर (गैराज/फेब्रीकेशन दुकान/सर्विससेंटर) इनमें छोटी मरम्मत की दुकानें सम्मिलित नहीं हैं, उन पर इस अनुसूची की क्रम संख्या 2 में उल्लिखित प्रतिमानों के अनुसार प्रतिवाणिज्यिक दुकानों के मानकों के हिसाब से शुल्क/प्रयोक्ता शुल्क उद्ग्रहीत किये जायेंगे।	नगर पालिका परिषद्
(i)	1000 वर्ग फीट तक	350 रुपये
(ii)	1000 वर्ग फीट से अधिक किन्तु 2000 वर्ग फीट तक	500 रुपये +
(iii)	2000 वर्ग फीट से अधिक	500 रुपये + 2000 वर्ग फीट से अधिक होने पर, 10 रुपये प्रति 10 वर्ग फिटकी दर से अतिरिक्त
अन्य श्रेणियां: (क्रियाकलापों के प्रकार पर आधारित)		नगर पालिका परिषद्

17	मांस की दुकान/मछली की दुकान/चिकन (मुर्गे के मांस) या कोई अन्य ऐसी दुकान जहां पर कच्चा/बिना पकाया हुआ मांस फुटकर में विक्रय होता हो(वध शालाओं को छोड़कर)	300 रुपये
18	वाइन की दुकानें (बियर की दुकान सम्मिलित हैं)	500 रुपये
19	मॉडल मदिरा शॉप	1000 रुपये
20क	श्रेणी : मल्टीप्लेक्स वाले शॉपिंगमाल्स (प्रतिदिन 5 टन तक अपशिष्ट उत्सर्जन हेतु)	15000 रुपये
20ख	प्रतिदिन 5 टन अपशिष्ट उत्सर्जन से अधिक उत्सर्जित मल्टीप्लेक्स वाले शॉपिंग माल्स	15000 रुपये प्रति माह (प्रतिदिन पांच टन तक अपशिष्ट उत्पादन हेतु)+ प्रतिदिन 5 टन से अधिक उत्पन्न होने पर, 3000 रुपये प्रतिमाह प्रतिटन
21	सिनेमा हॉल (मॉल में स्थित मल्टीप्लेक्स से भिन्न) सिनेमा हॉल की कुल सीटों की संख्या में विहित शुल्क से गुणा कर बैठने वाली सीट की क्षमता के आधार पर मासिक प्रयोक्ता शुल्क की गणना की जायेगी।	5 रुपये
22	भंडारा/लंगर (एक दिन होने पर)	125 रुपये
23	अन्य, जो उपरोक्त में उल्लिखित नहीं हैं।	नगरीय स्थानीय निकाय के आंकलन के अनुसार

अनुसूची तीन

अपराध/उल्लंघन शास्ति/स्थलीय जुर्माना शुल्क

विनिर्दिष्ट अपराध	नगर पालिका क्षेत्र में उद्ग्रहीत किया जाने वाला जुर्माना शुल्क
कूड़ा फैलाने/उपताप करने/स्वच्छ आंगन उपताप करने के प्रत्येक दृष्टांत/कृत्य हेतु शास्ति/स्थलीय जुर्माना निम्नलिखित रूप में उद्ग्रहीत किया जायेगा:-	
1	अपशिष्ट क्षेपित करना, निक्षेपित करना, उन्मोचित करना, उसे फैलाना या बेकार छोड़ना अथवा ऐसे अपशिष्ट को क्षेपित, उन्मोचित, बिखेरित या मोचित कराना या कराने की अनुज्ञा देना, चाहे उक्त अपशिष्ट किसी पात्र या आधान में, किसी पात्र के सिवाय किसी सार्वजनिक स्थान या निजी स्थान में या पर या ऐसे संस्था, जो इस प्रयोजनार्थ, विनिर्दिष्टरूप से संसूचित उपबंधित या पृथक् रखा गया हो, पर हो या न हो। इस नियमावली के प्रयोजनार्थ सार्वजनिक या निजी स्थान में निम्नलिखित सम्मिलित हैं, किन्तु वे वहीं तक सीमित नहीं हैं:-

क	कोई अध्यासित खुली या रिक्त भूमि, खेल का मैदान या उद्यान	300 रूपये
ख	किसी जल स्रोत के किनारे पर या फिर जल संग्रहण स्थल स्रोत में यथा-नदी, जल मार्ग, सीवर, झंझा जल नाले (इसमें पूजा सामग्री को प्रवाहित करना, फेंकना, सम्मिलित है।)	400 रूपये
ग	सार्वजनिक पथ यानिजी पथ अथवा किसी ऐसे खाली मैदान पर जो किसी पथ, सड़क, फुटपाथ, सड़क डिवाइडर इत्यादि के पास हो	300 रूपये
घ	शैक्षणिक संस्थाएँ, चिकित्सालय और अन्य स्वास्थ्य देख भाल सम्बन्धी संस्थाएँ, धार्मिक स्थल, विरासतीय इमारते	400रूपये
2	जान-बूझकर अपने परिसर/संपत्ति में किसी भी अपशिष्ट, मलबे, गंदगी आदि को इस प्रकार रखना, जमा करना अथवा, रखने/जमा करने की अनुज्ञा देना जिससे वह 24 घंटे से अधिक समय तक उक्त परिसर में संग्रह रहे।	300 रूपये
3	नगरीय स्थानीय निकाय की सीमा के भीतर यान चलाते समय या फिर खड़े यान से या फिर किसी यान से यात्रा करते समय किसी सार्वजनिक या निजी सड़क या किसी सार्वजनिक या निजी परिसर में अपशिष्ट फेंकना/डालना। किसी ऐसे यान का कोई चालक ऐसे यान में किसी भी यात्री को थूकने या फिर इस तरह से अपशिष्ट फेंकने या जमा करने नहीं देगा।	500रूपये
4	क प्रतिबंधित प्लास्टिक, थर्माकोल या किसी अन्य ऐसी सामग्री के उत्पादन, वितरण, भंडारण और बिक्री में लिप्त होना जो प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से सार्वजनिक स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हैं या-ऐसी सामग्री जिसका उपयोग इन नियमों, केंद्र या राज्य सरकारों के नियमों और विनियमों के अधीन निर्बंधित/प्रतिबंधित हैं।	वर्ष 2018 में यथा संशोधित उत्तर प्रदेश प्लास्टिक और अन्य जैव अनाशित कूड़ा-करकट (विनियमन) अधिनियम, 2000, के अधीन अधिसूचना संख्या 1056/नौ-7-18-20 (लखनऊ)/दिनांक 15 जुलाई, 2018 के अधीन विहित शास्ति/स्थलीय जुर्माना के उपबंधों के अनुसार।
ख	प्रतिबंधित प्लास्टिक, थर्माकोल या किसी ऐसी सामग्री का उपयोग करना जो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से सार्वजनिक स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हैं या-ऐसी सामग्री जिसका उपयोग इन नियमों, केंद्र या राज्य सरकारों के नियमों और विनियमों के अधीन निर्बंधित/प्रतिबंधित हैं।	
5	थूकना, पेशाब करना, मल त्यागना, जानवरों को खिलाने के उद्देश्य से खाद्य सामग्री को इस प्रकार छोड़ना जमा करना जिससे कूड़ा-कचरा का बिखराव हो।	100 रूपये

- | | | |
|--|--|--------------------|
| 6 | किसी प्रकार के अपशिष्ट का दहन करना/उसे मिट्टी के अन्दर दबाना या फिर उसका दहन करने/मिट्टी के अन्दर दबाने का प्रयास करना या दहन करने या मिट्टी के अन्दर दबाने के माध्यम से किसी मार्ग के किनारे, एकत्र स्थलों या किसी निजी या सार्वजनिक सम्पत्ति में किसी प्रकार के अपशिष्ट का निस्तारण करना। यह प्रतिषेध समस्त प्रकार के व्यक्तियों पर लागू होगा, जिनमें सफाई कर्मचारी या नगरीय स्थानीय निकाय के अन्य कर्मचारी, संविदा कर्मचारी, अपशिष्ट उत्पादक या सड़क, पथ तथा अन्य सार्वजनिक स्थानों की सफाई और स्वच्छता कार्य में सलग्न कोई अन्य व्यक्ति सम्मिलित है। | 1200 रुपये |
| 7 | बिना ढंके (अन-कवर्ड) हुए किसी ट्रक या अन्य ऐसे यानको चलाना या स्थान-परिवर्तन करना जो अपशिष्ट/कूड़ा से भरा हो | 1200 रुपये |
| 8 | अपने पालतू जानवरों को किसी सार्वजनिक स्थान पर मलत्याग करने देकर सड़कों/पार्कों/सार्वजनिक स्थान पर कूड़ा-कचरा करना। टिप्पणी : किसी मलत्याग किये जाने की स्थिति में स्वामी को पालतू जानवरों के सड़कों पर मल त्याग को अपने घर को ले जायेगा ताकि इसका निस्तारण मल वहन के माध्यम से बहाकर किया जा सके अन्यथा शास्ति उद्ग्रहीत किया जायेगा। | 200 रुपये |
| 9 | निर्माण और ध्वस्तीकरण अपशिष्ट या किसी प्रकार के अपशिष्ट को झंझा-जल नालियों, सड़क के फुटपाथ, सरकारी या नगरीय स्थानीय निकाय से संबंधित खुले मैदानों और/या सार्वजनिक मार्गों के किनारे जमा करना या फैलाना | 1500 रुपये |
| अपशिष्ट उत्सर्जकों द्वारा पृथक्करण, परिदान और संग्रहण किये जाने संबंधी उपबंध | | |
| 10 | अपृथक्कृत और पृथक् डिब्बों में न रखे गये शुष्क, आर्द्र और घरेलू परिसंकटमय अपशिष्ट का परिदान किया जाना। (अपशिष्ट उत्सर्जकों के लिये प्रति माह विहित प्रयोक्ता शुल्क के अतिरिक्त शास्तिक धनराशि प्रतिमाह प्रभारित की जायेगी) | 100 रुपये |
| 11 | निर्माण और ध्वस्तीकरण थोक अपशिष्ट उत्सर्जकों द्वारा अपृथक्कृत निर्माण और ध्वस्तीकरण अपशिष्ट का परिदान किया जाना। (ऐसे प्रत्येक उल्लंघन हेतु) | 750 रुपये |
| 12 | अपृथक्कृत उद्यान अपशिष्ट और पेड़ों की छाल और कतरनों का परिदान किया जाना। (ऐसे प्रत्येक उल्लंघन हेतु) | 75 रुपये |
| 13 | अपृथक्कृत मत्स्य, कुक्कुट, और मांस अपशिष्ट का परिदान किया जाना। (अपशिष्ट उत्सर्जकों से प्रतिमाह विहित प्रयोक्ता शुल्कों के अतिरिक्त प्रतिमाह शास्तिक धनराशि प्रभारित की जायेगी।) | 300 रुपये प्रतिमाह |
| 14 | किसी थोक अपशिष्ट उत्सर्जक द्वारा अपृथक्कृत अपशिष्ट का भण्डारण तथा परिदान किया जाना। (अपशिष्ट उत्सर्जकों से प्रतिमाह विहित प्रयोक्ता शुल्कों के अतिरिक्त प्रतिमाह शास्तिक धनराशि प्रभारित की जायेगी।) | 500 रुपये प्रतिमाह |
| 15 | नगरीय स्थानीय निकाय में रजिस्ट्रीकरण और वहाँ से प्राधिकार के बिना अपशिष्ट संग्रहण किया जाना। | 300 रुपये अपराध पर |

नालों/मल नालियों/सोक पिट से सम्बन्धित उपबंध

- 16 निजी नालियों/सीवर लाइनोंसे घरेलू मल/मल जल/बहिस्राव को किसी झंझा-जल नालियों, मार्गों, खुले मैदान, जल स्रोतों, जल मार्गों, कृषि भूमि, अथवा अन्य किन्हीं गैर अभिहित अवस्थानों पर प्रवाहित किया जाना या प्रवाहित किये जाने देना। 200 रुपये
 - 17 किसी ऐसे सामग्री को नाली के प्रवाह में आने दिया जाना जिससे नाली को क्षति पहुंचने की आशंका हो या फिर सार्वजनिक सीवर लाइन में उसके प्रवाह को बाधित किया जाना 200 रुपये
 - 18 खुले नालों और/या मैन होलों में किसी ऐसी सामग्री को जमा किया जाना या जमा किये जाने देना जिसके कारण सीवर लाइनों में बाधा/जाम होने की स्थिति बने। यह उपबंध नगरीय स्थानीय निकाय के कर्मचारियों के लिए लागू है जो खुले नालों में मार्गों की सफाई से निकला कूड़ा करकट, सेप्टिक टैंक से निकली गाद, अपशिष्ट उत्सर्जक के निर्माण एवं ध्वस्तीकरण अपशिष्ट आदि को जमा करते हैं। 500 रुपये
 - 19 औद्योगिक बहिस्राव अथवा विशेष रूप से किसी उद्योग, कुटीर (घरेलू) उद्योग, वधशालाओं और मांस बाजार, दुग्धशाला और पशुपालन स्थल, कर्मशाला या गैराज के क्रिया-कलाप की वजह से उत्सर्जित औद्योगिक बहिस्रावों का आवश्यक विहित उपचार किये बिना उन्हें सार्वजनिक मल नालों में बहाना या बहाने देना। 3000 रुपये
 - 20 किसी कर्मचारी/ ठेकेदार/अभिकर्ता द्वारा समुचित सुरक्षात्मक उपकरण के बिना किसी व्यक्ति को सेप्टेज, गदें नाले, और मलकुंड में हाथ से कार्य करने देना 3000 रुपये
 - 21 अपने स्वामित्व या नियंत्रण वाले परिसर में जलजमाव/अपशिष्ट क्षेपण/अस्वास्थ्य कर स्थितियों /अस्वच्छ स्थितियों/दरार आदि न होने देना, जिससे रोग वाहक विषाणु प्रजनित हो सकें अथवा उनके लिए अनुकूल स्थितियां उत्पन्न हों 3000 रुपये
- अन्य विनिर्दिष्ट अपराध
- 22 विक्रय स्थल पर किसी विक्रेता/फेरी वाले द्वारा अपृथक्कृत जैव नाशित और अन्य अपशिष्ट रखा जाना 15 रुपये प्रति दिन
 - 23 यदि कोई व्यक्ति या थोक अपशिष्ट उत्सर्जक कोई ऐसा आयोजन या जमावड़ा करता है जिसमें सौ से अधिक व्यक्ति सम्मिलित हुए हैं और आयोजन समाप्त होने के 12 घंटे से अधिक समय बीत जाने के बाद भी आयोजन स्थल को गंदा या अस्वच्छ रखता है। स्वच्छता हेतु जमारशि जब्त कर ली जाएगी
 - 24 यदि नगरीय स्थानीय निकाय की सीमा से बाहर निवास करने वाले ऐसे व्यक्ति, परिवार, आवासीय सोसाइटियां/कालोनियां और थोक अपशिष्ट उत्सर्जक, जो नगर पालिका की सीमाओं के भीतर अपशिष्ट क्षेपित करते हैं। 500 रुपये प्रतिदिन के उल्लंघन हेतु+नगरीय स्थानीय निकाय द्वारा स्वच्छता में आयी लागत

- | | | |
|----|--|---|
| 25 | यदि नगरीय स्थानीय निकाय की सीमा के अंचल और सीमांत ग्राम/ग्राम पंचायतें नगरीय सीमाओं के भीतर अपशिष्ट क्षेपित करते हैं। | 500 रुपये प्रतिदिन के
उल्लंघन हेतु+नगरीय स्थानीय निकाय
द्वारा स्वच्छता में आयीलागत |
| 26 | यानों, ढक्कनों, डिब्बों, हाथ-गाड़ी, सामग्री पुनर्प्राप्ति सुविधा और जो नगरीय स्थानीय निकाय अथवा इस नियमावली के अधीन उसके द्वारा नियुक्त किसी अभिकरण द्वारा उपबंधित उपकरण सहित किसी अवसंरचना को बिना अनुज्ञा के क्षतिग्रस्त करना या उन्हें हटाना। | 1000 रुपये +क्षति/हटाये जाने
के कारण पुनःस्थापित
करने/मरम्मत करने/प्रतिस्थापित करने
में आयी लागत |
| 27 | नदियों/जलाशयों/नालों/
जल ग्रहण क्षेत्रों आदि में
अनुपयुक्त तरीके से मानव
शव या पशुओं के शवों का
निस्तारण | 1000 रुपये |
| 28 | यदि भंडारा या लंगर आयोजित करने वाला/वाले कोई व्यक्ति या व्यक्ति समूह स्थल पर पृथक्कृत अपशिष्ट हेतु डिब्बे उपलब्ध नहीं कराते हैं। | 1200 रुपये |

समझौता

यदि किसी नागरिक द्वारा नियमों के विरुद्ध नगरीय ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन, स्वच्छता व प्रयोक्ता शुल्क उपविधि-2022 का उल्लंघन करने पर प्रशासक/अध्यक्ष/अधिशाली अधिकारी दोषी नागरिक के विरुद्ध कानूनी कार्यवाही जारी करता है तो उस समय यदि दोषी नागरिक सुलेहनामा (समझौता) के लिये प्रार्थना-पत्र दे तो अधिशाली अधिकारी उचित आर्थिक दंड लेकर समझौता कर सकते हैं जो अधिकतम 5000.00 रुपये तक हो सकता है।

दण्ड

उत्तर प्रदेश, नगर पालिका अधिनियम, 1916 के अन्तर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए नगरपालिका परिषद् बिजनौर यह प्राविधान करती है कि इस उपविधि का उल्लंघन करने व सम्बन्धि व्यक्तियों पर दोष सिद्ध होने पर न्यायालय द्वारा 10000.00 रुपये तक अर्थदण्ड दिया जा सकता है। प्रथम दोष सिद्ध होने पर यदि कोई व्यक्ति उल्लंघन जारी रखता है तो अपराध प्रमाणित होने पर 2000.00 रु प्रतिमाह के लिये अर्थदण्ड दिया जा सकता है।

विकास कुमार,
(अधिशाली अधिकारी)
नगर पालिका परिषद्,
जिला-बिजनौर।

कार्यालय, नगर पंचायत, सुवंशा बाजार, प्रतापगढ़

दिनांक : 24 अप्रैल, 2025 ई0

सं0 60/न0पं0सु0बा0/2025/26—नगर पंचायत सुवंशा बाजार जनपद प्रतापगढ़ उत्तर प्रदेश नगर पालिका अधिनियम, 1916 की धारा 298 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए नगर पंचायत सुवंशा बाजार, जनपद—प्रतापगढ़ अपनी बैठक दिनांक 05 जुलाई 2024 के प्रस्ताव संख्या— 31 के द्वारा नगर पंचायत क्षेत्र की सीमान्तर्गत “विविधकर लाइसेन्स शुल्क नियमावली, 2024” हेतु उपविधि बनायी गयी है। “विविधकर लाइसेन्स शुल्क नियमावली, 2024” की स्वीकृत से सम्बन्धित विभिन्न अधिसूचनायें, स्थानीय समाचार पत्रों में इस कार्यालय के पत्र संख्या 303/न0पं0सु0बा0/उपविधि/2024—25 दिनांक 30 अगस्त 2024 के द्वारा हिन्दुस्तान एवं दैनिक जागरण में आपत्तियों एवं सुझाव आमंत्रित किये गये जाने के उद्देश्य से 30 दिवस के लिए प्रकाशित किया गया था। निर्धारित समयावधि 30 दिवस के भीतर कोई आपत्ति एवं सुझाव प्राप्त नहीं हुआ। बोर्ड बैठक 05 जुलाई, 2024 के प्रस्ताव संख्या—31 के अन्तर्गत भवनों के निर्माण को नियन्त्रित एवं विनियमित करने हेतु उपविधि को उसी रूप में स्वीकृती प्रदान की गयी है। निम्नवत उपविधि को गजट प्रकाशन की तिथि से प्रभावी माना जायेगा।

“विविधकर लाइसेन्स शुल्क नियमावली, 2024”

शासनादेश सं0 2399/नी—9—94—204 (जनरल)/90 दिनांक 27 अक्टूबर, 1994 के अनुपालन में उ0प्र0 नगर पालिका अधिनियम, 1916 की धारा 298 जो नगर पंचायत, पर प्रवृत्त है, के अंतर्गत नगर पंचायत सुवंशा बाजार प्रतापगढ़ में विविधकर (शुल्क) उपविधि नियमावली, 2024 कहलायेगी, जिसका विवरण निम्नानुसार है—

1—संक्षिप्त नाम, प्रसार एवं प्रारम्भ—(1) यह उपविधि विविधकर (शुल्क) उपविधि नियमावली, 2024 कहलायेगी।

(2) यह नगर पंचायत सुवंशा बाजार प्रतापगढ़ की सीमा में प्रवृत्त होगी।

(3) यह उपविधि उ0प्र0 राजपत्र में प्रकाशन होने के दिनांक से नगर पंचायत सुवंशा बाजार प्रतापगढ़ में प्रवृत्त होगी।

2—परिभाषाएँ—उपरोक्त नियमावली में विषय या प्रयोग में कोई शर्त प्रतिकूल न होने पर इस अधिनियम में उल्लिखित शब्द का अर्थ यह पढ़ा व समझा जाये—

(1) “अध्यक्ष/प्रशासक” का तात्पर्य नगर पंचायत सुवंशा बाजार प्रतापगढ़ के अध्यक्ष/प्रशासक से है।

(2) “अधिकांसी अधिकारी” का तात्पर्य नगर पंचायत सुवंशा बाजार प्रतापगढ़ के अधिकांसी अधिकारी से है।

(3) “प्रभारी अधिकारी” का तात्पर्य नगर पंचायत सुवंशा बाजार प्रतापगढ़ के प्रभारी अधिकारी से है।

(4) “लाइसेंसिंग अधिकारी” का तात्पर्य नगर पंचायत सुवंशा बाजार प्रतापगढ़ के लाइसेंसिंग अधिकारी से है।

(5) “अधिनियम” का तात्पर्य उ0प्र0 नगर पालिका अधिनियम, 1916 से है।

(6) “नगर पंचायत” का तात्पर्य नगर पंचायत सुवंशा बाजार से है।

3—उपनियम—(1) इस उपनियम के अन्तर्गत कोई भी दुकानदार व अन्य व्यवसायी लाइसेन्स प्राप्त किये बिना अपनी दुकान/व्यवसाय नहीं चला सकेगा एवं इस उपनियम के लागू होने के पूर्व चल रहे समस्त दुकान/व्यवसाय का लाइसेन्स/व्यवसायी को प्राप्त करना अनिवार्य होगा।

(2) इस उपनियम के अन्तर्गत प्राप्त लाइसेंस की अवधि 03 वर्ष की होगी जो 01 अप्रैल से लागू हो 31 मार्च को समाप्त होगी।

(3) प्रत्येक दुकानदार/व्यवसायी को नगर पंचायत द्वारा निर्धारित शुल्क की धनराशि को अदा करके लाइसेन्स प्राप्त करना अनिवार्य होगा।

(4) दुकानदार/व्यवसायी को लाइसेन्स प्राप्त करने के लिए अपेक्षित धनराशि कार्यालय, नगर पंचायत सुवंशा बाजार में जमा कर अथवा पंचायत कार्यालय द्वारा अधिकृत कर्मचारी को जमा करके रसीद प्राप्त कर सकता है।

(5) दुकानदार/व्यवसायी को सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त बॉटों का मापों में प्रयोग करना अनिवार्य होगा।

(6) इस उपनियम के अन्तर्गत प्राप्त लाइसेन्स केन्द्र/राज्य सरकार/अन्य किसी विधिक संस्था द्वारा तालिका में उल्लिखित व्यवसायों के नियन्त्रण हेतु प्राप्त लाइसेन्स से भिन्न होगा।

(7) कोई ऐसा व्यक्ति जो किसी छुआ-छूत की बीमारी से ग्रस्त है, वह उल्लिखित तालिका में वर्णित व्यवसाय नहीं करेगा एवं ऐसे व्यक्ति को उल्लिखित व्यवसायों में सहायक अथवा नौकर भी रखने का अधिकार नहीं होगा।

(8) नगर पंचायत सुवंशा बाजार प्रतापगढ़ के अध्यक्ष/प्रशासक/प्रभारी अधिकारी/अधिकासी अधिकारी/अधिकृत कर्मचारी किसी भी समय दुकान के लाइसेन्स का निरीक्षण कर सकते हैं और प्रत्येक दुकानदार/व्यवसायी लाइसेन्स दिखाने के लिए बाध्य होंगे तथा प्रत्येक दुकान के अन्दर आवश्यक स्थिति में प्रवेश के लिए अधिकृत होंगे।

(9) अध्यक्ष/अधिकासी अधिकारी, नगर पंचायत सुवंशा बाजार प्रतापगढ़ के द्वारा लाइसेन्स निर्गत किया जायेगा।

(10) जो शुल्क इस तालिका में नहीं है उसे सम्बन्धित व्यवसाय के समकक्ष मानकर उसी के अनुरूप लाइसेन्स शुल्क लिया जायेगा।

(11) इस उपनियम के प्रभावी होते ही पूर्व में प्रभावी फैक्ट्री/दुकान/वाहन लाइसेन्स उपनियमावली की शुल्क की दरें स्वतः निरस्त हो जायेंगी।

(12) वाहन के लाइसेन्स न बनाने अथवा चेकिंग में पकड़े जाने पर वाहन जमा कराकर इसे अधिकृत कर्मचारी रसीद दे देंगे तथा वाहन बन्द किये जा सकते हैं तत्पश्चात् 15 दिन में लाइसेन्स न बनवाने पर लाइसेन्सिंग अधिकारी द्वारा उक्त वाहनों की सार्वजनिक नीलामी करायी जा सकती है।

(13) उपनियमों में संशोधन पंचायत बोर्ड किसी भी समय कर सकता है, एवं शर्तों के सम्बन्ध में आवश्यक निर्देश आवश्यकतानुसार किसी भी समय निर्गत किये जा सकते हैं।

(14) वित्तीय वर्ष के माह-जून प्रत्येक दुकानदार/व्यवसायी को लाइसेन्स बनवाना अनिवार्य होगा अन्यथा उनसे प्रतिमाह रु० 100.00 बिलम्ब शुल्क के रूप में वसूल किया जायेगा।

(15) दुकानदार/व्यवसायी द्वारा लाइसेन्स शुल्क वर्तमान वित्तीय वर्ष के अन्दर जमा नहीं करने पर इसकी वसूली भू-राजस्व की भाँति करायी जायेगी।

(16) नगर पंचायत बोर्ड/शासनादेश के निर्णयानुसार लागू लाइसेन्स शुल्क में आवश्यक वृद्धि की जा सकती है।

(17) दुकानदार/व्यवसायी अपना व्यवसाय/दुकान चाहे अपने निजी मकान/व्यवसाय के अनुरूप लाइसेन्स बनवाना अनिवार्य होगा।

(18) सक्षम अधिकारी को यह अधिकार होगा कि वह किसी भी लाइसेन्स को किसी भी समय निरस्त कर सकता है अथवा उचित नहीं होने पर लाइसेन्स देने से इन्कार करने का अधिकार होगा।

(19) व्यवसायिक लाइसेन्स प्राप्त करने हेतु अन्य आवंटन विभागों से एन०ओ०सी० इत्यादि प्राप्त करने की समस्त जिम्मेदारी आवेदक की होगी।

4-लाइसेन्स शुल्क—शासनादेश सं० 541/नौ-9-99-23ज/97 टी०सी० दिनांक 15 फरवरी, 1999 समहित सं० 1241/नौ-9-98-23ज/97 दिनांक 10 जून, 1998 नगर पालिका अधिनियम, 1916 की धारा 298, के अन्तर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुये लाइसेन्स शुल्क (35 मद) अनुसूची दरें वसूली प्रभाव रहेगा।

वार्षिक दरें—

क्र०स०	दुकान/व्यवसाय का नाम	लाइसेन्स हेतु निर्धारित दरें प्रति वर्ष
1	2	3
		रु०
1	पाँच सितारा होटल	12,000.00
2	तीन सितारा होटल	9,000.00
3	होटल/लॉजिंग / गेस्ट हाउस (10 शैय्या तक)	900.00
4	प्राइवेट नर्सिंग होम (20 बेड से ऊपर)	5,000.00
5	प्राइवेट नर्सिंग होम (20 बेड तक)	3,000.00
6	प्राइवेट प्रसूति गृह (20 बेड से ऊपर)	5,000.00
7	प्राइवेट नर्सिंग होम (20 बेड तक)	3,000.00
8	प्राइवेट अस्पताल (बिना ऑपरेशन)	2,000.00
9	प्राइवेट अस्पताल (ऑपरेशन युक्त)	5,000.00
10	एक्स-रे क्लीनिक	2,000.00
11	पैथालॉजी सेन्टर	2,000.00
12	प्राइवेट क्लीनिक	1,000.00
13	ऑटो रिक्शा/ई-रिक्शा 07 सीटर तक	500.00
14	ऑटो रिक्शा/ई-रिक्शा 04 सीटर तक	250.00
15	ऑटो रिक्शा/ई-रिक्शा 02 सीटर तक	150.00
16	बस	1,500.00
17	मिनी बस	1,000.00
18	टेम्पो/जीप/टैक्सी आदि	500.00
19	तौंगा	30.00
20	रिक्शा किराये पर चालित	100.00
21	रिक्शा निजी चालित	50.00
22	रिक्शा चालक शुल्क	20.00
23	ढेला	75.00
24	हाथ ढेला	20.00
25	ट्राली मशीन चालित	500.00
26	अन्य चार पहिया व्यापारिक वाहन	750.00
27	धुलाई गृह लॉण्ड्री	500.00
28	ड्राई क्लीनर लॉण्ड्री	1,000.00

1	2	3
		रु०
29	फाइनेन्स कम्पनी	10,000.00
30	इश्योरेंस कम्पनी	15,000.00
31	फाउण्डिंग इण्डस्ट्रीज	500.00
32	पशु स्लाटर हाउस (प्रति पशु)	50.00
33	हड्डी/खाल/बाल गोदाम	1,000.00
34	पशु पालन (प्रति पशु)	10.00
35	कांजी हाउस में बन्द जानवरों पर जुर्माना	500.00
	(क) प्रतिदिन खुराकी बड़े जानवर	100.00
	(ख) प्रतिदिन खुराकी छोटे जानवर	50.00

5— जलमूल्य वसूली—(1) उत्तर प्रदेश सरकार के शासनादेश सं० 1010-19-2-96(2)-96 दिनांक 08 जनवरी, 1997 के द्वारा नगर पालिका अधिनियम 1916 की धारा 298 के अंतर्गत की निम्नवत् दरें प्रस्तावित हैं—

(अ) घरेलू संसोधित दरें (रु० प्रतिमाह) वर्तमान रु० 50.00

(2) व्यावसायिक संसोधित दरें (रु० प्रतिमाह) वर्तमान रु० 100.00

(2) नगर पंचायत के अन्तर्गत ऐसे भवन स्वामियों के घरेलू समरसेविल पानी का उपयोग करते हैं का वार्षिक शुल्क रु० 1,000.00 देय होगा।

(3) ऐसे भवन स्वामी जो व्यावसायिक समरसेविल का प्रयोग करते हैं वार्षिक मूल्य रु० 2,000.00 देय होगा।

(4) वसूली अवधि 01 अप्रैल, से 31 मार्च, होगी।

(5) नगर पंचायत वार्षिक बिल वितरण कराकर वसूली करायेगी।

(6) नगर पंचायत समुचित अभिलेखों को प्रत्येक वित्तीय वर्षवार अनुरक्षित रखेगी, जिसमें डिमाण्ड रजिस्टर को तैयार कराना तथा निर्धारित समय में बिल तैयार कर वितरित करना।

6—शो टैक्स—नगर पंचायत सुवंशा बाजार सीमान्तर्गत मनोरंजन के माध्यम से फिल्म प्रदर्शित किया जाता है जो ऐसे स्वामियों से रु० 50.00 प्रति शो की दर से वसूला जायेगा।

7—विज्ञापन शुल्क सचिव, उत्तर प्रदेश, नगर विकास अनुभाग—9 शासनादेश सं० 618/नौ-9-2012-277ज/2011 दिनांक 05 अप्रैल, 2012 के द्वारा विज्ञापन/प्रचार के सम्बन्ध में दिशा निर्देश—

(1) विज्ञापन या विज्ञापन पट के लिये ऐसे स्थल चिन्हित किये जायेंगे जो प्रत्येक दृष्टि से निरापद, निर्वाद, गमनागम और सुगम यातायात के लिये सर्वथा उपयुक्त हो।

(2) विज्ञापन पटों की सुदृढता प्रत्येक दशा में सुनिश्चित की जाये ताकि कोई दुर्घटना न होने पाये।

(3) विज्ञापन को वृक्षों, बल्लियों, बॉस या लकड़ियों से बांधा नहीं जायेगा। उस बात पर विशेष ध्यान दिया जाये कि विज्ञापन से आस-पास के कलात्मक सौन्दर्य नष्ट न हो और लोक सम्पत्ति किसी भी प्रकार से विरूपित न हो।

(4) विज्ञापन कर रु० 6.00 प्रति वर्गफुट प्रतिमाह देय है।

(5) कोई भी विज्ञापन या विज्ञापन पट किसी भी दशा में जनहित और निकाय के प्रतिकूल नहीं होने चाहिये और उसमें सम्प्रदर्शित विज्ञापन किसी भी प्रकार से अशिष्ट, अश्लील, स्वास्थ्य के लिये हानिकारक अथवा आपत्तिजनक प्रवृत्ति के नहीं होने चाहिये।

8—ट्रांसफार्मर सबस्टेशन पर शुल्क—(1) पंचायत सीमा में अधिष्ठापित बिजली के ट्रांसफार्मर 250 के०वी०ए० क्षमता तक शुल्क रु० 5,000/— एवं 400 के०वी०ए० क्षमता तक शुल्क रु० 10,000/— वार्षिक प्रति ट्रांसफार्मर, 400 के०वी०ए० की अधिक की क्षमता के लियें रु० 25,000/— वार्षिक।

(2) पंचायत सीमा में अधिष्ठापित बिजली के पावर हाउस/सब स्टेशन पर शुल्क रु० 50,000.00 वार्षिक।

9—नगर पंचायत दुकान एवं बारातघर पर किराया शुल्क—(1) नगर पंचायत दुकान एवं सम्पत्तियों को भली-भाँति रख-रखाव करने हेतु प्रत्येक तीन वर्ष में 10 प्रतिशत किराये में वृद्धि करेगी।

(2) ऐसे किरायेदारों द्वारा अनुबन्ध-पत्र उल्लंघन करने पर नगर पंचायत द्वारा बेदखल नोटिस जारी कर पुनः नीलामी की कार्यवाही कर दी जायेगी।

(3) दुकान का किराया रु० 2,000/— प्रतिमाह

(4) नगर पंचायत सुवंशा बाजार द्वारा स्थित बारातघर का किराया रु० 5,000.00 प्रतिदिन तथा कार्यक्रम के उपरान्त बारातघर की सफाई एवं जनित कूड़े का निस्तारण शुल्क अलग से देय होगा।

10—अनापत्ति प्रमाण-पत्र शुल्क प्रति वर्ष :—

	रु०
(1) मछली फुटकर बिक्री	500.00
(2) मछली थोक बिक्री	1,000.00
(3) फल फुटकर बिक्री	500.00
(4) फल थोक बिक्री	2,000.00
(5) सब्जी फुटकर बिक्री	500.00
(6) सब्जी थोक बिक्री	2,000.00
(7) अण्डा फुटकर बिक्री	500.00
(8) सब्जी थोक बिक्री	2,000.00
(9) मुर्गा, बकरा, भैस-भैसा बिक्री	50,000.00

11—विविधकर (शुल्क) की दरें—

(1) प्रमाण-पत्र शुल्क रु० 100.00 (सौ रु० मात्र) प्रति प्रमाण-पत्र।

(2) पानी टैंकर का किराया (नगर पंचायत सीमा में वैवाहिक कार्य/सामाजिक कार्य हेतु) रु० 800.00 आठ सौ मात्र प्रति टैंकर एवं नगर पंचायत सीमा में निर्माण कार्य हेतु रु० 1000.00 एक हजार मात्र प्रति टैंकर प्रतिदिन।

(3) पानी टैंकर का किराया (नगर पंचायत सीमा के बाहर 20 कि०मी० अधिकतम में वैवाहिक कार्य/सामाजिक कार्य हेतु) रु० 1,500.00 एक हजार पांच सौ मात्र प्रति टैंकर एवं नगर पंचायत सीमा के बाहर 20 कि०मी० अधिकतम में निर्माण कार्य हेतु 2,500.00 दो हजार पांच सौ मात्र प्रति टैंकर प्रतिदिन।

- (4) सीवरेज टैंकर उपयोग शुल्क (नगर पंचायत सीमान्तर्गत (2,000.00 प्रति चक्कर/प्रति टैंकर एवं नगर पंचायत सीमा के बाहर 20 कि०मी० अधिकतम में शुल्क रु० 4,000.00 प्रति चक्कर/प्रति टैंकर।
- (5) पंचायत सीमा में स्थित पेट्रोल पम्प पर व्यावसायिक शुल्क रु० 3,000.00 (तीन हजार मात्र) वार्षिक।
- (6) पंचायत सीमा में स्थित कोचिंग संस्थानों पर व्यावसायिक शुल्क रु० 1000.00 (एक हजार मात्र) वार्षिक।
- (7) पंचायत सीमा में व्यवसाय करने वाले गेस्ट हाउस/अतिथि गृह पर व्यावसायिक शुल्क रु० 10,000.00 (दस हजार मात्र) वार्षिक।
- (8) पंचायत सीमा में व्यवसाय करने वाले रेस्टोरेन्ट/ढाबा पर व्यावसायिक शुल्क रु० 5,000.00 (पाँच हजार मात्र) वार्षिक।
- (9) पंचायत सीमा में स्थित आटा चक्की/पालेशर मशीन/तेल पिराई मशीन/रुई धुनाई मशीन पर व्यावसायिक शुल्क रु० 1,000.00 (रु० एक हजार) वार्षिक।
- (10) गाय/भैस/सुअर इत्यादि सभी प्रकार के पालतू जानवरों को खुला छोड़ने पर पकड़े जाने पर शुल्क रु० 500 प्रति प्रकरण/प्रति दिन।
- (11) पंचायत सीमा में निर्मित होने वाले सार्वजनिक शौचालयों के मूत्रालय प्रयोक्ता प्रति व्यक्ति से शुल्क रु० 5.00 एवं शौचालय प्रयोक्ता प्रति व्यक्ति से शुल्क रु० 10.00 लिया जायेगा।
- (12) पंचायत सीमा में स्थित नाली/नाला/सड़क/अन्य सार्वजनिक सम्पत्ति पर अवैध कब्जा पाये जाने पर पेनाल्टी शुल्क रु० 1,000.00 प्रति प्रकरण तथा पुनरावृत्ति करने पर रु० 5,000.00 प्रति प्रकरण।
- (13) पंचायत सीमा में स्थित व व्यवसाय करने वाले छोटे दुकानदारों (200 वर्ग फिट क्षेत्रफल या उससे कम कवर्ड एरिया) से व्यावसायिक शुल्क रु० 500.00 वार्षिक तथा बड़े दुकानदारों (200 वर्ग फिट क्षेत्रफल या उससे अधिक कवर्ड एरिया) से व्यावसायिक शुल्क रु० 1,000.00 वार्षिक।
- (14) छोटी बाउन्ड्री युक्त भू-खण्ड या मकानों के मध्य खाली भू-खण्डों एवं छोटी बाउन्ड्रीवाल पर न्यूनतम दो मीटर ऊँची बाउन्ड्रीवाल निर्मित न कराने पर पेनाल्टी शुल्क प्रति प्रकरण रु० 2,500.00 (दो हजार पाँच सौ) मात्र।
- (15) नगर पंचायत सीमा में स्थित राइस, गन्ना मिल पर व्यावसायिक शुल्क रु० 5,000.00 वार्षिक।
- (16) नगर पंचायत सीमा में संचालित आरा मशीन, आइस फैक्ट्री पर व्यावसायिक शुल्क रु० 2,000.00 (दो हजार) वार्षिक।
- (17) नगर पंचायत सीमा में स्थित डेरी, प्रेशर मशीन (गाड़ी घुलाई केन्द्र) पर व्यावसायिक शुल्क रु० 2,000.00 (दो हजार) वार्षिक।
- (18) नगर पंचायत सीमा में स्थित आर०ओ० प्लांट/निजी जलापूर्ति प्रणाली पर व्यावसायिक शुल्क रु० 2,000.00 (दो हजार) वार्षिक।
- (19) नगर पंचायत सीमा में स्थित मोटर साइकिल एजेन्सी, ट्रैक्टर एजेन्सी पर व्यावसायिक शुल्क रु० 3,000.00 (तीन हजार) वार्षिक।
- (20) नगर पंचायत जे०सी०बी० किराया रु० 1,200.00 (बारह सौ) रु० प्रति घंटा नगर पंचायत सीमान्तर्गत तथा आने-जाने का समय सहित।
- (21) मोबाइल टायलेट किराया रु० 2,500.00 प्रति दिन/प्रति बुकिंग।

- (22) नगर पंचायत सीमान्तर्गत संचालित ईट भट्टों पर लाइसेंस शुल्क रु० 2,000.00 (दो हजार) वार्षिक शुल्क।
- (23) नगर पंचायत सीमा में गल्ला/अनाज की आदत व्यावसायिक शुल्क रु० 2,000.00 (दो हजार) वार्षिक।
- (24) नगर पंचायत सीमा में स्थित समस्त बैंकों पर व्यावसायिक शुल्क रु० 5,000.00 (पाँच हजार) वार्षिक प्रति शाखा।
- (25) नगर पंचायत सीमा में जल कनेक्शन के उद्देश्य से रोड कटिंग चार्ज रु० 2,000.00 (दो हजार) रुपया प्रति कनेक्शन।
- (26) नगर पंचायत सीमा में जल कनेक्शन हेतु जमानत धनराशि रु० 500.00 (पाँच सौ) रुपया प्रति कनेक्शन।
- (27) नगर पंचायत सीमान्तर्गत समस्त विकास कार्य सम्बन्धी ठेकेदार पंजीकरण शुल्क रु० 15,000.00 (पन्द्रह हजार) मात्र वार्षिक, वित्तीय वर्ष के प्रथम मास तक। तदोपरान्त रु० 1,000.00 (एक हजार) मासिक विलम्ब शुल्क के साथ।
- (28) ठेकेदार नवीनीकरण शुल्क रु० 5,000.00 (पाँच हजार) मात्र वार्षिक, सिवियोरिटी हेतु एफ०डी०आर० 50,000/रुपया के साथ।
- (29) शटरिंग/तख्ता बल्ली को किराये पर उठाने के व्यवसाय पर रु० 2,000.00 (दो हजार) मात्र।
- (30) देशी शराब व्यावसायिक शुल्क प्रति दुकान रु० 5,000.00 (पाँच हजार) वार्षिक।
- (31) विदेशी शराब व्यावसायिक शुल्क प्रति दुकान रु० 10,000.00 (दस हजार) वार्षिक।
- (32) बार/वियर दुकान पर व्यावसायिक शुल्क प्रति दुकान रु० 10,000.00 (दस हजार) वार्षिक।
- (33) माडल शाप व्यावसायिक शुल्क प्रति दुकान रु० 15,000.00 (पन्द्रह हजार) वार्षिक।
- (34) समस्त प्रकार की भवन निर्माण सामग्री सीमेन्ट/सरिया/मौरंग इत्यादि विक्रेता व्यावसायिक शुल्क रु० 5,000.00 (पाँच हजार) वार्षिक।
- (35) मा० राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण के आदेशों के क्रम में एनजीटी एक्ट, 2010 की धारा 15/16 के अन्तर्गत नगर क्षेत्र में खुले में कूड़ा जलाने पर अर्थदण्ड प्रति प्रकरण रु० 5,000.00 (पाँच हजार) पात्र एवं सड़क के किनारे भवन निर्माण सामग्री एकत्रित करने/मलबा रखे जाने पर रु० 50,000.00 (पचास हजार) मात्र अर्थदण्ड।

दण्ड

उ०प्र० नगर पालिका अधिनियम, 1916 की धारा 299(1) के अधीन अधिकारों का प्रयोग करते हुए निर्देश दिया जाता है कि कोई व्यक्ति उपरोक्त नियमों के किसी भी धारा का उल्लंघन करेगा या करने में प्रोत्साहित करेगा उस व्यक्ति पर अर्थदण्ड लगाया जायेगा जो इस उपनियम में दिये गये निर्धारित शुल्क के दो गुना से दस गुना तक हो सकता है। यदि अपराध निरन्तर जारी रहेगा तो अतिरिक्त दण्ड लगाया जायेगा, जो प्रथम दोष सिद्ध होने की तिथि से या प्रमाणित हो जाने पर भी अपराधी ने निरन्तर अपराध जारी रखा है तो रु० 25 (पच्चीस रुपये) प्रतिदिन तक हो सकता है एवं जुर्माना के साथ-साथ तीन मास का कारावास तक का दण्ड सक्षम न्यायालय से दिया जा सकता है।

(ह०) अस्पष्ट,

अधिकासी अधिकारी,
नगर पंचायत, सुवंशा बाजार,
जनपद—प्रतापगढ़।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरा सही नाम अर्चना पुत्री राम सागर है जो मेरे आधार कार्ड, पैन कार्ड एवं शैक्षिक अभिलेखों में अंकित है। विवाह उपरान्त मैंने अपना नाम अर्चना से बदल कर अर्चना गौतम रख लिया है। भविष्य में मुझे अर्चना गौतम पुत्री राम सागर पत्नी संदीप गौतम के नाम से जाना व पहचाना जाए।

एतत् द्वारा प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त के सम्बन्ध में समस्त विधिक औपचारिकतायें स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गई हैं।

अर्चना पत्नी संदीप गौतम,
पता-117/एन/202 तुलसी नगर,
काकादेव, पो0 नवीन नगर, कानपुर नगर,
उत्तर प्रदेश।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरा सही नाम अनीता देवी है जो मेरे आधार कार्ड, पैन कार्ड तथा शैक्षिक अभिलेख में अंकित है। त्रुटिवश मेरे पुत्र के हाईस्कूल के अंक प्रमाण पत्र अनुक्रमांक-11210282 वर्ष 2024 में मेरा नाम अनीता देवी यादव अंकित हो गया है। जो कि गलत है।

एतत् द्वारा प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त के सम्बन्ध में समस्त विधिक औपचारिकतायें स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गई हैं।

अनीता देवी,
पत्नी बृजेश कुमार यादव,
कृष्णापुरी कालोनी, जंगीरोड़,
मीरजापुर, उ0प्र0।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरी पुत्री का सही नाम अपर्णा सिंह पुत्री विनय कुमार सिंह है, जो उसके शैक्षिक अभिलेख, आधार कार्ड में अंकित है। मैंने अपनी पुत्री का स्वास्थ्य ठीक न रहने के कारण अपने ज्योतिषाचार्य के अनुसार उसका नाम अपर्णा सिंह से बदलकर शिवन्या सिंह रख लिया है। भविष्य में मेरी पुत्री को शिवन्या सिंह पुत्री विनय कुमार सिंह के नाम से जाना व पहचाना जाय।

एतत् द्वारा प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त के सम्बन्ध में समस्त विधिक औपचारिकतायें स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गई हैं।

विनय कुमार सिंह,
ग्राम सेतापुर पोस्ट भटौली,
थाना तेजी बाजार जनपद जौनपुर।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरे पुत्र का सही नाम रुशांक मिश्रा (Rushank Mishra) पुत्र राजन कुमार मिश्रा जो कि उसके जन्म प्रमाण पत्र में अंकित है। त्रुटिवश मेरे पुत्र के आधार कार्ड स0-5203 6967 3592 में उसका नाम राम शेखर मिश्रा अंकित हो गया है जो कि घरेलू नाम है। भविष्य में मेरे पुत्र को उसके सही नाम रुशांक मिश्रा (Rushank Mishra) पुत्र राज कुमार मिश्रा के नाम से जाना व पहचाना जाय।

एतत् द्वारा प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त के सम्बन्ध में समस्त विधिक औपचारिकतायें स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गई हैं।

राजन कुमार मिश्रा,
पुत्र चन्द्रशेखर मिश्रा,
ग्राम व पोस्ट सरौंदा, गोहना मऊ।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरी पुत्री का सही नाम कुमारी मंजू पुत्री धर्मेन्द्र कुमार है जो उसके जन्म प्रमाण पत्र, परिवार रजिस्टर की नकल तथा उपजिलाधिकारी जांच आख्या में अंकित है। त्रुटिवश मेरी पुत्री के आधार कार्ड सं0-5745 7187 5814 में उसका नाम कुमारी प्रिया अंकित हो गया है जो कि गलत है। भविष्य में मेरी पुत्री को उसके सही नाम कुमारी मंजू पुत्री धर्मेन्द्र कुमार के नाम से पहचाना जाय।

एतत् द्वारा प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त के सम्बन्ध में समस्त विधिक औपचारिकतायें स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गई हैं।

धर्मेन्द्र कुमार
निवासी ग्राम झिंगहा दादनपुर,
पूरे घासी इलाहाबाद।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरे पुत्र का सही नाम आदित्य धर दूबे है जो कि उसके शैक्षिक अभिलेख में अंकित है। त्रुटिवश उसके आधार कार्ड सं0-7145 7573 2794 में तरुण धर लिखा है जो कि गलत है। भविष्य में मेरे पुत्र को आदित्य धर दूबे के नाम से जाना व पहचाना जाये।

एतत् द्वारा प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त के सम्बन्ध में समस्त विधिक औपचारिकतायें स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गई हैं।

त्रिवेणी धर दूबे,
निवासी- 71, गंगोत्री नगर,
डांडी नैनी प्रयागराज।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरे पुत्र का सही नाम हेमन्त कुमार निषाद पुत्र रामजनम चौधरी (Ramjanam Chaudhary) है। जो कि उसके शैक्षिक अभिलेख में अंकित है। त्रुटिवश उसके आधार कार्ड सं0-6257 9360 7376 में उसका नाम Preeti अंकित हो गया है जो कि गलत है। भविष्य में मेरे पुत्र को उसके सही नाम हेमन्त कुमार निषाद पुत्र रामजनम चौधरी (Ramjanam Chaudhary) के नाम से जाना व पहचाना जाय।

एतत् द्वारा प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त के सम्बन्ध में समस्त विधिक औपचारिकतायें स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गई हैं।

रामजनम चौधरी पुत्र सच्चू लाल,
निवासी वार्ड नं0-6, शिवापार्क,
सरदार पटेल नगर, रेनूकूट, बेलहत्थी,
सोनभद्र उ0प्र0।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरे पुत्र का सही नाम पदमनाभम पाण्डेय पुत्र श्री सिद्धनाथ है। जो उसके स्कूल एवं शैक्षिक अभिलेखों में अंकित है। त्रुटिवश उसके आधार कार्ड सं0-7057 1791 3798 में उसका नाम सक्षम कुमार पाण्डेय हो गया है जो कि गलत

है। भविष्य में मेरे पुत्र को उसके सही नाम से जाना व पहचाना जाये।

सिद्धनाथ
पुत्र स्व0 दीनानाथ पाण्डेय
नि0- ग्राम रघुनाथपुर पोस्ट दलपतपुर,
थाना-महराजगंज, तहसील-सदर,
जिला-अयोध्या, उ0प्र0।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरा नाम सचिन पुत्र रामनाथ यादव है जो मेरे अभिलेखों में व पैन कार्ड सं0-FRDPS5837Q आधार कार्ड सं0-6893 0144 5426 में अंकित है, सन्यास ग्रहण करने के उपरांत श्री नारायण आश्रम के संत जनो के द्वारा मेरा नाम संत सचिन दास जी रखा गया है। उपरोक्त दोनों नाम मेरा ही है भविष्य में मुझे संत सचिन दास जी ही के नाम से जाना व पहचाना जाये।

एतत् द्वारा प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त के सम्बन्ध में समस्त विधिक औपचारिकतायें स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गई हैं।

संत सचिन दास जी,
श्री नारायण आश्रम शिवकुटी,
तेलियरगंज, प्रयागराज, उ0प्र0।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरा सही नाम आदित्य नाथ पुत्र बेचन है जो मेरे शैक्षिक अभिलेख में अंकित है, त्रुटिवश मेरे आधार कार्ड सं0-8444 2841 2727 में मेरा नाम आदित्य नाथ यादव अंकित हो गया है जो कि गलत है। भविष्य में मुझे मेरे सही नाम आदित्य नाथ पुत्र बेचन के नाम से जाना व पहचाना जाये।

एतत् द्वारा प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त के सम्बन्ध में समस्त विधिक औपचारिकतायें स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गई हैं।

आदित्य नाथ पुत्र, बेचन,
पता- ग्राम व पोस्ट देवारा,
इस्माइलपुर, थाना रौनापार,
जिला आजमगढ़।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरी पुत्री का सही नाम आद्रिका वर्मा पुत्री अरविन्द कुमार वर्मा है जो उसके शैक्षिक अभिलेख में अंकित है। त्रुटिवश मेरी पुत्री के आधार कार्ड सं०-9588 0730 4245 में उसका नाम अर्पिता वर्मा अंकित हो गया है जो कि गलत है। भविष्य में मेरी पुत्री को उसके सही नाम आद्रिका वर्मा पुत्री अरविन्द कुमार वर्मा के नाम से जाना व पहचाना जाये।

एतत् द्वारा प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त के सम्बन्ध में समस्त विधिक औपचारिकतायें स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गई हैं।

अरविन्द कुमार वर्मा,
पुत्र विद्याप्रसाद,
नि०- 252 जटेपुर उत्तरी,
पोस्ट गोरखनाथ, जिला-गोरखपुर।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरा तथा मेरी पत्नी का सही नाम क्रमशः प्रमोद कुमार पुत्र राम प्रकाश, सुनीला देवी पुत्री कैलाश चन्द्र पत्नी प्रमोद कुमार है जो हम लोगों के आधार, पैन कार्ड तथा शैक्षिक अभिलेख में अंकित है। त्रुटिवश एस०बी०आई० के शेयर सर्टिफिकेट के फोलियों संख्या-00775029 व सर्टिफिकेट संख्या-000052931 एवं 000052932 में मेरी पत्नी का नाम सुनीता गंगवार अंकित हो गया है जो कि गलत है।

एतत् द्वारा प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त के सम्बन्ध में समस्त विधिक औपचारिकतायें स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गई हैं।

प्रमोद कुमार,
219 नेकपुर कला फर्रुखाबाद।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरे पुत्र का सही नाम विनायक पटेल VINAYAK PATEL पुत्र साकेत पटेल है। जो कि उसके जन्म प्रमाण पत्र में अंकित है। त्रुटिवश मेरे पुत्र के आधार कार्ड सं०-5490 9633 2270 में उसका नाम गनेश पटेल अंकित हो गया है जो कि गलत नाम है। भविष्य में मेरे पुत्र को उसके सही

नाम विनायक पटेल VINAYAK PATEL पुत्र साकेत पटेल के नाम से जाना व पहचाना जाये।

एतत् द्वारा प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त के सम्बन्ध में समस्त विधिक औपचारिकतायें स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गई हैं।

साकेत पटेल,
पता-राजेन्द्र महतो,
487, नई दांडी, करवट, चंदौली, (उ०प्र०)

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरा सही नाम लक्ष्य (Lakshya) पुत्र सुनील कुमार है। जो मेरे शैक्षिक अभिलेख में अंकित है। त्रुटिवश मेरे आधार कार्ड सं०-9049 6976 3875 में मेरा नाम लक्ष सिंह (Laksh Singh) अंकित हो गया है जो कि गलत है। भविष्य में मुझे मेरे सही नाम लक्ष्य (Lakshya) पुत्र सुनील कुमार के नाम से जाना व पहचाना जाय।

एतत् द्वारा प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त के सम्बन्ध में समस्त विधिक औपचारिकतायें स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गई हैं।

लक्ष्य (Lakshya),
पता-135 के०एच० मरु,
महू औरैया, उत्तर प्रदेश।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरे पुत्र का सही नाम पंकज कुमार पाल पुत्र राम आसरे पाल है जो कि उसके शैक्षिक अभिलेख में अंकित है। आधार कार्ड सं०-6773 1613 1372 में उसका नाम हर्ष कुमार पाल अंकित हो गया है जो कि गलत नाम है। भविष्य में मेरे पुत्र को उसके सही नाम पंकज कुमार पाल पुत्र राम आसरे पाल के नाम से जाना व पहचाना जाये।

एतत् द्वारा प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त के सम्बन्ध में समस्त विधिक औपचारिकतायें स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गई हैं।

सुषमा पाल,
पत्नी राम आसरे पाल,
पता- दुबावल कछार, गैराबाद, हनुमानगंज,
तहसील फूलपुर, प्रयागराज उ०प्र०।

NOTICE

It is informed to the general public that the correct name of my son is Ayansh Krishna son of Sanjay Singh which is mentioned in his educational records. Due to some mistake, in my son's Aadhar Card Number -7488 7379 6000, his name has been chaged to Swatantrata which is a wrong name. In future, my son should be known and recognized by his correct name Ayansh Krishna son of Sanjay Singh.

It is certified that all the legal formalities in respect of the above have been completed by me.

Sanjay Singh,
Address- Dumduma Saidabad,
Prayagraj.

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेसर्स अमोघ इन्डस्ट्रीज, पता 382 ए सिविल लाइन्स बदायूँ उत्तर प्रदेश व प्लांट का पता एलडिको सिडकुल इन्डस्ट्रीयल पार्क प्लाट न० ए-115, फेस-1, सितारगंज जिला उधमसिंह नगर उत्तराखण्ड जिसकी पंजीकरण सं०— B-14388 है, यह उपरोक्त फर्म दिनांक 16 सितम्बर, 2016 से निरन्तर सुचारु रूप से कार्य कर रही है, उपरोक्त फर्म का पता दिनांक 01 मई 2025 से सक्सेना हाउस, हाउस न०-1, आधारशिला-1, आकांक्षा एन्कलेव के सामने, मुंशी नगर बरेली उत्तर प्रदेश व प्लांट का पता एलडिको सिडकुल इन्डस्ट्रीयल पार्क प्लाट न० ए-115, फेस-1, सितारगंज जिला उधमसिंह नगर उत्तराखण्ड हो गया है। उपरोक्त फर्म में एक साझेदार श्री हिमांशू बत्रा पुत्र श्री सुभाष चन्द्र बत्रा निवासी 101/3, गोल्डन ग्रीन पार्क, ग्रीन पार्क, हरूनगला बरेली उत्तर प्रदेश 243006 दिनांक 01 मई 2025 को स्वेच्छा से सेवानिवृत्त हो गये हैं, सेवानिवृत्त साझेदार का फर्म पर व फर्म का सेवानिवृत्त साझेदार पर कोई बकाया शेष नहीं है। उपरोक्त फर्म में वर्तमान में अब कुल दो साझेदार कमशः 1. संयम गोयल 2. अर्पित गोयल साझेदार है ।

एतद्वारा सूचित किया जाता है कि उक्त साझेदारी के सम्बन्ध में समस्त विधिक औपचारिकताएँ स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गई हैं।

संयम गोयल,
साझेदार
मेसर्स अमोघ इन्डस्ट्रीज,
पता—सक्सेना हाउस, हाउस नं०-1,
आधारशिला-1 आकांक्षा एन्कलेव के सामने,
मुंशी नगर बरेली, उत्तर प्रदेश।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि फर्म मेसर्स “आजाद राईस मिल”, पता:—कस्बा केमरी, जिला रामपुर (यू०पी०) नामक फर्म में दिनांक 25. फरवरी, 2025 को सिराज अहमद पुत्र सुलेमान का देहान्त हो गया है तथा दिनांक 04. अगस्त, 2025 को वकील अहमद पुत्र बशीर अहमद रिटायर हो गये हैं तथा दिनांक 04 अगस्त, 2025 को फहीम जावेद पुत्र वकील अहमद व हमसीर बेगम पत्नी सिराज अहमद शामिल हो गयी हैं तथा रिटायर्ड पार्टनर की उक्त फर्म पर किसी भी प्रकार की कोई लेनदारी या देनदारी नहीं है तथा अब वर्तमान में छः पार्टनर जमील अहमद, नईम अहमद, शबनम बेगम, हमसीर बेगम, इमरान अली, फहीम जावेद हो गये हैं।

जमील अहमद,
पार्टनर,
फर्म मेसर्स “आजाद राईस मिल”,
पता:—कस्बा केमरी, जिला रामपुर (यू०पी०)।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेसर्स जी०के० फिलिंग स्टेशन पता— 221, रजऊ परसपुर एन० एच०-24 फरीदपुर जिला बरेली, उत्तर प्रदेश जिसकी पंजीकरण सं०-बी-14611 है, यह उपरोक्त फर्म दिनांक 22 मार्च, 2017 से निरन्तर सुचारु रूप से कार्य कर रही थी, उपरोक्त फर्म में दो साझेदार श्री गुलशन आनन्द पुत्र श्री हरी राम आनन्द निवासी 10-बी ट्यूलिप टावर, स्टेडियम रोड बरेली व सनी आनन्द पुत्र श्री सुरेन्द्र आनन्द निवासी 10-बी ट्यूलिप टावर, स्टेडियम रोड बरेली

है। दिनांक 24 जुलाई, 2025 को दोनो साझेदारों ने आपसी सहमती से फर्म को समाप्त करने का निर्णय लिया और फर्म का विघटन कर दिया जिसके सम्बन्ध में विघटन विलेख लिखकर फर्म का विघटन किया गया व विघटन से सम्बन्धित समस्त विधिक औपचारिकतायें पूर्ण की गयीं।

गुलशन आनन्द,
मेसर्स जी०के० फिलिंग स्टेशन,
पता— 221, रजऊ परसपुर एन० एच०-24,
फरीदपुर, जिला बरेली, उत्तर प्रदेश।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि फर्म M/S 993 INFRASTRUCTURE, 236, Gandhi Gram, Ramadevi, Kanpur 208007 का साझीदार हूँ। फर्म का पंजीयन दिनांक 27 अप्रैल, 2015 को पंजीकरण सं० K-11244 पर हुआ था। फर्म की भागीदारी डीड दिनांक 26 जुलाई, 2014 के अनुसार फर्म में श्री अतुल कुमार, श्री बृजेश कुमार मिश्रा, श्री सुनील कुमार मिश्रा, श्री अनिल कुमार, श्री लक्ष्मी सागर वर्मा साझीदार थे। संशोधित भागीदारी डीड दिनांक 01 अप्रैल, 2024 के अनुसार साझीदारी में श्री ललित उमराव को शामिल किया गया है तथा संशोधित भागीदारी डीड दिनांक 01 अप्रैल, 2024 के अनुसार पूर्व साझीदार श्री लक्ष्मी सागर वर्मा स्वेच्छा से पृथक हो गये हैं और अब फर्म में श्री अतुल कुमार, श्री बृजेश कुमार मिश्रा, श्री सुनील कुमार मिश्रा, श्री अमित कुमार, श्री ललित उमराव भागीदार हैं।

अतुल कुमार,
पार्टनर,
M/S 993 INFRASTRUCTURE,
236, Gandhi Gram, Ramadevi,
Kanpur.

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि फर्म मेसर्स-जय बिल्डर्स, पता- 276 सी, फ्रेन्ड्स कालोनी, इटावा 206001 की साझीदार हूँ। फर्म का पंजीयन दिनांक 14 सितम्बर, 2020 को पंजीकरण सं०-ETW/0007344 पर

हुआ था। फर्म की भागीदारी डीड दिनांक 01 अप्रैल, 2025 के अनुसार पूर्व साझीदार श्री अवधेश सिंह साझीदारी से दिनांक 31 मार्च 2025 को स्वेच्छा से पृथक हो गये हैं। फर्म में अब श्री राजीव कुमार, श्री प्रदीप कुमार व श्री जय यादव साझीदार हैं।

राजीव कुमार,
पार्टनर,
फर्म मेसर्स-जय बिल्डर्स,
पता— 276 सी, फ्रेन्ड्स कालोनी, इटावा।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि फर्म M/s Grand Infra Real Estate & Developers, 24/147, Kalpana Plaza, Birhana Road, Kanpur के पते पर पंजीयन सं० K-11006 पर दि० 27 अगस्त, 2014 को पंजीकृत है। फर्म की भागीदारी डीड दिनांक 30 अप्रैल, 2025 के अनुसार फर्म की भागीदारी में श्री कुशल जैन को शामिल किया गया है तथा भागीदारी से मेसर्स जे०सी० प्रोफेशनल स्टडीज प्रा०लि० स्वेच्छा से पृथक हो गये हैं। भागीदारी डीड दिनांक 10 जून, 2025 के अनुसार फर्म की भागीदारी में श्री रोहित जैन को शामिल किया गया है तथा साझीदार श्रीमती ज्योति अग्रवाल स्वेच्छा से पृथक हो गयी हैं। अब फर्म में श्री कुशल जैन व श्री रोहित जैन साझीदार हैं तथा फर्म का पता परिवर्तित कर 14/100 (14), Anand Enclave, Civil Lines, Kanpur, Uttar Pradesh, India 208001 कर दिया गया है

कुशल जैन,
पार्टनर,
M/s Grand Infra Real Estate & Developers,
24/147, Kalpana Plaza,
Birhana Road, Kanpur.

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि फर्म मेसर्स तोमर ट्रांसपोर्ट, तिलक नगर भोपा रोड मुजफ्फरनगर का पंजीकरण क्षेत्रीय कार्यालय सहायक निबंधक, फर्मस सोसायटी एवं चिट्स सहारनपुर के यहां से दिनांक 02 जनवरी, 2014 को हुआ था।

रजिस्ट्रेशन के समय फर्म में 1. सतीश कुमार तोमर पुत्र सुखबीर सिंह निवासी 60/107 लक्ष्मण विहार, मुजफ्फरनगर 2. उधम सिंह पुत्र लटूर सिंह निवासी 892/12 केडिया वाटिका, संजय मार्ग, भोपा रोड मुजफ्फरनगर 3. धर्मेन्द्र मलिक पुत्र सीताराम निवासी ग्राम व पोस्ट पिन्ना जिला मुजफ्फरनगर पार्टनर थे। जिसमें संशोधन डीड दिनांक 04 मार्च, 2020 के अनुसार फर्म में से 1. धर्मेन्द्र मलिक व 2. उधम सिंह पार्टनर अपने-अपने हिस्से की धनराशि लेकर फर्म से अलग हो गये थे तथा इसी दिनांक को 1. अंकित कुमार तोमर पुत्र सतीश कुमार तोमर 2. अर्पित कुमार पुत्र सतीश कुमार तोमर निवासीगण 60/107. लक्ष्मण विहार, मुजफ्फरनगर 3. संदीप चौधरी पुत्र मनोज कुमार निवासी 892/12 केडिया बाटिका, संजय मार्ग मुजफ्फरनगर, अपने-अपने हिस्से की धनराशि देकर फर्म में शामिल हो गये थे। अब दिनांक 30 जुलाई, 2025 की संशोधित डीड के अनुसार फर्म में से संदीप चौधरी-पार्टनर अपने हिस्से की धनराशि लेकर फर्म से अलग हो गये हैं। अब वर्तमान में फर्म में 1. सतीश कुमार तोमर, 2. अंकित तोमर, 3. अर्पित कुमार पार्टनर है।

सतीश कुमार तोमर,
भागीदार,
मेसर्स तोमर ट्रांसपोर्ट, तिलक नगर,
भोपा रोड मुजफ्फरनगर।

सूचना

सूचित किया जाता है कि साझेदारी फर्म मेसर्स सुपर डील्स, 2/67-ए श्रीराम हाउस, चर्च रोड, आगरा-282002 में परिवर्तन की सूचना इस प्रकार है—

यह कि दिनांक 01 अप्रैल, 2025 को श्री बसन्त कुमार गाँधी पुत्र श्री लक्ष्मी लाल गाँधी निवासी-एफ-13 बसन्त विहार, गाँधी नगर, भीलवाड़ा फर्म की साझेदारी से स्वेच्छा से पृथक हो गये हैं। वर्तमान में श्री विनीत मित्तल, श्री आकर्ष मित्तल, पलक मित्तल तथा श्री योगेश कुमार गर्ग साझेदार हैं।

विनीत मित्तल,
साझेदार,
मेसर्स सुपर डील्स, 2/67-ए,
श्रीराम हाउस, चर्च रोड, आगरा।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरे पुत्र का सही नाम मनन गुप्ता (MANAN GUPTA) पुत्र रामजी गुप्ता है जो कि उसके शैक्षिक अभिलेख में अंकित है। त्रुटिवश मेरे पुत्र के आधार कार्ड सं0-8448 7166 8584 में उसका नाम अनन्य गुप्ता (ANANY GUPTA) अंकित हो गया है जो कि गलत है। भविष्य में मेरे पुत्र को उसके सही नाम मनन गुप्ता (MANAN GUPTA) पुत्र रामजी गुप्ता के नाम से जाना व पहचाना जाये।

एतत् द्वारा प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त के सम्बन्ध में समस्त विधिक औपचारिकतायें स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गई हैं।

रामजी गुप्ता,
पुत्र हरिवंश प्रसाद गुप्ता,
निवासी—बाजार पूर्व, गोसाईगंज,
सराय करोरा, जिला लखनऊ।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरा सही नाम चंचल सिंह, पुत्री अमर सिंह है जो मेरे शैक्षिक अभिलेख में अंकित है त्रुटिवश मेरे आधार कार्ड सं0-2463 1507 9769 में मेरा नाम चन्द्रावल अंकित हो गया है जो कि गलत हो गया है। भविष्य में मुझे मेरे सही नाम चंचल सिंह पुत्री अमर सिंह के नाम से जाना व पहचाना जाये।

एतत् द्वारा प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त के सम्बन्ध में समस्त विधिक औपचारिकतायें स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गई हैं।

चंचल सिंह पुत्री अमर सिंह,
निवासिनी—ऐमनपुर, पो0 गोयती,
थाना सोरो जिला कासगंज।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरे पुत्र का सही नाम मानस पाण्डेय पुत्र आशुतोष पाण्डेय है जो कि उसके शैक्षिक अभिलेख में अंकित है। त्रुटिवश मेरे

पुत्र के आधार कार्ड सं0—3657 7234 2859 में उसका नाम अनन्य पाण्डेय अंकित हो गया है जो कि गलत है। भविष्य में मेरे पुत्र को उसके सही नाम मानस पाण्डेय के नाम से जाना व पहचाना जाय।

एतत् द्वारा प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त के सम्बन्ध में समस्त विधिक औपचारिकतायें स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गई है।

मन्नु पाण्डेय,
पत्नी आशुतोष पाण्डेय,
पता—नारायणपुर, हेता पट्टी, फूलपुर,
सहसों, नारायणपुर, प्रयागराज उ0प्र0।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरी पुत्री का सही नाम नव्या केशरवानी पुत्री नितिन कुमार है जो कि उसके जन्म प्रमाण पत्र में अंकित हैं त्रुटिवश मेरी पुत्री के आधार कार्ड सं0—2179 0321 1753 में उसका नाम अक्षिता केशरवानी अंकित हो गया है जो कि गलत है। भविष्य में मेरी पुत्री को उसके सही नाम नव्या केशरवानी पुत्री नितिन कुमार के नाम से जाना व पहचाना जाये।

एतत् द्वारा प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त के सम्बन्ध में समस्त विधिक औपचारिकतायें स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गई है।

नितिन कुमार,
पुत्र भोला नाथ केशरवानी,
91/235 निहालपुर, खुल्दाबाद, प्रयागराज।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरा सही नाम बाबू लाल पुत्र राम किशुन है जो मेरे निर्वाचन कार्ड परिवार रजिस्टर खतौनी एवं उपजिलाधिकारी की जाँच आख्या में अंकित है। त्रुटिवश मेरे आधार कार्ड सं0—8835 1164 8640 में मेरा नाम बाउल पाल हो गया है, जो कि गलत है। भविष्य में मुझे मेरे सही नाम बाबूलाल सुपुत्र रामकिशुन से जाना व पहचाना जाये।

एतत् द्वारा प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त के सम्बन्ध में समस्त विधिक औपचारिकतायें स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गई है।

बाउल पाल पुत्र रामकिशुन,
नि0 ग्राम भवानीपुर पो0 विन्ध्याचल,
तह0 सदर जिला मिर्जापुर, उ0प्र0।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरे पुत्र का सही नाम रुद्र मोदनवाल पुत्र सूरज गुप्ता है जो उसके शैक्षिक अभिलेखों में अंकित है। मेरे पुत्र के आधार कार्ड सं0—9556 9812 8219 में उसका नाम—विष्णु मोदनवाल अंकित हो गया है जो गलत है। भविष्य में मेरे पुत्र को उसके सही नाम रुद्र मोदनवाल पुत्र सूरज गुप्ता के नाम से जाना व पहचाना जाये।

एतत् द्वारा प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त के सम्बन्ध में समस्त विधिक औपचारिकतायें स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गई है।

सूरज गुप्ता,
पुत्र श्री दीनदयाल गुप्ता,
ग्राम व पोस्ट—सिंधौरा बाजार, वाराणसी।

NOTICE

This is to inform the general public that my correct name is Maurya Kartik Tribhuvannath. Same is written on my Aadhaar Card (Aadhaar No-2615 6659 3107) and 10th marksheet (Roll No: A1206506). By mistake, my name is written as Maurya Kartik on my 12th marksheet (Roll No: 23641273), which is wrong. I also certify that the above mentioned information is true and I myself have verified all the related documents & details.

Maurya Kartik Tribhuvannath,
S/o Tribhuvannath Maurya,
Village: Murain Ka Purava,
Post: Hasaupur District: Fatehpur (U.P.)

सूचना

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि पंजीकृत फर्म मे० गायत्री कान्सट्रक्शन्स 980सी डंडिया शिवपुरी मार्ग, अल्लापुर प्रयागराज के भागीदार गायत्री प्रसाद तिवारी दिनांक 01.04.2024 को उक्त फर्म से अपनी भागीदारी समाप्त करते हुए अलग हो गये हैं। अब फर्म में स्नेहिल तिवारी तथा श्रीमती अर्चना तिवारी कुल दो भागीदार हैं जिनका भागीदारी का अनुपात क्रमशः स्नेहिल तिवारी 50 प्रतिशत, तथा श्रीमती अर्चना तिवारी 50

प्रतिशत का होगा। फर्म से अलग हुए भागीदार गायत्री प्रसाद तिवारी का उक्त फर्म से सम्बन्धित किसी भी प्रकार का लेन-देन तथा दायित्व शेष नहीं है। दिनांक 01 अप्रैल, 2024 के पश्चात गायत्री प्रसाद तिवारी का उक्त फर्म से सम्बन्धित किसी भी प्रकार का वित्तीय तथा विधिक उत्तरदायित्व नहीं होगा।

स्नेहिल तिवारी,

भागीदार,

मे० गायत्री कान्सट्रक्शन्स 980सी,
डंडिया शिवपुरी मार्ग, अल्लापुर प्रयागराज।